



# CARA

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  
Central Adoption Resource Authority




## वार्षिक रिपोर्ट 2019-2020 Annual Report 2019-2020



भारत सरकार  
Government of India

[www.cara.nic.in](http://www.cara.nic.in)



सत्यमेव जयते

# वार्षिक रिपोर्ट 2019-2020



केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  
भारत सरकार  
[www.cara.nic.in](http://www.cara.nic.in)



## विषय सूची

माननीय केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, का संदेश	i
माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, का संदेश	iii
सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की संचालन समिति के अध्यक्ष द्वारा अग्रेशित	v
<b>अध्याय 1 : भूमिका</b>	<b>1</b>
1.1 केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)	1
1.2 कारा की संचालन समिति	2
1.3 कारा के लिए सलाहाकार समिति	4
1.4 राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा)	4
1.5 जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू)	4
1.6 विशिष्टदत्तक-ग्रहण अभिकरण (एसएए)	5
1.7 प्राधिकृत विदेशीदत्तक-ग्रहण अभिकरण (एएफएए)	5
1.8 विदेशों में केंद्रीय प्राधिकरण (सीए) और भारतीय राजनयिक निराग (आईसीएन)	७
<b>अध्याय 2 : गतिविधियां</b>	<b>6</b>
2.1 बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)	6
2.2 प्रशिक्षण और विकास	7
2.3 निरीक्षण और निगरानी	17
2.4 मीडिया और जागरूकता	22
2.5 महत्वपूर्ण कार्यक्रम गतिविधियां	27
2.6 उप-समितियों का गठन	27
2.7 अन्य पहलें/गतिविधियां	27
<b>अध्याय 3 : वैधानिक अनुपालन</b>	<b>29</b>
3.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित जानकारी	29
3.2 शिकायत प्रबंधन	29
3.3 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित जानकारी	29
<b>अध्याय 4 : आंकड़ा-आधार</b>	<b>30</b>
4.1 अंतिम तीन वर्षों के दत्तक-ग्रहण आंकड़े (समेकित)	30
4.2 राज्य तथा लिंग-वार दत्तक-ग्रहण आंकड़े (देशीय तथा अंतर्देशीय)	30
4.3 देश तथा लिंग-वार दत्तक-ग्रहण आंकड़े (भारतीय बच्चों का अंतर्देशीय दत्तक-ग्रहण)	31
4.4 श्रेणी-वार दत्तक-ग्रहण आंकड़े (देशीय)	31
4.5 श्रेणी-वार दत्तक-ग्रहण आंकड़े (अंतर्देशीय)	31
<b>अध्याय 5 : अनुलग्नक</b>	<b>32</b>
5.1 परिशिष्ट-क : राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरणों (एसएआरए) का राज्य-वार विवरण	32
5.2 परिशिष्ट-ख : जिला बाल संरक्षण एककों (डीसीपीयू) की राज्य-वार संख्या	37
5.3 परिशिष्ट-ग : विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों (एसएए) की राज्य-वार संख्या	38
5.4 परिशिष्ट-घ : प्राधिकृत विदेशीदत्तक-ग्रहण अभिकरणों (एएफएए) की देशीय-वार संख्या एवं विवरण	39
5.5 परिशिष्ट-ड : कारा के द्वारा जारी महत्वपूर्ण परिपत्र और हिदायतों की प्रतियां	45
<b>अध्याय 6 : वर्ष 2019-2020 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और वार्षिक आंकड़े</b>	<b>53</b>



स्मृति जूबिन इरानी  
Smriti Zubin Irani



सत्यमेव जयते

मंत्री  
महिला एवं बाल विकास  
भारत सरकार  
नई दिल्ली  
Minister  
Women & Child Development  
Government of India  
New Delhi

संदेश

मुझे अपने मंत्रालय के एक सांविधिक निकाय, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण(कारा) के वर्ष 2019-20 के वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है।

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक बच्चे को परिवार की देखभाल का अधिकार है। परन्तु कई बार दुर्भाग्यपूर्ण और अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण कई बच्चे इससे वंचित रह जाते हैं। सरकार ऐसे सभी जरूरतमंद बच्चों की देखरेख और सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि ये बच्चे गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त हो तो इन बच्चों के लिए उपयुक्त परिवार खोजने हेतु दत्तक ग्रहण एक पुराना और प्रभावी उपाय है।

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को देश में अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों के दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने, सुगम बनाने और उन्हें विनियमित करने का अधिदेश है। इसके लिए राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी को भी कानून दत्तक ग्रहण हेतु जागरूकता फैलाने, संवेदनशील बनाने और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने की आवश्यकता है।

प्राधिकरण के अधिदेश के अनुसार कारा ने हितधारकों के क्षमता निर्माण और देश में गोद लेने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए कई पहल की हैं। प्राप्त प्रतिक्रियाओं एवं वर्षों की सीख के आधार पर प्राधिकरण का प्रयास है कि प्रक्रिया को सरल, सुचारु और बच्चों के अनुकूल बनाने के लिए और सुधार किए जाएं।

मुझे विश्वास है कि नगरा बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने हेतु निरंतर प्रयास करता रहेगा और अपने सभी हितधारकों के साथ मिलकर देश में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम को मजबूत करेगा।

(स्मृति जूबिन इरानी)



CAR

देबश्री चौधुरी  
DEBASREE CHAUDHURI



सत्यमेव जयते

राज्य मंत्री  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  
भारत सरकार  
नई दिल्ली-110001  
MINISTER OF STATE  
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT  
GOVERNMENT OF INDIA  
NEW DELHI-110001

संदेश

हर्ष का विषय है कि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के उपयोग के साथ प्रणाली को उपयोगकर्ताओं के अनुकूल और पारदर्शी बनाकर सम्पूर्ण रूप से अपने अधिदेश का पालन कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि देश में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम को और विस्तारित करने के लिए दत्तक ग्रहण के क्षेत्र में प्रशिक्षण, जागरूकता और अनुसंधान की आवश्यकता पर जोर दिया जाए।

मैं सभी हितधारकों से आग्रह करना चाहूँगी कि दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को पूरा करने हेतु दत्तक ग्रहण विनियमन 2017 में निर्धारित समयबद्धता के बारे में बहुत सावधान रहें। दत्तक ग्रहण के सभी चरणों का समय पर पूरा होना परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ प्रत्येक पहलू में भावी दत्तक ग्रहण माता-पिता को सुविधा प्रदान करने के लिए आज के समय की मांग है।

हमारे पास दत्तक ग्रहण हेतु उपलब्ध बच्चों की तुलना में प्रतीक्षा करने वाले माता-पिता अधिक हैं। मैं भावी दत्तक माता-पिता से आह्वान करना चाहूँगी कि वे बड़े बच्चों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गोद लेने के विकल्प पर विचार करें, जहां प्रतीक्षा अवधि अपेक्षाकृत कम है। ऐसे बच्चे भी प्यार करने और देखभाल करने वाले परिवारों की कामना करते हैं।

मैं अच्छे कार्य के लिए कारा की सराहना करती हूँ और भविष्य के सभी प्रयासों में उनकी सफलता की कामना करती हूँ।

देबश्री चौधुरी

(देबश्री चौधुरी)





CAR

**इन्दीवर पान्डेय, आई.ए.एस.**  
सचिव

**INDEVAR PANDEY, I.A.S.**  
Secretary

Tel. : 011-23383586, 23386731

Fax : 011-23381495

E-mail: secy.wcd@nic.in



भारत सरकार  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001

Government of India  
Ministry of Women & Child Development



### संदेश

कारा की संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में मैं उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने देश के भीतर और देश के बाहर दोनों जगह अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों के लिए परिवार ढूँढने में अथक परिश्रम किया है और सराहनीय योगदान दिया है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत दत्तक ग्रहण के मामलों में एक केंद्रीय प्राधिकरण और नोडल निकाय के रूप में कार्य करने के अधिदेश के साथ कारा महिला और बाल विकास मंत्रालय के अन्तर्गत एक सांविधिक निकाय है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान प्रशिक्षण और निरीक्षण पर अधिक जोर देने के साथ कारा ने देश में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कारा ने पंजीकरण स्थिति निगरानी एवं बच्चों के रेफरल के लिए देश और विदेशों में सभी भावी दत्तक माता-पिता के लिए ऑनलाइन सुविधा को सुगम बनाया है और सभी हितधारकों को बहुत ही पारदर्शी तरीके से कारा के ऑनलाइन पोर्टल अर्थात् केयरिंग्स (बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली) के माध्यम से कार्य करने में सक्षम बनाया है।

कारा को पिछली राष्ट्रीय परामर्शी बैठक (14 जनवरी, 2020 को आयोजित) में दत्तक ग्रहण माता-पिता हेतु प्रतीक्षा अवधि को कम करने केयरिंग्स में सुधार परामर्श के माध्यम से पीएपी की बेहतर तैयारी और अधिक उम्र तथा विशेष जरूरत वाले बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु उपाय करने हेतु कई सारे सुझाव प्राप्त हुए। कारा उन सभी सुझावों पर तत्परता से काम कर रहा है।

इस अवधि के दौरान, जब से इसने 1478 सीसीआई को विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण के साथ जोड़ा, कारा ने 3745 बच्चों के दत्तक ग्रहण को सुगम बनाया है और यथा तिथि, कुल 5657 बाल देखभाल संस्थानों को 472 विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों से जोड़ा गया है।

सभी हितधारक जैसे, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियां, जिला बाल संरक्षण इकाइयाँ, बाल कल्याण समितियाँ, जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, न्यायपालिका, अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसियां, भारतीय राजनयिक मिशन और भावी दत्तक माता-पिता कारा द्वारा यह किये जाने हेतु लक्ष्य प्राप्ति में उनके सतत समर्थन और सहयोग के लिए बधाई के पात्र हैं।

इन्दीवर पान्डेय

(इन्दीवर पांडे)

## परिवर्णी शब्द

एआर	:	दत्तक ग्रहण विनियम
एएफएए	:	अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण
सीए	:	केंद्रीय प्राधिकरण (बाल संरक्षण और अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की बाबत सहयोग पर हेग कन्वेंशन 1993 के अंतर्गत केंद्रीय प्राधिकरण)
सीएआरए	:	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
केयरिंग्स	:	बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)
सीसी	:	अनुपालन प्रमाण पत्र
सीसीआई	:	बाल देखभाल संस्थान
सीडब्ल्यूसी	:	बाल कल्याण समिति
डीसीपीयू	:	जिला बाल संरक्षण एकक
डीसीपीओ	:	जिला बाल संरक्षण अधिकारी
एचएसआर	:	गृह अध्ययन रिपोर्ट
आईसीपीएस	:	समेकित बाल संरक्षण स्कीम,
आईसीटी	:	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईडीएम	:	भारतीय राजनायिक मिशन
आईईसी	:	सूचना, शिक्षा और संप्रेषण
जे जे एक्ट	:	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015
जे जे नियम	:	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) मॉडल नियम, 2016
एमआईएस	:	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एनओसी	:	अनापत्ति प्रमाण पत्र
एनआरआई	:	अनिवासी भारतीय
ओएएस	:	अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्षित
ओसीआई	:	भारत के विदेशी नागरिक
पीएपी	:	भावी दत्तक माता-पिता
एसएए	:	विशिष्ट दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
एसएआरए	:	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
एसएनसी	:	विशेष जरूरतों वाले बालक



# भूमिका



दिनांक 14 जनवरी, 2020 को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली में बाल दत्तक-ग्रहण पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला के दौरान श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, माननीय केंद्रीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास, श्री रवीन्द्र पंवार, सचिव, म.बा.वि.म. और अध्यक्ष, संचालन समिति, कारा और म.बा.वि.म. और कारा के वरिष्ठ अधिकारी

## 1.1 केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)

1.1.1 केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) की स्थापना जून, 1990 में कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों के दत्तक-ग्रहण के विनियमन, पर्यवेक्षण और प्रोत्साहन के उद्देश्य हेतु की गई थी जिसका मुख्य कार्य देखभाल व संरक्षण के जरूरत-मंद बच्चों के लिए प्यार भरे परिवार उपलब्ध कराना है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल के दिनांक 02 जुलाई, 1998 के निर्णय के अनुसार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में 'पंजीकृत कर 18 मार्च, 1999 को स्वायत्ता का दर्जा प्रदान किया। किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के तहत दत्तक-ग्रहण ने संस्थागत बच्चों के दत्तक-ग्रहण स्थापन में संरक्षोपाय सुनिश्चित कर मान्यता प्राप्त अभिकरणों और प्राधिकरणों की भागीदारी से दत्तक-ग्रहण में बच्चों का स्थापन समर्थकृत किया।

1.1.2 15 जनवरी, 2016 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जे.जे अधिनियम, 2015 की धारा 68 के माध्यम से, कारा ने एक सांविधिक निकाय का स्थान प्राप्त कर, देश में दत्तक-ग्रहण को प्रोन्नत करने; अंतरराज्यिक दत्तक-ग्रहण को सुकर बनाने; दत्तक-ग्रहण से संबंधित मामलों पर विनियमन बनाना और बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली के माध्यम से कारा का एकमात्र उद्देश्य कानूनी रूप में मुक्त घोषित किए गए बच्चों को दत्तक परिवारों के साथ गैर-संस्थागत रूप से रखने की इच्छा रखता है। अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण की बावत बालकों के संरक्षण और सहयोग पर हेग कन्वेंशन के अधीन केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण विनियमित करने का अधिदेश प्राप्त किया है। कारा अधिकतम बच्चों को गैर-संस्थागत देखभाल में दत्तकग्राही परिवारों के साथ रखने का आकांक्षी है। कारा को वर्ष 2003 में अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण की बावत बालकों के संरक्षण और सहयोग पर हेग कन्वेंशन, 1993 के अंतर्गत केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया। केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के प्रमुख,

सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और इसकी संस्वीकृत संख्या 37 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की है।

1.1.3 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68 के अंतर्गत केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतु अधिदेश प्राप्त है -

- (क) देश में दत्तक-ग्रहण को प्रोन्नत करना और राज्य अभिकरणों के समन्वय से अंतरराज्यिक दत्तक-ग्रहण को सुकर बनाना;
- (ख) अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण को विनियमित करना;
- (ग) समय समय पर दत्तक-ग्रहण और संबंधित विषयों पर ऐसे विनियमनों की विरचना करना, जो आवश्यक हों;
- (घ) अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण की बाबत बालकों के संरक्षण और सहयोग पर हेग अभिसमय के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के कार्यों को निर्वहन करना;
- (ङ) दत्तक-ग्रहण विनियमन, 2017 के विनियमन 37 के अंतर्गत यथा प्रदत्त अन्य कार्य;

1.1.4 कारा का उद्देश्य - बच्चों के दत्तक-ग्रहण के माध्यम से उनके सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखकर उनके पुनर्वास हेतु कार्य करना।

1.1.5 कारा का दृष्टिकोण - माता-पिता की देखभाल से वंचित एवं अनाथ परित्यक्त एवं अभर्षित बच्चों के लिए एक प्यारा और देखभाल करने वाला परिवार ढूँढना है।

## 1.2 कारा की संचालन समिति

1.2.1 कारा की संचालन समिति का गठन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की

धारा 69 के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 22/3/2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. - सीडब्ल्यू-II/26/7/2015- सीडब्ल्यू-II के द्वारा 15/01/2016 से दो वर्षों के कार्यकाल हेतु किया गया है। उपरोक्त संचालन समिति कार्यकाल को नई संचालन समिति का गठन होने तक भारत का राजपत्र में, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (iii) में प्रकाशित की अधिसूचना सं 3162 दिनांक 10/8/2018 के द्वारा बढ़ा दिया गया था। केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की संचालन समिति की संरचना नीचे दी गई है-

- (क) सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार - अध्यक्ष (पदेन)
- (ख) प्राधिकरण से संबंधित संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार - सदस्य (पदेन)
- (ग) वित्त से संबंधित संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार - सदस्य (पदेन)
- (घ) राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण से एक सदस्य;
- (ङ) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण से दो सदस्य;
- (च) एक दत्तक माता-पिता;
- (छ) एक दत्तक;
- (ज) एक वकील या प्रोफेसर जिसे परिवार कानून के बारे में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो;
- (झ) प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी।

1.2.2 2019-20 के कार्यकाल के दौरान अध्यक्ष और सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं-

क्रम.सं.	नाम और संपर्क विवरण	पदनाम
1.	श्री. रबीन्द्र पवार सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 (31/03/2020 तक)	अध्यक्ष (पदेन)
2.	श्री. अली रजा रिजवी विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 (31/03/2020 तक)	सदस्य (पदेन)

<p>3.</p>	<p>श्री. आशीष श्रीवास्तव संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 (01/04/2019 से 03/07/2019 तक)</p> <p>सुश्री. आस्था सक्सेना खटवानी संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 (04/07/2019 से 31/03/2020 तक)</p>	<p>सदस्य (पदेन)</p>
<p>4.</p>	<p>डॉ. (सुश्री.) एम. गीता सचिव (अध्यक्ष, सारा), महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़-492002 [राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा), छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व] (01/07/2019 तक)</p> <p>श्री. सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी सचिव (अध्यक्ष, सारा), महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़-492002 [राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा), छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व] (02/07/2019 से 31/03/2020 तक)</p>	<p>सदस्य</p>
<p>5.</p>	<p>सुश्री. गरिमा यादव निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, जवाहर भवन, आठवीं मंजिल, अशोक मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226001 [राजकीय बाल गृह, रामपुर, उत्तर प्रदेश -सरकार द्वारा संचालित विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (एसएए) का प्रतिनिधित्व] (15/07/2019 तक)</p> <p>श्री. मनोज कुमार रॉय निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, जवाहर भवन, आठवीं मंजिल, अशोक मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001 [राजकीय बाल गृह, रामपुर, उत्तर प्रदेश -सरकार द्वारा संचालित विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (एसएए) का प्रतिनिधित्व] (16/07/2019 से 31/03/2020 तक)</p>	<p>सदस्य</p>
<p>6.</p>	<p>डॉ. (सुश्री.) प्राजक्ता कुलकर्णी संस्थापक/निदेशक, स्नेहांकुर दत्तक-ग्रहण केंद्र, नेवल एस्टेट, प्लॉट नं.12, एसआर नं.416/1 संदीप होटल के पास, अहमदनगर-पुणे रोड, खेलगांव, अहमदनगर, महाराष्ट्र-414005 [गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (एसएए) का प्रतिनिधित्व] (10/08/2018 से)</p>	<p>सदस्य</p>
<p>7.</p>	<p>डॉ. (श्रीमती) मीना राधाकृष्णा फ्लैट नं. 535, अंतरा, पुरुकुल रोड, गुनीयाल गांव, पी.ओ-सिनोला, देहरादून, उत्तराखंड-248003 (दत्तक माता-पिता) (10/08/2018 से)</p>	<p>सदस्य</p>

8.	सुश्री प्रिया श्रीनिवासन 7039, बी-10, वंसत कुंज, नई दिल्ली-110070 (दत्तक) (10/08/2018 से)	सदस्य
9.	सुश्री अपर्णा भट्ट ए-11, एलजीएफ, रियर साइट, नीति बाग, नई दिल्ली-110049 (वकील) (10/08/2018 से 31/03/2020 तक)	सदस्य
10.	श्री. दीपक कुमार सदस्य सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पश्चिमी खंड-8, विंग-2, आरके पुश्त, नई दिल्ली-110066 (11/07/2016 से 31/03/2020 तक)	सदस्य सचिव (पदेन)

### 1.3 कारा की संरचना

1.3.1 कारा की अध्यक्षता सदस्य सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में की जा रही है और इसको 37 अधिकारियों व कर्मचारियों की सस्वीकृति प्राप्त है।

### 1.4 राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरणों (सारा)

1.4.1 राज्य दत्तक ग्रहण अभिकरण जे जे अधिनियम के तहत व्यवस्थित किया गया है जिसे बाल संरक्षण सेवा योजना के माध्यम से आर्थिक मजबूती प्राप्त है। यह राज्य में बच्चों के दत्तक को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है। विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों (एसएए) की स्थापना को सुकर बनाने, ऐसे सभी अभिकरणों की एक व्यापक सूची का रख रखाव करने, यह सुनिश्चित करने कि बालकों के सभी दत्तक-ग्रहण/स्थायी स्थानन विधि और दत्तक-ग्रहण विनियमों के अनुसार हों, जिला बालक संरक्षण एकक की सहायता से दत्तक-ग्रहण योग्य बालकों का एक केन्द्रीयकृत वेब आधारित डाटाबेस का रखरखाव करने, बाल देखभाल संस्थाओं (सीसीआई) के साथ लिंकेज को बढ़ावा देने और एसएए के कार्य का पर्यवेक्षण करने की अपेक्षा की जाती है। यह अभिकरणों और सीसीआई के बीच समन्वय भी सुनिश्चित करता है, और दत्तक-ग्रहण के पूर्व तथा दत्तक-ग्रहण के दौरान प्रक्रिया में होने वाले विलंब का समाधान करने के प्रयास करता है। राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरणों की सूची **परिशिष्ट-क** पर दी गई है। सारा से एसएए का नाम, पता और संपर्क का ब्यौरा और इसके साथ जैसे ही ऐसे अभिकरणों को मान्यता अथवा नवीकरण प्रदान किया जाता है, उसके प्रमाण पत्र और मान्यता अथवा नवीकरण पत्र की प्रतिलिपि केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

### 1.5 जिला बालक संरक्षण एककों (डीसीपीयू)

1.5.1 डीसीपीयू समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) के अंतर्गत स्थापित जिला स्तरीय बाल संरक्षण अभिकरण हैं। यह जिले में अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों की पहचान करने और बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा दत्तक-ग्रहण हेतु कानूनी तौर पर स्वतंत्र घोषित करवाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसका क्रियान्वयन विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (एसएए) या बाल देखरेख संस्था (सीसीआई) की सहायता से करते हैं। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि दत्तक-ग्रहण हेतु बालक को कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करने की तारीख से दस दिन के भीतर एसएए द्वारा बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) पर अपलोड कर दी गई है; दत्तक-ग्रहण को सुकर बनाने और प्रत्येक बच्चे की दत्तक-ग्रहण की प्रगति को ट्रैक करने के लिए उसी अथवा अन्य जिलों में एसएए के साथ बाल देखभाल संस्था के लिंकेज को सुगम बनाया जाए।

1.5.2 इसके अतिरिक्त, डीसीपीयू से यह अपेक्षित है कि सीडब्ल्यूसी के प्रत्यावर्तन के प्रयासों और समाचार-पत्रों में अनाथ,परित्यक्त, और अभ्यर्पित बालक के बारे में सूचना प्रकाशित करने, परिवीक्षा अधिकारी से सामाजिक जांच रिपोर्ट और एसएए की सहायता से जहां कहीं आवश्यक हो, पुलिस से नहीं खोज पाने की रिपोर्ट प्राप्त करने सहित दत्तक-ग्रहण हेतु परित्यक्त बच्चों को कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित कराने की प्रक्रिया पूरी करने में उसकी सहायता करेंगे। संबंधित सारा के माध्यम से केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण से संबद्ध डीसीपीयू के राज्य-वार आंकड़े **परिशिष्ट-ख** में दिए गए हैं।

## 1.6 विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों (एसएए)

1.6.1 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 65(1) के अनुसार राज्य सरकार दत्तक-ग्रहण और गैर-संस्थागत देखभाल के माध्यम से अनपठ, परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित बच्चों के पुर्नवास के लिए, प्राधिकरण द्वारा बनाए गए दत्तक-ग्रहण विनियमों में यथा उपबंधित रीति में, विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों के रूप में प्रत्येक जिले में एक अथवा अधिक संस्थाओं या संगठनों को मान्यता देगी।

1.6.2 एसएए उसकी देखरेख में रह रहे प्रत्येक बच्चे की देखरेख, संरक्षण एवं कल्याण के लिए उत्तरदायी होता है। एसएए दत्तक-ग्रहण के माध्यम से बच्चों के पुर्नवास एवं भावी दत्तक माता-पिता की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दत्तक-ग्रहण किए जाने वाले प्रत्येक बालक के आर्नलाइन डाटाबेस का रख-रखाव करता है और बच्चों से संबंधित सभी दस्तावेज तैयार करता है। यह भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट भी दत्तक-ग्रहण विनियम 2017 में यथानिर्दिष्ट तरीके से तैयार करता है। वर्तमान में, दत्तक-ग्रहण में (देश के भीतर और अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण दोनों) में बालकों को रखने हेतु, संबंधित राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी और गैर-सरकारी, अभिकरण हैं। विशिष्ट दत्तक-ग्रहण के राज्य-वार आकड़े **पारिशेष्ट-ग** में दिए गए हैं।

## 1.7 प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरणों (एएफएए)

1.7.1 कारा विदेशों में रह रहे भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) जिनमें अनिवासी भारतीय, प्रवासी भारतीय नागरिक

(ओसीआई), एवं विदेशी नागरिक शामिल हैं, के आवेदनों को प्रयोजित करने के लिए विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरणों को प्राधिकृत करता है। ये अभिकरण अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण के मामलों की कार्रवाई करने हेतु प्राप्तकर्ता देशों में मान्यता प्राप्त प्राधिकृत अभिकरण हैं (हेग कन्वेंशन में यथा परिभाषित)। एएफएए से भारत से बच्चों का दत्तक-ग्रहण करने के इच्छुक पीएपी को पंजीकृत करना और उनकी गृह अध्ययन रिपोर्ट को जल्दी से पूरा करना; केंद्रीय प्राधिकरण से दत्तक-ग्रहण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के बाद शीघ्र दत्तक-ग्रहण सुनिश्चित करने हेतु एसएए के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना और दत्तक-ग्रहण विनियम 2017 में उनके लिए यथा अधिदेशित अन्य कार्यकलाप करना अपेक्षित होता है। केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरणों के देश-वार आकड़े **पारिशेष्ट-घ** में दिए गए हैं।

## 1.8 केंद्रीय प्राधिकरणों (सीए) और विदेश में भारतीय राजनयिक मिशन-

1.8.1 हेग अनुसमर्थित कुछ देशों में, केंद्रीय प्राधिकरण, (कारा के समकक्ष) भारत से बालक को दत्तक-ग्रहण के इच्छुक भावी दत्तक ग्रहण माता-पिता के मामलों को प्रायोजित एवं पंजीकृत करते हैं। कुछ गैर-हेग अनुसमर्थित देशों में, भारतीय राजनायक मिशन आनेवासी भारतीय और प्रवासी भारतीय नागरिकों द्वारा भारत से दत्तक-ग्रहण करने के मामलों को प्रयोजित करने में लगे हुए हैं।

\*\*\*\*\*



## गतिविधियां

### 2.1 बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)

2.1.1 दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 को जे जे अधिनियम 2017 में संशोधित किया गया है जिसके माध्यम से केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली नामक पोर्टल के माध्यम से दत्तक जो दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाती है, की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। अब सभी भावी दत्तक माता-पिता के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है।

2.1.2 यह वेब आधारित निगरानी प्रणाली एसएए द्वारा बच्चों के ब्यौरों की प्रविष्टि करने के साथ-साथ भावी दत्तक माता-पिता द्वारा दत्तक-ग्रहण के लिए पंजीकरण करने के लिए एक पारदर्शी एवं पूर्ण रूप से स्वचालित प्रणाली उपलब्ध कराती है। यह शीघ्र और सुचारु दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया को सुकर बनाती है इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में लक्षित व समान अवसर प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों की जवाबदेही सुनिश्चित होती है। यह पक्षकारों का नेटवर्क तैयार करती है, और कारगर नीति निर्माण और अनुसंधान को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय आंकड़ा आधार का रख-रखाव करती है। केयरिंग्स राष्ट्रीय स्तर पर कारा द्वारा और राज्य स्तर पर सारा द्वारा और जिला स्तर पर डीसीपीयू द्वारा दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया और दत्तक-ग्रहण के बाद की प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी की सुविधा प्रदान करती है।

#### 2.1.3 केयरिंग्स की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं -

- (क) दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना;
- (ख) दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया में हो रहे विलंब को कम से कम करना;
- (ग) भावी दत्तक माता-पिता को सुविज्ञ निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना;
- (घ) नीतिगत निर्णय लेने में सहायता के लिए डाटाबेस से पत्र विश्लेषण प्राप्त करना;
- (ङ) केन्द्रीय स्तर पर कारा और राज्य स्तर पर सारा/राज्य सरकार द्वारा दत्तक-ग्रहण और दत्तक-ग्रहण के

पश्चात् की प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी प्रदान कर दत्तक-ग्रहण प्रणाली में सुधार लाना;

- (च) अध्यवसायी नीति नियोजन के लिए एक डाटाबेस तैयार करना;
- (छ) अभिभावकों को माता-पिता की देखभाल के बिना रह रहे बच्चों का पूरा डेटाबेस रखने के लिए दत्तक-ग्रहण अभिकरणों और बाल देखभाल संस्थाओं के बीच संपर्क बनाना ताकि उन्हें जल्द से जल्द परिवार में स्थापित किया जा सके;
- (ज) बेहतर मिलान के लिए बच्चे और माता-पिता की रूपरेखा को सक्षम बनाना, गोद लेने के इच्छुक माता-पिता को सुविधा प्रदान करना और उन्हें प्रासंगिक जानकारी तथा वर्तमान स्थिति प्रदान करना।

#### 2.1.4 केयरिंग्स के लाभ -

- (क) केयरिंग्स देश भर में लगभग 469 विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों, 666 जिला बाल संरक्षण एककों और 34 राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरणों को तथा प्राप्तकर्ता देशों के केन्द्रीय प्राधिकरणों, 65 प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरणों, 49 केन्द्रीय प्राधिकरणों जैसे अंतरराष्ट्रीय निकायों और विदेशों में भारतीय राजनयिक मिशनों को भी कारा से जुड़ने के लिए एक सहभागिता प्रदान करती है। इस दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में राजनयिक मिशन भी सहायता करते हैं।
- (ख) बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया की केन्द्र बन गई है और ई-गवर्नेंस सुविधा के रूप में उत्कृष्ट हो गई है और इसे ऐसी एकमात्र प्रणाली या प्लेटफॉर्म के रूप में नामित किया गया है, जिसके माध्यम से कानूनी दत्तक-ग्रहण का प्रक्रम किया जा सकता है।
- (ग) केयरिंग्स के निम्नलिखित तरीकों से संगठन की सहायता की है -
  - (i) विभिन्न स्तरों पर विलंब को समझने और प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिए दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी, यदि आवश्यक हो तो;

- (ii) समयबद्ध तरीके से महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए डाटा विश्लेषण;
- (iii) केयरिंग्स पर दत्तक-ग्रहण अभिकरणों का पंजीकरण;
- (iv) भावी दत्तक माता-पिता का ऑनलाइन पंजीकरण;
- (v) विशिष्ट जरूरतमंद बच्चों का शीघ्र स्थापन;
- (vi) ऑनलाइन चिकित्सा जांच रिपोर्ट (एमईआर);
- (vii) एसएए के साथ संपर्क के माध्यम से सीसीआई में रखे गए बच्चों का दत्तक-ग्रहण;
- (viii) देशीय दत्तक-ग्रहण की प्राथमिकता सुनिश्चित करना।

### 2.1.5 विभिन्न प्रचालित मॉड्यूल -

- (क) भारतीय निवासी पीएपीएस (भावी दत्तक माता-पिता);
- (ख) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों (एसएए);
- (ग) जिला बाल संरक्षण एककों (डीसीपीयू);
- (घ) राज्य बाल दत्तक-ग्रहण अभिकरणों (सारा);
- (ङ) पाधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरणों (एएफएए);
- (च) केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)।

### 2.1.6 केयरिंग्स से संबंधित प्रशिक्षण :-

कारा केयरिंग्स के लिए कई अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है और सामाजिक कार्यकर्ताओं हेतु तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में प्रतिभागियों से क्षेत्रीय जरूरतों और अपेक्षाओं के बारे में फीडबैक प्राप्त करता रहा है।

## 2.2 प्रशिक्षण एवं विकास

2.2.1 दत्तक-ग्रहण कार्यक्रम के बारे में प्रशिक्षित करने और जागरूकता फैलाने के लिए कारा देश में कानूनी

दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम सं	कार्यक्रम का विवरण	वर्ष 2019-2020 के दौरान कार्यक्रमों की संख्या
(क)	एक दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम	04
(ख)	सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं	11
(ग)	न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	03
(घ)	अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम	09
(ङ)	दत्तक-ग्रहण संगोष्ठी और दत्तक परिवारों की बैठक	05
(च)	दत्तक-ग्रहण कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर दिल्ली प्रदेश की समीक्षा बैठक	01
(छ)	दत्तक-ग्रहण पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला	01
(ज)	केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का वार्षिक दिवस	01

### 2.2.2 एक दिवसीय राज्य अभिमुखीकरण कार्यक्रम :

राज्य स्तरीय एक दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन विविध हितधारक प्रतिभागियों के लिए जिनमें विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों (एसएए), जिला बाल संरक्षण एककों (डीसीपीयू), बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरणों (एसएआरए), दत्तक-ग्रहण का काम-काज देखनेवाली राज्य सरकार को विभागों के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और दत्तक माता-पिता को शामिल किया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित अभिविन्यास/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया :-

क्रम सं	प्रशिक्षण कार्यक्रम	स्थान/ राज्य	कार्यक्रम की तारीख	प्रतिभागियों की संख्या
(क)	केयरिंग्स और दत्तक-ग्रहण विनियम, 2017 पर प्रायोगिक कार्यक्रम	इंफाल (मणिपुर)	18 मई, 2019	108
(ख)	दत्तक-ग्रहण विनियम, 2017 और केयरिंग्स पर राज्य स्तरीय अभिविन्यास कार्यक्रम	भुवनेश्वर (ओडिशा)	04 जून, 2019	116
(ग)	दत्तक-ग्रहण विनियम, 2017 और केयरिंग्स पर राज्य स्तरीय अभिविन्यास कार्यक्रम	जयपुर (राजस्थान)	11 जून, 2019	76



इंफाल, मणिपुर (18 मई, 2019)



भुवनेश्वर, ओडिशा (04 जून, 2019)




जयपुर, राजस्थान (11 जून, 2019)



2.2.3 सामाजिक कार्यकर्ताओं हेतु तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला : दिनांक 26 नवंबर, 2018 को आयोजित कारा की 18वीं संचालन समिति की बैठक के निर्देशानुसार, सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु दिनांक 11 जनवरी, 2019 को कारा के लिए विशेषज्ञों की एक उप-समिति का गठन किया गया। दिल्ली के एसएए और डीसीपीयू के सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए पहला प्रशिक्षण मार्च, 2019 में आयोजित किया गया था। उप समिति ने सामाजिक कार्यकर्ताओं हेतु एक पुस्तिका तैयार की है जोकि डिजिटल रूप में प्रकाशित होने की प्रक्रिया में है। उप-समिति डॉ. मीना राधाकृष्णा द्वारा अध्यक्ष साथ ही डॉ. विनिता भार्गव, सुश्री नीना नायक, सुश्री सीमा खांडेकर, सुश्री राधा नागेश, डॉ. नीलिमा मेहता, डॉ. भवनीत भारती, सुश्री सिंधु नायक, डॉ. शोबा श्रीनाथ और सुश्री कविता भंडारी सदस्यों के रूप में गठित की गई।

2.2.4 इस प्रारंभिक परियोजना के तहत 14 राज्यों को आवरण करते हुए कुल 11 प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

### सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए दत्तक-ग्रहण पर पुस्तिका



क्रम. सं.	सामाजिक कार्यकर्ताओं हेतु तीन दिवसीय घरेलू कार्यशाला (अन्तर्निहित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश)	स्थान	कार्यक्रम की तारीखें	प्रतिभागियों की संख्या
(क)	छत्तीसगढ़	रायपुर, छत्तीसगढ़	26 से 28 अप्रैल, 2019	97
(ख)	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	बापटला, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	10 से 12 जून, 2019	95
(ग)	कर्नाटक	बेंगलूरु, कर्नाटक	10 से 12 जुलाई, 2019	78
(घ)	केरल	तिरुवंतपुरम, केरल	17 से 19 जुलाई, 2019	45
(ङ)	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	कोलकता, पश्चिम बंगाल	07 से 09 अगस्त, 2019	74
(च)	बिहार	पटना, बिहार	23 से 25 सितम्बर, 2019	125
(छ)	ओडिशा और झारखंड	भुवनेश्वर, ओडिशा	31 अक्टूबर से 02 नवंबर, 2019	85
(ज)	गुजरात	अहमदाबाद, गुजरात	18 से 20 दिसंबर, 2019	83
(म)	उत्तर प्रदेश	एनआईपीसीसीडी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	20 से 22 जनवरी, 2020	71
(फ)	महाराष्ट्र	पुणे, महाराष्ट्र	11 से 13 फरवरी, 2020	100
(ब)	तमिलनाडु	चेन्नई, तमिलनाडु	04 से 06 मार्च, 2020	100



रायपुर, छत्तीसगढ़  
(26 से 28 अप्रैल, 2019)



बापटला, गुंटूर, आंध्र प्रदेश  
(10 से 12 जून, 2019)



बेंगलूरु, कर्नाटक  
(10 से 12 जुलाई, 2019)



तिरुवंतपुरम, केरल  
(17 से 19 जुलाई, 2019)



कोलकता, पश्चिम बंगाल  
(07 से 09 अगस्त, 2019)



पटना, बिहार  
(23 से 25 सितम्बर, 2019)



भुवनेश्वर, ओडिशा  
(31 अक्टूबर से 2 नवम्बर, 2019)



लखनऊ, उत्तर प्रदेश  
(20 से 22 जनवरी, 2020)



पुणे, महाराष्ट्र  
(11 से 13 फरवरी, 2020)



चेन्नई, तमिलनाडु  
(04 से 06 मार्च, 2020)

2.2.5 न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम : कारा न्यायिक अधिकारियों के लिए किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2016 और दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 और दत्तक ग्रहण की सुविधा में उनकी भूमिका

के बारे में उन्हें अवगत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए: -

क्रम.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	स्थान/राज्य	कार्यक्रम की तारीख	प्रतिभागियों की संख्या
(i)	अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण मामलों के प्रक्रम पर अभिविन्यास	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल	24 नवंबर, 2019	50
(ii)	दत्तक-ग्रहण कानूनों पर कार्यशाला	सिक्किम न्यायिक अकादमी, सोकेयथंग	26 नवंबर, 2019	180
(iii)	न्यायिक अधिकारियों के लिए जे.जे. अधिनियम, 2015 के तहत दत्तक-ग्रहण संबंधी प्रशिक्षण	ओडिशा न्यायिक अकादमी, कटक, ओडिशा	07 मार्च, 2020	50



राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल  
(24 नवंबर, 2019)



सिविकम न्यायिक अकादमी, सोकेयथंग  
(26 नवंबर, 2019)

2.2.6 अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम : कारा अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और विभिन्न विश्व विद्यालयों/ संस्थानों के छात्रों के अतिथि प्रतिनिधि मंडलों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और राज्यों द्वारा

आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षणों के लिए संसाधन व्यक्ति भी उपलब्ध कर रहा है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है –

क्रम. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	स्थान	कार्यक्रम की तारीख	प्रतिभागियों की संख्या
(i)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कौशल निर्माण कार्यक्रम	भोपाल, मध्य प्रदेश (राज्य सरकार द्वारा आयोजित)	26 जुलाई, 2019	60
(ii)	जे.जे. एक्ट, 2015, दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 और केयरिंग्स पर बाल कल्याण समिति हेतु पुनश्चर्चा प्रशिक्षण कार्यक्रम	पुणे, महाराष्ट्र (राज्य सरकार द्वारा आयोजित)	19 से 22 अगस्त, 2019	150
(iii)	दिल्ली मेट्रोपॉलिटिन कॉलेज ऑफ लॉ, इंद्रपस्थ विश्वविद्यालय के छात्रों को कारा की भूमिका और जिम्मेदारियों और दत्तक-ग्रहण कानूनों और विनियमन के बारे में संवेदनशील बनाना	कारा का सम्मेलन कक्ष	21 अगस्त, 2019	40
(iv)	जेईएमटीसी-जेआईएमएस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट टेक्नीकल कैम्पस, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रपस्थ विश्वविद्यालय के छात्रों हेतु संवेदीकरण कार्यशाला	ग्रेटर नोएडा (एनसीआर)	27 अगस्त, 2019	289
(v)	जे.जे.एक्ट 2015 और दत्तक-ग्रहण विनियमन, 2017 पर सीडब्ल्यूसी, डीसीपीयू और सरकार द्वारा चालित पश्चिमी दिल्ली के सीसीआई के कल्याण अधिकारियों हेतु कार्यशाला	पश्चिमी दिल्ली (राज्य सरकार द्वारा आयोजित)	30 अगस्त, 2019	25
(vi)	केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के कर्मचारियों हेतु एनआईसी द्वारा केयरिंग्स का प्रदर्शन	कारा का सम्मेलन कक्ष	03 अक्टूबर, 2019	40
(vii)	अवैध दत्तक-ग्रहण के खतरे को रोकने हेतु पंजाब राज्य सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्र स्तरीय के प्रशिक्षण सह कार्यशालाएं	पटियाला, पंजाब	16 दिसम्बर, 2019	260
(viii)	यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ, गुजरात विश्वविद्यालय के छात्रों को जे.जे. अधिनियम, 2015 और दत्तक-ग्रहण विनियम, 2017 पर कारा द्वारा अभिविन्यास कार्यक्रम	कारा का सम्मेलन कक्ष	18 दिसम्बर, 2019	83
(ix)	अवैध दत्तक-ग्रहण के खतरे को रोकने हेतु पंजाब राज्य सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्र स्तरीय के प्रशिक्षण सह कार्यशालाएं	बठिंडा, पंजाब	20 दिसम्बर, 2019	220



मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के कौशल निर्माण कार्यक्रम  
(26 जुलाई, 2019)



पुणे, महाराष्ट्र में सीडब्ल्यूसी के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम  
(19 से 22 अगस्त, 2019)



दिल्ली मेट्रोपॉलिटिन कॉलेज ऑफ लॉ के छात्रों को कारा के बारे में संक्षिप्तीकरण (21 अगस्त, 2020)



जेआईएमएस, नोएडा में छात्रों के लिए संवेदीकरण कार्यशाला  
(27 अगस्त, 2019)



पश्चिमी दिल्ली में कार्यशाला  
(30 अगस्त, 2019)



केयरिंग्स का प्रदर्शन  
(03 अक्टूबर, 2019)



पटियाला में अवैध दत्तक-ग्रहण को रोकने हेतु क्षेत्रीय कार्यशाला  
(16 दिसम्बर, 2019)



यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ, गुजरात विश्वविद्यालय के छात्र  
(18 दिसंबर, 2019)



बठिंडा में अवैध दत्तक-ग्रहण को रोकने के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला (20 दिसंबर, 2019)

**2.2.7 दत्तक-ग्रहण संगोष्ठी और दत्तक माता-पिता सम्मेलन :**  
दत्तक-ग्रहण के बाद अनुवर्ती कारवाई पूरे दत्तक-ग्रहण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो दत्तक प्रक्रिया की भलाई की एक परिकल्पना है। दत्तक-ग्रहण संगोष्ठी और दत्तक परिवारों का सम्मेलन, दत्तक परिवारों में दत्तक-ग्रहण की सफलता का अनुमान लगाने और इसी

के साथ दत्तक-ग्रहण और इसकी प्रक्रिया के संबंध में जागरूकता भी पैदा करने के रूप में दोहरी भूमिका निभाता है। इस पहलू में वृद्धिशील प्रगति प्राप्त करने हेतु वर्ष 2019-2020 के दौरान निम्नलिखित दत्तक-ग्रहण संगोष्ठियों और दत्तक माता-पिता के सम्मेलनों का आयोजन किया गया-

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	स्थान/राज्य	कार्यक्रम की तारीख	प्रतिभागियों की संख्या
(i)	दत्तक-ग्रहण संगोष्ठी और दत्तक माता-पिता सम्मेलन	नई दिल्ली	09 नवंबर, 2019	166
(ii)	दत्तक और भावी दत्तक माता-पिता और अन्य हितधारकों के साथ क्षेत्रीय जागरूकता सम्मेलन	चंडीगढ़	14 नवंबर, 2019	358
(iii)	दत्तक माता-पिता और भावी दत्तक माता-पिता सम्मेलन	गुवाहाटी (असम)	26 नवंबर, 2019	180
(iv)	दत्तक माता-पिता और भावी दत्तक माता-पिता सम्मेलन	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	18 जनवरी, 2020	150
(v)	दत्तक माता-पिता और भावी दत्तक माता-पिता सम्मेलन	पुणे (महाराष्ट्र)	14 फरवरी, 2020	200



नई दिल्ली में दत्तक-ग्रहण संगोष्ठी और दत्तक माता-पिता सम्मेलन (09 नवम्बर, 2019)





नई दिल्ली में दत्तक-ग्रहण संगोष्ठी और दत्तक माता-पिता सम्मेलन (09 नवम्बर, 2019)



चण्डीगढ़ (14 नवंबर, 2019)



गुवाहाटी, असम (26 नवंबर, 2020)



कोलकाता, पश्चिम बंगाल (18 जनवरी, 2020)



पुणे, महाराष्ट्र (14 फरवरी, 2020)

22.8 दत्तक-ग्रहण कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर दिल्ली राज्य की समीक्षा बैठक : दिल्ली की समीक्षा कार्यक्रम 21 अक्टूबर, 2019 को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर अंतराष्ट्रीय केंद्र, जनपथ, नई दिल्ली में, दिल्ली में दत्तक-ग्रहण कार्यक्रम के कार्यान्वयन और भावी मार्ग की समीक्षा हेतु आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता

सीईओ, कारा के द्वारा की गई और दिल्ली के एनसीटी के एसएए, सीडब्ल्यूसी, डीसीपीयू और सारा के 81 प्रतिभागियों ने भाग लिया। महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार के सचिव और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।



डॉ. अंबेडकर अंतराष्ट्रीय केन्द्र, जनपथ, नई दिल्ली में दत्तक-ग्रहण कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर दिल्ली राज्य की समीक्षा बैठक (21 अक्टूबर, 2019)

**2.2.9** बाल दत्तक-ग्रहण पर राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला : कारा ने 14 जनवरी, 2020 को नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय सभागार, तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दत्तक-ग्रहण कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर एक राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी और एमडब्ल्यूसीडी के सचिव और मंत्रालय के अन्य बरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। माननीय मंत्री जी ने दत्तक-ग्रहण की मौजूदा प्रक्रिया पर उनकी राय, सामने आने वाली कठिनाईयों और प्रक्रिया को अधिक सक्षम

बनाने हेतु सुझावों के संबंध में राज्यों के प्रतिनिधिमंडलों को प्रोत्साहित कर सुझाव देने के लिए अनुरोध किया।

**2.2.10** माननीय केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और सभी प्रतिभागियों से देश में दत्तक-ग्रहण के कार्यक्रम के विस्तार हेतु कार्य करने का आग्रह किया, जिसमें देश में कानूनी दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वकालत और जागरूकता गतिविधियों को भी शामिल किया गया; विशेष रूप से बड़े बच्चों और भावी दत्तक माता-पिता को जो दत्तक-ग्रहण के झट्टक बच्चों के लिए जिला स्तर पर दत्तक परामर्श को सृष्ट करना; देश में दत्तक-ग्रहण कार्यक्रम को और मजबूत करने हेतु गृह अध्ययन रिपोर्ट की गुणवत्ता में सुधार लाना;



नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली में बालक दत्तक-ग्रहण पर राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला (14 जनवरी, 2020)



नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली में बालक दत्तक-ग्रहण पर राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला (14 जनवरी, 2020)

2.2.11 कारा का 5वाँ वार्षिक दिवस : कारा ने 15 जनवरी, 2020 को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में अपना 5वाँ वार्षिक दिवस आयोजित किया। श्री रवींद्र पंवार, सचिव, एमडब्ल्यूसीडी, श्री अजय तिकै, विशेष सचिव, एमडब्ल्यूसीडी, श्रीमती आस्था सकसेना खटवानी, संयुक्त सचिव, एमडब्ल्यूसीडी सहित मंत्रालय

और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई। कारा के सीईओ द्वारा कारा की जीवन यात्रा पर एक प्रस्तुतीकरण दिया गया। इस समारोह को सांस्कृतिक गतिविधियों एवं कारा के स्मृति चिन्हों जैसे कि वॉल कैलेंडर, टेबल कैलेंडर, कोस्टर और दीवार घड़ी आदि के अनावरण के साथ मनाया गया।



इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में 5वां वार्षिक दिवस (15 जनवरी, 2020)

## 2.3 निरीक्षण एवं निगरानी

2.3.1 जैसा कि जे.जे. अधिनियम, 2015 और दत्तक-ग्रहण विनियम, 2017 के तहत अधिदेशित है, कारा को इस तथ्य को सुनिश्चित करने के लिए एजेसियां अधिनियम और विनियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन कर रही हैं, साथ ही इनके तहत विशिष्ट दत्तक-ग्रहण एजेसियों (एसएए) की गतिविधियों का निरीक्षण और निगरानी करना अपेक्षित है। वर्ष के दौरान, कारा के अधिकारियों ने देश के विभिन्न हिस्सों में 53 एसएए का दौरा किया।

वर्ष 2019-2020 के दौरान किए गए निरीक्षणों का सारांश

क्रम. सं.	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	दत्तक-ग्रहण अभिकरण का निरीक्षण / दौरा किया
1.	आंध्र प्रदेश	04
2.	असम	03
3.	बिहार	01
4.	चंडीगढ़	01
5.	छत्तीसगढ़	02
6.	गुजरात	02
7.	हरियाणा	01
8.	हिमाचल प्रदेश	01
9.	झारखंड	05
10.	कर्नाटक	02
11.	केरल	02
12.	मध्य प्रदेश	07
13.	महाराष्ट्र	05
14.	ओडिशा	03
15.	पंजाब	02
16.	पुदुचेरी	02
17.	सिक्किम	02
18.	तमिलनाडु	02
19.	तेलंगाना	02
20.	उत्तर प्रदेश	02
21.	पश्चिम बंगाल	02
...	<b>कुल</b>	<b>53</b>

### आंध्र प्रदेश

सम्मिलित जिले – चित्तूर, विशाखापत्तनम, कृष्णा और पूर्वी गोदावरी

निरीक्षण किए गए विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की संख्या – 04

1. एसएए-शिशु विहार, चित्तूर
2. एसएए-महिला एवं बाल विकास अभिकरण, विशाखापत्तनम

3. एसएए-शिशुगृह कृष्णा, डैडीजहोम केयर, कृष्णा
4. एसएए- शिशुगृह पूर्व, पूर्वी गोदावरी



### असम

सम्मिलित जिले – लखीमपुर, तिनसुकिया और जोरहाट  
निरीक्षण किए गए विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की संख्या – 03

1. एसएए-जागृति सम्मिलित उन्वयन केंद्र, लखीमपुर
2. एसएए-शांति सेवा आश्रम, तिनसुकिया
3. एसएए-स्वराज एनजीओ, जोरहाट



### बिहार

सम्मिलित जिले – बेगुसराय

निरीक्षण किए गए विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की संख्या – 01

1. एसएए-बेगुसराय

### चण्डीगढ़

सम्मिलित जिले – चण्डीगढ़

निरीक्षण किए गए विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की संख्या – 01

1. एसएए-हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, चण्डीगढ़



### छत्तीसगढ़

सम्मिलित जिले – बिलासपुर और रायपुर

निरीक्षण किए गए विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की संख्या – 02

1. एसएए-बिलासपुर सेवा भारती, बिलासपुर
2. एसएए-मातृछाया सेवा भारती, रायपुर



### गुजरात

सम्मिलित जिले – गोदरा और बड़ौदा

निरीक्षण किए गए विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की संख्या – 02

1. एसएए-गोदरा नारी केंद्र महिला स्वागत केंद्र, पंचमहल
2. एसएए-बड़ौदा राज्य महिला गृह, बड़ौदा



### हरियाणा

सम्मिलित जिले – सोनीपत

निरीक्षण किए गए विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की संख्या – 01

1. एसएए-शिशु गृह बाल, ग्राम राय, सोनीपत

## हिमाचल प्रदेश

सम्मिलित जिले – शिमला

निरीक्षण किए गए विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की संख्या – 01

1. एसएए-हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद, छोटा शिमला

## झारखंड

सम्मिलित जिले – सिमडेगा, रांची, हजारीबाग और खूंटी

निरीक्षण किए गए विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की संख्या – 05

1. एसएए-गुरु गोबिंद सिंह आश्रम, सिमडेगा
2. एसएए-करुणा एनएमओ, रांची
3. एसएए-सृजन फाउंडेशन, हजारीबाग
4. एसएए-सहयोग विलेज, रांची
5. एसएए-सहयोग विलेज, खूंटी



## कर्नाटक

सम्मिलित जिले – कलबुर्गी और विजयापुर

निरीक्षण किए गए विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की संख्या – 02

1. एसएए-श्री सिद्धेश्वर विद्या पीठ (आर) तालिकोटी, विजयापुर
2. एसएए-अमूल्या (जी) शिशु गृह, कलबुर्गी



## केरल

सम्मिलित जिले – मलाप्पुरम और तिरुवनंतपुरम

निरीक्षण किए गए विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की संख्या – 02

1. एसएए- शिशुपरीपालना केन्द्रम, मलापुरम
2. एसएए- केरल राज्य बाल कल्याण परिषद, तिरुवनंतपुरम



## मध्य प्रदेश

सम्मिलित जिले – इंदौर, विदिशा, दमोह, सागर, गुना और ग्वालियर

निरीक्षण किए गए विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की संख्या – 07

1. एसएए- राजकीय बाल संरक्षण आश्रम, इंदौर
2. एसएए- सेवा भारती मातृ छाया, इंदौर

3. एसएए- विदिशा समाज कल्याण संगठन, विदिशा
4. एसएए- बाल भवन आधारशिला संस्थान मरुतल, दमोह
5. एसएए- सेंट फ्रांसिस सेवाधाम, सागर
6. एसएए- मॉं स्वरूप आश्रम, गुना
7. एसएए- सेवा भारती, ग्वालियर

### महाराष्ट्र

सम्मिलित जिले - मुम्बई और पुणे

निरीक्षण किए गए विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की संख्या - 05

1. एसएए- इंडियन एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ एडॉप्शन एंड चाइल्ड वेल्फेयर, मुंबई
2. एसएए- सेंट कैथरीन होम, मुंबई
3. एसएए- अरुण आश्रय चैरिटेबल ट्रस्ट, पुणे
4. एसएए- सुश्री रेणुका महाजन ट्रस्ट, पुणे
5. एसएए- सोसायटी ऑफ फ्रेंड्स ऑफ द सासन हॉस्पिटल (सोफॉश), पुणे



### ओडिशा

सम्मिलित जिले - क्योझर, मयूरभंज

निरीक्षण किए गए विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की संख्या - 03

1. एसएए- मनोज मंजरी शिशु भवन, क्योझर
2. एसएए- ग्रामीण विकास कार्य प्रकोष्ठ, मयूरभंज
3. एसएए- सेल्फ रियलाइजेशन मिशन, क्योझर



### पंजाब

सम्मिलित जिले - अमृतसर और जलंधर

निरीक्षण किए गए विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की संख्या - 02

1. एसएए- अखिल भारतीय पिगलवाड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट, अमृतसर
2. एसएए- भाई घनैया जी चैरिटेबल ट्रस्ट, जालंधर



### पुदुचेरी

सम्मिलित जिले – पॉडिचेरी

निरीक्षण किए गए विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की संख्या – 02

1. एसएए- क्लूनी बाल गृह
2. एसएए- एमाक्यूलेट जॉय होप

### सिविकम

सम्मिलित जिले – नामची और गंगटोक

निरीक्षण किए गए विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की संख्या – 02

1. एसएए- दृष्टि नामची
2. एसएए- ममतालय, गंगटोक

### तमिलनाडु

सम्मिलित जिले – कांचीपुरम और चेन्नई

निरीक्षण किए गए विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की संख्या – 02

1. एसएए- वार्शिनी इलम ट्रस्ट, कांचीपुरम
2. एसएए- बाला मंदिर कामराज ट्रस्ट, चेन्नई





## तेलंगाना

सम्मिलित जिले – नालगोंडा और आदिलाबाद  
निरीक्षण किए गए विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों  
की संख्या – 02

1. एसएए- नालगोंडा शिशु गृह, नालगोंडा
2. एसएए- परियोजना निदेशक, आदिलाबाद



## उत्तर प्रदेश

सम्मिलित जिले – आगरा और मथुरा  
निरीक्षण किए गए विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों  
की संख्या – 02

1. एसएए- राजकीय बाल गृह, आगरा
2. एसएए- राजकीय बाल गृह, मथुरा

## पश्चिम बंगाल

सम्मिलित जिले – मुर्शिदाबाद और गोलाबारी  
निरीक्षण किए गए विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की संख्या  
– 02

1. एसएए- बेलडांगा भागीस्थी सेवा सदन, मुर्शिदाबाद
2. एसएए- केउति पुरबा डहरानी बिप्लबी संघ, गोलबारी

## 2.4 मीडिया और प्रचार

2.4.1 दत्तक-ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 37 (13) के तहत, कारा को दत्तक-ग्रहण और अन्य गैर-संस्थागत बाल देखभाल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए या तो स्वयं या अपने सहबद्ध निकायों द्वारा समर्थन, जागरूकता और सूचना, शिक्षा और संसूचना क्रियाकलाप करना अधिदेशित है।

2.4.2 बचपन-क्रिएटिविटी अनबाउन्डेड' : दिनांक 22 नवंबर, 2019 को सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, सेक्टर 7 द्वारका में दिल्ली के विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों (एसएए) और बाल देखभाल संस्थाओं (सीसीआई) के बच्चों के लिए एक चित्रकला और स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में एसएए और सीसीआई के बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। सीसीआई के निदेशक ने इस आयोजन की शोभा बढ़ाई; बच्चों के लिए नाश्ते और रुचिकर भोजन की व्यवस्था की गई थी। बच्चों की प्रविष्टियों का निर्णय एक नियुक्त आंतरिक समिति द्वारा किया गया और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। आयोजन के दौरान समर्थ थिएटर ग्रुप के कलाकारों द्वारा बच्चों के लिए कहानी वाचन सत्र का भी आयोजन किया गया।



चित्रकला और स्लोगन लेखन प्रतियोगिता में अपनी रचनात्मकता व्यक्त करते बच्चे



चित्रकला और स्लोगन लेखन प्रतियोगिता के दौरान कथा वाचन सत्र

2.4.3 अंतरराष्ट्रीय दत्तक-ग्रहण माह के दौरान दिल्ली और फरीदाबाद में दत्तक-ग्रहण अभिकरणों का दौरा : अंतरराष्ट्रीय दत्तक-ग्रहण माह के अंतिम दिन अर्थात् 30 नवंबर, 2019 को, कारा ने दिल्ली एनसीआर के ग्यारह एसएए का दौरा आयोजित किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय और कारा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दत्तक एजेंसियों का दौरा करने के लिए

टीमों का गठन किया। दौरे के दौरान चिकित्सा और पराचिकित्सा कर्मी भी एजेंसियों में मौजूद थे। कारा द्वारा एजेंसियों को बच्चों के लिए शिक्षाप्रद और मनोरंजक खिलौने और पैक खाद्य वस्तुओं के हैम्पर्स दिए गए। मंत्रालय और कारा के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन एजेंसियों में बच्चों के साथ बातचीत भी की।






2.4.4 सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश का प्रसार : रिपोर्ट की अवधि के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसार कारा के मुख्य फोकस में से एक रहा है। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से नियमित रूप से अद्यतन जानकारी और पहुंच की शुरुआत की गई। सभी हितधारकों के प्रश्नों/शंकाओं का तुरन्त जवाब देने के लिए फेसबुक पर कारा के सीईओ के साथ लाइव प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किए गए। फेसबुक लाइव प्रश्नोत्तर सत्रों का विवरण निम्नानुसार है -

- (क) 03 मई, 2019 : कुल 8046 लोगों तक पहुंचा गया, 1700 लोग शामिल हुए और 211 प्रश्नों/शंकाओं के जवाब दिए गए।
- (ख) 17 सितंबर, 2019 : कुल 9637 लोगों तक पहुंचा गया, 1831 लोग शामिल हुए और 208 प्रश्नों/शंकाओं के जवाब दिए गए।
- (ग) 04 फरवरी, 2020 : कुल 12633 लोगों तक पहुंचा गया, 1735 लोग शामिल हुए और 193 प्रश्नों/शंकाओं के जवाब दिए गए।

2.4.5 उत्तर पूर्वी राज्यों में डिजिटल थिएटर के माध्यम से प्रचार : पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष जोर देने का ध्यान में रखते हुए, 12 नवंबर, 2019 से 20 दिसंबर, 2019 तक छह पूर्वोत्तर राज्यों (असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा) में 39 दिनों के लिए डिजिटल थियेटर्स के माध्यम से वीडियो स्पॉट का प्रसार किया गया। कानूनी दत्तक ग्रहण, विशेष जरूरतों वाले बच्चों का समर्थन और बच्चों की सुरक्षा जरूरतों का समर्थन करना इसका मुख्य उद्देश्य है।



2.4.6 रेडियो कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार : अंतरराष्ट्रीय दत्तक-ग्रहण माह अर्थात् नवंबर, 2019 के दौरान जागरूकता अभियान के तहत, कारा ने आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। ये आपसी बातचीत कार्यक्रम, परिचर्चा और प्रश्नोत्तर सत्र थे।

- (क) एफएम रेनबो पर सिटी लाइट्स : दत्तक-ग्रहण कार्यक्रम और माता-पिता हेतु पंजीकरण प्रक्रिया पर परिचर्चा - 08 नवंबर, 2019।
- (ख) एफएम गोल्ड पर पब्लिक स्पीक : लाइन फोन इन कार्यक्रम - 18 नवंबर, 2019।
- (ग) एफएम रेनबो पर डेलीलाइन : भारत में दत्तक-ग्रहण, प्रत्येक बच्चे के लिए परिवार खोजने की एक सरकारी पहल - 20 नवंबर, 2020।

#### 2.4.7 टेलीविजन पर परिचर्चा :

- (क) राज्य सभा टेलीविजन पर आपका कानून - कारा ने दिनांक 19 जनवरी, 2020 को राज्य सभा टेलीविजन के एक साप्ताहिक कार्यक्रम 'आपका कानून' में "दत्तक-ग्रहण की कानूनी प्रक्रिया" पर एक परिचर्चा में भाग लिया। दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया और उसके बाद बच्चे और दत्तक माता-पिता के अधिकार, विशेषाधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित कानूनी मुद्दों पर पैनल में दो अन्य पैनलिस्टों के साथ चर्चा की गई।
- (ख) राज्य सभा टीवी पर सरोकार - कारा ने दिनांक 02 फरवरी, 2020 को राज्य सभा टीवी के एक साप्ताहिक कार्यक्रम 'सरोकार' में "दत्तक-ग्रहण के नियम एवं नई चुनौतियां" पर एक पैनल परिचर्चा में भाग लिया। इस कार्यक्रम में दत्तक-ग्रहण कार्यक्रम से संबंधित मुद्दे और सभी हितधारकों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों पर तीन अन्य पैनलिस्टों के साथ विचार-विमर्श किया गया।



19 जनवरी, 2020



02 फरवरी, 2020

2.4.8 हौसला 2019 – हौसला 2019 (महिला और बाल विकास मंत्रालय का वार्षिक आयोजन ) के हिस्से के रूप में, कारा ने 19 दिसंबर, 2019 को देश भर से “हौसला 2019” में भाग लेने वाले बाल देखभाल संस्थाओं के बच्चों के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। चित्रकला प्रतियोगिता में कुल 93 बच्चों ने भाग लिया। उनकी रचनात्मकता का आकलन करने के लिए बच्चों को दो श्रेणियों में अर्थात् 12 साल तक और 12 साल से ऊपर की श्रेणियों में बांटा गया था। ज्यूरी ने प्रत्येक समूह से तीन बच्चों का चयन किया, जिन्हें आयोजन के समापन समारोह के दौरान उनकी रचनात्मकता के लिए सम्मानित किया गया।



हौसला 2019 कार्यक्रम के भाग में रूप में कारा द्वारा सीसीआई के बच्चों हेतु चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन (19 दिसम्बर, 2019)

## 2.5 महत्वपूर्ण कार्यक्रम गतिविधियाँ

**2.5.1** एसएए-सीसीआई लिंकेज : माता-पिता की देखभाल के बिना रह रहे प्रत्येक बच्चे तक पहुंचने के उद्देश्य से विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों (एसएए) और बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) के बीच लिंकेज स्थापित किया गया है। सीसीआई के अनिवार्य पंजीकरण और लिंकेज के लिए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एसएए-सीसीआई लिंकेज को प्रोत्साहित किया गया है। जे.जे. अधिनियम, 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार कुल 6115 बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) को पंजीकृत किया गया है, जिसमें से 5796 सीसीआई को जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 66 में प्रावधान के अनुसार एसएए से जोड़ा गया है।

**2.5.2** नया एमईआर मॉड्यूल : अपेक्षित विचार-विमर्श और लगातार कड़ी मेहनत के बाद, नया एमईआर मॉड्यूल तैयार किया गया है और सुरक्षा सरोकार के लिए इसकी लेखा परीक्षा की गई है और अब यह उपयोगकर्ता परीक्षण के लिए केयरिंग्स पोर्टल पर लाइव है। हालांकि, सभी एसएए को इसका उपयोग करने के लिए तैयार और प्रशिक्षित करके उन्हें समर्थ बनाने के लिए इसे धीरे-धीरे लागू किया जाएगा। डॉ. शेफाली गुलाटी की अध्यक्षता में एम्स के डॉक्टरों के पैनल द्वारा सुझाए गए इस मॉड्यूल में निर्धारित मापदंडों के आधार पर डॉक्टरों को बच्चों को चिकित्सकीय रूप से वर्गीकृत करने में मदद मिलेगी।

**2.5.3** कारा हेल्पलाइन : टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-111-311 को तीन टेली काउंसलर्स के साथ शुरू किया गया है जो पीएपी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। औसतन, टेली काउंसलर प्रतिदिन 153 कॉलों का उत्तर देते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान हेल्पलाइन के माध्यम से उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या 35778 थी।

## 2.6 उप-समितियों का गठन

**2.6.1** दत्तक-ग्रहण संबंधी मुद्दों पर कानूनी पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए संसाधन व्यक्तियों की उप-समिति का गठन: 15 नवंबर, 2019 को आयोजित संचालन समिति की 23वीं बैठक (एजेन्डा बिंदु सं. 4) में लिए गए उसके निर्णय के अनुसार, अधिवक्ता अपर्णा भट्ट की अध्यक्षता में 07 फरवरी, 2020 को वकीलों के प्रशिक्षण के लिए संसाधन व्यक्तियों की एक उप-समिति का गठन किया गया। उप-समिति प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एक

व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाने, सभी सत्रों के लिए आईईसी सामग्री तैयार करने और संबंधित एसएआरए की मदद से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रम के समन्वय/सुगम बनाने के लिए जिम्मेदार होगी।

**2.6.2** दत्तक-ग्रहण संबंधी मुद्दों पर मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए संसाधन व्यक्तियों की उप-समिति का गठन : 15 नवंबर, 2019 को आयोजित संचालन समिति की 23वीं बैठक (एजेन्डा बिंदु सं. 8) में लिए गए उसके निर्णय के अनुसार, डॉ. राजेश सागर की अध्यक्षता में 20 फरवरी, 2020 को मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए संसाधन व्यक्तियों की एक उप-समिति का गठन किया गया। उप-समिति राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए प्रशिक्षणार्थियों हेतु प्रशिक्षण आयोजित करेगी और प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों का एक समूह बनाएगी। इसके बाद, ये प्रशिक्षित पेशेवर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षण देंगे, फलतः पीएपी और बच्चों को परामर्श देने के लिए जिला स्तर पर पर्याप्त प्रशिक्षित पेशेवर तैयार होंगे।

## 2.7 अन्य पहलें/गतिविधियाँ

**2.7.1** रिपोर्ट की अवधि के दौरान कारा में आयोजित विभिन्न अन्य गतिविधियाँ, आयोजन और कार्यक्रम इस प्रकार हैं :-

**2.7.2** 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन : 16 से 28 सितंबर, 2019 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। 'हिंदी पखवाड़ा' के दौरान निबंध लेखन प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, स्वरचित हास्य कविता पाठ, नोटिंग और ड्रापिंग प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान और राजभाषा सम्बन्धित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।





2.7.3 'स्वच्छता ही सेवा अभियान' : कारा द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 को 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान कार्यालय और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता की विभिन्न गतिविधियों की गई। कारा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा हर जगह स्वच्छता सुनिश्चित करने और उसके साथ ही समाज में 'आदरणीय बापू' द्वारा परिकल्पित स्वच्छता के विचार को फैलाने के लिए 'स्वच्छता शपथ' ली गई।

2.7.4 लिंग संवेदीकरण और महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पर कार्यशाला : कारा ने अपने अधिकारियों और

कर्मचारी सदस्यों के लिए 15 नवंबर, 2019 को कारा के सम्मेलन हॉल में लिंग संवेदीकरण और महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। यूथ वीमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन (वाईडब्ल्यूसीए) के दो संसाधन व्यक्तियों ने कारा में कार्यशाला का संचालन किया। लिंग संवेदीकरण संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और लोगों को लिंग संवेदीकरण की बारीकियों को समझने और उन्हें कार्यस्थल और सामाजिक बातचीत और समारोहों में पर उचित व्यवहार सीखाने के लिए बहुत ही रोचक और बेहतर तरीके से और रोल प्ले विधियों की मदद से विचार-विमर्श किया गया।



\*\*\*\*\*

## वैधानिक अनुपालन

### 3.1 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 से संबंधित जानकारी :

3.1.1 केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम हेतु एक नोडल अधिकारी, दो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), (एक प्रशासनिक विभाग और एक कार्यक्रम विभाग हेतु) और दो अपीलीय प्राधिकारी (एए) (एक प्रशासनिक विभाग और एक कार्यक्रम विभाग हेतु) हैं।

3.1.2 वर्ष 2019-20 के दौरान, कारा को कुल 137 ऑनलाइन/ऑफलाइन (सीधे/हस्तांतरित मामले) आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए। 137 आरटीआई आवेदनों में से, सीपीआईओ (कारा) ने वर्ष 2019-20 के दौरान 114 आरटीआई आवेदनों का उत्तर दिया (निपटान/हस्तांतरित किए)। सीपीआईओ (कारा) ने वर्ष 2018-19 के लंबित आरटीआई आवेदनों का उत्तर दिया जिन्हें वर्ष 2018-19 से अग्रणीत किया गया था।

3.1.3 इसके अलावा, कारा को कुल 09 ऑनलाइन/ऑफलाइन अपील आवेदन (सीधे/हस्तांतरित) प्राप्त हुए, अपीलीय प्राधिकरण (कारा) ने सभी 9 अपील आवेदनों का उत्तर वर्ष 2019-20 की समय-सीमा के भीतर जारी किया।

3.1.4 आरटीआई आवेदनों और आरटीआई अपील आवेदनों का तिमाही वार विवरण नीचे दिया गया है-

#### (क) आरटीआई आवेदनों -

तिमाही	ऑनलाइन/ऑफलाइन प्राप्त आरटीआईओं की संख्या (सीधे/हस्तांतरित मामले)	हस्तांतरित/निपटान किए गए ऑनलाइन/ऑफलाइन आरटीआईओं की संख्या	ऑनलाइन/ऑफलाइन लंबित आरटीआईओं की संख्या जिन्हें अगली तिमाही में अग्रणीत किया गया
प्रथम तिमाही	31	22	09
द्वितीय तिमाही	57	64	02
तृतीय तिमाही	25	25	02
चतुर्थ तिमाही	24	03	23
योग	137	114	36

#### (ख) आरटीआई अपील आवेदनों -

तिमाही	ऑनलाइन/ऑफलाइन प्राप्त अपीलों की संख्या (सीधे/हस्तांतरित मामले)	हस्तांतरित/निपटान किए गए ऑनलाइन/ऑफलाइन अपीलों की संख्या	ऑनलाइन/ऑफलाइन लंबित अपीलों की संख्या जिन्हें अगली तिमाही में अग्रणीत किया गया
प्रथम तिमाही	02	02	
द्वितीय तिमाही	01	01	
तृतीय तिमाही	05	04	01
चतुर्थ तिमाही	01	02	
योग	09	09	

### 3.2 शिकायत प्रबंधन

3.2.1 रिपोर्ट की अवधि के दौरान, विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों और उनके उत्तरों का विवरण -

शिकायत/प्रश्न का प्रकार	कुल प्राप्त शिकायतें/प्रश्नों की संख्या	कुल उत्तर दी गई शिकायतें/प्रश्नों की संख्या
पीएमओ पीजी/सीपी ग्राम	48	47
शिकायतें	6302	6302
शिकायत अपीलें	92	92

### 3.3 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी जानकारी-

3.3.1 कारा में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंधित एक आंतरिक समिति है।

\*\*\*\*\*



## आंकड़ा आधार

### 4.1 अंतिम तीन वर्षों के दत्तक-ग्रहण आंकड़े (समेकित) : -

दत्तक-ग्रहण	2017-2018	2018-2019	2019-2020
देशीय	3276	3374	3351
अंतरदेशीय	651	653	394

### 4.2 वर्ष 2019-2020 हेतु राज्य और लिंग-वार दत्तक-ग्रहण आंकड़ों (देशीय और अंतरदेशीय) का विवरण-

क्रम सं.	राज्य/यु.टी.	देशीय			अंतरदेशीय		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप	02	0	02	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	59	72	131	03	25	28
3.	असम	59	49	108	02	01	03
4.	अरुणाचल प्रदेश	01	0	01	0	0	0
5.	बिहार	34	91	125	07	18	25
6.	चंडीगढ़	03	04	07	02	01	03
7.	छत्तीसगढ़	27	41	68	04	08	12
8.	दादर और नागर हवेली	0	05	05	0	0	0
9.	दिल्ली	90	62	101	00	14	23
10.	गोवा	04	06	10	0	0	0
11.	गुजरात	36	63	99	09	08	17
12.	हरियाणा	27	54	81	05	09	14
13.	हिमाचल प्रदेश	03	02	05	0	0	0
14.	झारखंड	40	36	76	03	04	07
15.	कर्नाटक	111	150	261	09	12	21
16.	केरल	56	59	115	04	06	10
17.	मध्य प्रदेश	80	79	159	08	13	21
18.	महाराष्ट्र	251	318	569	26	31	57
19.	मणिपुर	02	09	11	02	0	02
20.	मेघालय	03	11	14	01	0	01
21.	मिजोरम	14	17	31	0	01	01
22.	नागालैंड	08	04	12	0	01	01
23.	ओडिशा	104	118	222	13	18	31
24.	पुडुचेरी	07	06	13	0	01	01
25.	पंजाब	21	39	60	08	12	20
26.	राजस्थान	63	100	163	05	11	16
27.	सिक्किम	15	13	28	02	0	02
28.	तमिलनाडु	127	163	290	03	06	09
29.	तेलंगाना	32	81	113	04	12	16
30.	त्रिपुरा	10	12	22	0	01	01

31.	उत्तर प्रदेश	84	147	231	09	24	33
32.	उत्तराखण्ड	05	05	10	0	01	01
33.	पश्चिम बंगाल	86	122	208	07	11	18
...	कुल	1413	1938	3351	145	249	394

**4.3 वर्ष 2019-20 हेतु देश और लिंग-वार दत्तक-ग्रहण आंकड़ों (भारतीय बच्चों का अंतर्देशीय दत्तक-ग्रहण) का विवरण -**

क्रम सं.	देश	पुरुष	महिला	कुल
1.	ऑस्ट्रेलिया	02	02	04
2.	ऑस्ट्रिया	0	01	01
3.	बेल्जियम	02	05	07
4.	कनाडा	08	15	23
5.	सीजेक रिपब्लिक	0	01	01
6.	डेनमार्क	01	02	03
7.	फिनलैंड	0	03	03
8.	फ्रांस	04	03	07
9.	जर्मनी	0	02	02
10.	आयरलैंड	01	01	02
11.	इटली	43	47	90
12.	माल्टा	09	15	24
13.	मॉरीशस	01	0	01
14.	न्यूजीलैंड	0	07	07
15.	सिंगापुर	0	01	01
16.	स्पेन	21	44	65
17.	स्वीडन	05	04	09
18.	यू.के.	04	04	08
19.	यू.ए.ई.	02	02	04
20.	यु.एस.ए.	42	90	132
...	कुल	145	249	394

**4.4 श्रेणी-वार दत्तक-ग्रहण आंकड़ों (देशीय) का विवरण -**

अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण दत्तक	नातेदारी दत्तक ग्रहण	सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तक-ग्रहण
3172	152	27

**4.5 श्रेणी-वार (अंतर्देशीय) दत्तक-ग्रहण के आंकड़ों का विवरण -**

अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों का दत्तक-ग्रहण	नातेदारी दत्तक-ग्रहण
365	29

\*\*\*\*\*

## अनुलग्नक

### 5.1 परिशिष्ट-क : राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरणों (सारा) का राज्य-वार विवरण :-

क्र. सं.	राज्य/यु.टी.	संबंधित सारा	संपर्क विवरण
(क)	अंडमान और निकोबार द्वीप	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण, ओ./ओ. समाज कल्याण निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन, दक्षिण अंडमान - 744102	कार्यक्रम सहायक दूरभाष : 03192-234646 ईमेल : sara4andaman@gmail.com
(ख)	आंध्र प्रदेश	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण, ओ./ओ. महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग, चौथी मंजिल, जम्पानी टॉवर्स, लॉज सेंटर के पास, अमरावती रोड, गुंटूर, आंध्र प्रदेश-522006	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल : 9703762625  कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल : 08121034803, 9963332293  कार्यक्रम अधिकारी (आईसीपीएस) - 8977000229  ईमेल : adoptionandhra@gmail.com apwcdw@gmail.com
(ग)	अरुणाचल प्रदेश	समाज कल्याण विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार, पोस्ट बॉक्स नं. - 227, नाहरलागुआन, अरुणाचल प्रदेश - 791112	कार्यक्रम सह कर्मचारी 8794592625, 9612567539 ईमेल : ar.womanchild@gmail.com
(घ)	असम	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण ओ./ओ. राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी, असम सरकार, प्रथम मंजिल, मकान नं. 46, सर्वे बस स्टाप, बेलटोला गुवाहाटी- 28, असम	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल : 09864483226  कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल : 09085962276  दूरभाष : 0361-2229275, 2265389 टेलीफैक्स : 0361-2229275  ईमेल : scpsassam@gmail.com, saraassam8@gmail.com
(ङ)	बिहार	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण दूसरी मंजिल, अपना घर, ललित भवन के पीछे, पुनाईचक, बेली रोड, पटना-800023, बिहार	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल : 09955404688 कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल : 7858901672 कार्यक्रम सहायक मोबाइल : 09308784953 दूरभाष : 0612.2545033  ईमेल : sara-bih@gov.in brajesh1098@gmail.com
(च)	चण्डीगढ़	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण केंद्र शासित बाल संरक्षण सोसाइटी, अतिरिक्त टाउन हॉल बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, सेक्टर 17बी, चण्डीगढ़	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल : 08146844121 दूरभाष : 0172.2548000  ईमेल : utcpschandigarh@gmail.com

(छ)	छत्तीसगढ़	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा) महिला व बाल विकास निदेशालय तीसरी मंजिल, ब्लाक-क, इंदिरावती भवन, नया रायपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़- 492001	श्री रमेश साहू सहायक निदेशक मोबाइल : 9165358907  डॉ. रामसरण चौकसी कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल : 9827977752  श्री अशोक सिन्हा कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल : 9827484691, टेलीफैक्स : 0771-2220006 ईमेल : cgsara2015@gmail.com
(ज)	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण, बाल संरक्षण सेवा डी1/4, सरकारी आवास, धोलर, मोती दमन	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल : 9879573299, 9601286819 दूरभाष : 0260.2230085 ईमेल : dnhsara@gmail.com, icpsswd@gmail.com
(झ)	दिल्ली	महिला एवं बाल विकास विभाग 5वीं मंजिल, आईएसबीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006	कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल : 09911813487  ईमेल : saraarcdelhi@gmail.com
(ञ)	गोवा	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण ओ./ओ. महिला एवं बाल विकास निदेशालय, द्वितीय तल, पुरानी शिक्षा बिल्डिंग, 18 जून रोड, पणजी, गोवा -403001	कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल : 8329358365  परिवीक्षा अधिकारी (एच.क्यू.) दूरभाष : 0832-9358365, फैक्स : 0832-2426112 ईमेल : dir-wcd.goa@nic.in
(ट)	गुजरात	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण, गुजरात राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी गुजरात सरकार, ब्लाक - 19, तृतीय तल, पुराना सचिवालय, डॉ. जीवराज मेहता भवन, सेक्टर - 10/ए, गांधीनगर, गुजरात - 382010	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल : 09737615383  कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल : 09428606094 दूरभाष : 079-23242521 / 22 / 23 फैक्स : 079-23242522 ईमेल : pmsara-gscps-gnr@gujarat.gov.in
(ठ)	हरियाणा	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा सरकार, बेयस नं 15-20, सेक्टर 4, पंचकुला, हरियाणा	कार्यक्रम प्रबंधक दूरभाष : 0172-2560349 मोबाइल : 7986351627 ईमेल : sara.icps@gmail.com
(ड)	हिमाचल प्रदेश	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला एवं बाल विकास निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार, केडर भवन, हिमलैड होटल के निकट, शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल : 09418245773 दूरभाष : 0177-2629731 फैक्स : 0177-2629731 ईमेल : hscps.icps@gmail.com
(ढ)	झारखंड	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण समाज कल्याण विभाग महिला एवं बाल विकास, ओ./ओ. झारखंड राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, झारखंड सरकार, इंजीनियरस होस्टल, द्वितीय तल, सेक्टर- 3, धूवा, रांची - 4, झारखंड-834004	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल : 9102205141 9334538212 दूरभाष : 0651.6573272 ईमेल : sarajharkhand@gmail.com

(ग)	कर्नाटक	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण निदेशालय बिल्डिंग, गेट नं. 2 प्रथम तल, एम.एस. बिल्डिंग, डॉ. अंबेडकर वीधी रोड, बैंगलुरु, कर्नाटक- 560001	उप निदेशक और कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल : 09886474749 कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल : 09108377782, 08022879382, 9108377782 दूरभाष : 080-22879381, 22879382, 22353776 फैक्स : 080-22353777 ईमेल : dirwcd@kar.nic.in, jdpdm.dwcd@gmail.com, icpsarakar@gmail.com
(त)	केरल	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला एवं बाल विकास विभाग, केरल सरकार, आई.पी.सी.एस.-एस.ए.आर.ए. पूजापुरा, तिरुवनंतपुरम, केरल	संयुक्त निदेशक मोबाइल : 09447533690 कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल : 09747499612 दूरभाष : 0471-2342234 ईमेल : keralasara@gmail.com, icpskerala@gmail.com
(थ)	मध्य प्रदेश	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला एवं बाल विकास निदेशालय, विजयाराजे वात्सल्य भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल-462001, मध्य प्रदेश	अपर निदेशक मोबाइल : 9425442601 सहायक निदेशक मोबाइल : 9893095804 कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल : 8770242457 ईमेल : icpsbhopal@gmail.com, icpsscheme.we@mp.gov.in
(द)	महाराष्ट्र	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, द्वितीय तल, महिला एवं बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र सरकार, 28, क्वींस गार्डन, पुराने सर्किट हाउस के निकट, पुणे - 411001 महाराष्ट्र	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल : 9657796535 कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल : 7414952726 दूरभाष : 020.26360063 ईमेल : sara.mspps@gmail.com
(न)	मणिपुर	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण ओ./ओ. समाज कल्याण विभाग, मणिपुर सरकार, निदेशालय परिसर, ए.टी. लाइन (द्वितीय एम.आर. गेट), इफाल, मणिपुर-795001	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल : 08415902838, 7005183398 कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल : 08415943378, 7005496181 ईमेल : manipursara@gmail.com
(प)	मेघालय	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण ओ./ओ. राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी मेघालय सरकार, लोवर लंचूमीयरी, हॉपकिंस रोड, शिलांग-793001, मेघालय	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल : 09612948543 कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल : 8014138803 7005033846 दूरभाष : 0364.2501268 फैक्स : 0364.2225978 ईमेल : sara.shillong@gmail.com
(फ)	मिजोरम	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण वेरडेट रिज, हाउस नंबर 1-61/ई-1/बी, डगलेना बिल्डिंग, ताइतेसेना सेक्शन, लाईपूतलंग, ऑइजवाल, मिजोरम-796012	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल : 09436190895 कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल : 09862329347 दूरभाष : 0389.2306957 ईमेल : saramzr@ymail.com, vanlaldini@yahoo.com

(ब)	नागालैंड	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण, ओ./ओ. राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी पी.आर. हिल्स, एस.पी. कार्यालय के निकट, एयरस बिल्डिंग, कोहिमा, नागालैंड-797001	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल : 09436282856  कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल : 09089979334 टेलीफैक्स : 0370.2242979 ईमेल : <a href="mailto:scpsnagaland@gmail.com">scpsnagaland@gmail.com</a> , <a href="mailto:renchumi@yahoo.com">renchumi@yahoo.com</a>
(भ)	ओडिशा	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण, महिला एवं बाल विकास, मिशन शक्ति भवन, गंडमुंडा, खंडागिरी, भुवनेश्वर-751003, ओडिशा	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल : 9438345784  कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल : 09438350598 दूरभाष : 0674.2353122 ईमेल : <a href="mailto:pm.sara.od@nic.in">pm.sara.od@nic.in</a> , <a href="mailto:saraodisha09@gmail.com">saraodisha09@gmail.com</a>
(म)	पुदुचेरी	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण, ओ./ओ. समाज कल्याण निदेशालय, पुदुचेरी सरकार, नं. 1, सारादंबल नगर मेन रोड, इलाईपिलईयवाडी, पुदुचेरी-605005	उप निदेशक सह कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल : 09843436993 9043707394  कार्यक्रम सहायक यु.टी. का पुदुचेरी चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी मोबाइल : 09043707394 दूरभाष : 0413.2200088, 2205871 / 12 फैक्स : 0413.2206762 / 2200088 ईमेल : <a href="mailto:directorofsocialwelfare@yahoo.com">directorofsocialwelfare@yahoo.com</a> , <a href="mailto:comdswicpspy@gmail.com">comdswicpspy@gmail.com</a>
(य)	पंजाब	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण, ओ./ओ. सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब सरकार, एस.सी.ओ. संख्या 102-103, सेक्टर-34ए, चंडीगढ़-160022, पंजाब	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल : 09592104500  दूरभाष : 0172-2608746, 2602726 फैक्स : 0172-2664533 ईमेल : <a href="mailto:sarai cpspunjab@gmail.com">sarai cpspunjab@gmail.com</a> <a href="mailto:icps.punjab@gmail.com">icps.punjab@gmail.com</a>
(र)	राजस्थान	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण, बाल अधिकार विभाग, 20/198, कोवेरी पथ, सेक्टर -2, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान	उप निदेशक, सारा दूरभाष : 0141-2399335 / मोबाइल : 9829268817 कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल : 9460880062 ईमेल : <a href="mailto:dcr.raj@rajasthan.gov.in">dcr.raj@rajasthan.gov.in</a>
(ल)	सिक्किम	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण, सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग, सिक्किम सरकार, पुरानी वेस्ट प्वाइंट स्कूल, निकट प्राइवेट टैक्सो स्टैंड, निकट हगरी जैक होटल, गंगटोक, सिक्किम-737101	कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल : 08670019974, 9167728857 कार्यक्रम सहायक मोबाइल : 07908598616 दूरभाष : 03592.202828 फैक्स : 03592.225682 ईमेल : <a href="mailto:icpsikkim@gmail.com">icpsikkim@gmail.com</a> , <a href="mailto:sarasikkim@gmail.com">sarasikkim@gmail.com</a> <a href="mailto:rahuldumi@gmail.com">rahuldumi@gmail.com</a>
(व)	तमिलनाडु	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण, समाज सुरक्षा निदेशालय, तमिलनाडु सरकार, नंबर 300, पुरासावलकम हाई रोड, कोलीज, चेन्नई-600032, तमिलनाडु	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल : 09444784421  कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल : 8148225330 09952686904 दूरभाष : 044.26423050 ईमेल : <a href="mailto:saratndsw@gmail.com">saratndsw@gmail.com</a>

(श)	तेलंगाना	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण, महिला विकास और बाल कल्याण विभाग निदेशालय, 8-3-222, वैंगल राव नगर, राज्य होम परिसर, अमीरपेट, हैदराबाद-500038, तेलंगाना	संयुक्त निदेशक मोबाइल : 09440814456 कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल : 7989787906 कार्यक्रम प्रबंधक दूरभाष : 040.23733848, 23733665, 6303230917 ईमेल : <a href="mailto:fgwdcw@gmail.com">fgwdcw@gmail.com</a> , <a href="mailto:tgaoption@gmail.com">tgaoption@gmail.com</a>
(ष)	त्रिपुरा	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण, ओ./ओ. समाज और शिक्षा निदेशालय, त्रिपुरा सरकार, उजन अभोग नगर, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा - 799005	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल : 08837060371 कार्यक्रम सहायक मोबाइल : 9436483519, 8974061161 दूरभाष : 0381-2326033 फैक्स : 0381-2323980 ईमेल : <a href="mailto:cw.dswe@gmail.com">cw.dswe@gmail.com</a> , <a href="mailto:dswe_agt@yahoo.com">dswe_agt@yahoo.com</a> , <a href="mailto:dswepcell@gmail.com">dswepcell@gmail.com</a> , <a href="mailto:chiranjit.utitsl@gmail.com">chiranjit.utitsl@gmail.com</a>
(स)	उत्तराखण्ड	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण, महिला कल्याण निदेशालय 29/20, नेमी रोड, डलन वाला, देहरादून-248001 उत्तराखण्ड	कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल : 09410722092, 9084078387 दूरभाष : 0135-2107009 फैक्स : 0135-2656432 ईमेल : <a href="mailto:ukchiefpo@gmail.com">ukchiefpo@gmail.com</a>
(ह)	उत्तर प्रदेश	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण, ओ./ओ. निदेशक, महिला कल्याण, महिला कल्याण और बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, 8वां तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ -226001, उत्तर प्रदेश	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल : 08707813782 दूरभाष : 0522.2286402 फैक्स : 0522.2286140, 2286451 ईमेल : <a href="mailto:upsara2015@gmail.com">upsara2015@gmail.com</a> , <a href="mailto:directormahilakalyan@gmail.com">directormahilakalyan@gmail.com</a>
(क्ष)	पश्चिम बंगाल	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण, बाल अधिकार और तस्करी निदेशालय शैशाली भवन, साल्ट लेक सिटी, सेक्टर - 1, डीएफ खंड, कोलकाता- 700064 पश्चिम बंगाल	कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल : 9875601896 दूरभाष : 033.23560351 फैक्स : 033.2337578 ईमेल : <a href="mailto:adoption.sarawb@gmail.com">adoption.sarawb@gmail.com</a>

5.2 परिशिष्ट-ख : केयरिंग्स पर पंजीकृत जिला बाल संरक्षण एकाई (डीसीपीयू) की राज्य-वार संख्या

क्रम.सं.	राज्य	केयरिंग्स पर पंजीकृत डीसीपीयू की संख्या
(क)	आंध्र प्रदेश	13
(ख)	अरुणाचल प्रदेश	18
(ग)	असम	28
(घ)	बिहार	38
(ङ)	चण्डीगढ़	1
(च)	छत्तीसगढ़	27
(छ)	दादर और नागर हवेली और दमन व द्विप	3
(ज)	दिल्ली	11
(झ)	गोवा	0
(ञ)	गुजरात	33
(ट)	हरियाणा	21
(ठ)	हिमाचल प्रदेश	12
(ड)	झारखंड	24
(ढ)	कर्नाटक	30
(ण)	केरल	14
(त)	मध्य प्रदेश	51
(थ)	महाराष्ट्र	36
(द)	मणिपुर	9
(न)	मेघालय	13
(प)	मिजोरम	8
(फ)	नागालैंड	11
(ब)	ओडिशा	30
(भ)	पुदुचेरी	2
(म)	पंजाब	22
(य)	राजस्थान	33
(र)	सिक्किम	4
(ल)	तमिलनाडु	32
(व)	तेलंगाना	31
(श)	त्रिपुरा	8
(ष)	उत्तर प्रदेश	72
(स)	उत्तरांचल	13
(ह)	पश्चिम बंगाल	22
...	कुल	670

नोट : हमारे वेबसाइट पर डीसीपीयू के संपर्क विवरण उपलब्ध हैं।



5.3 परिशिष्ट-ग : केयरिंग्स पर पंजीकृत विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों (एसएए) की राज्य-वार संख्या :

क्रम.सं.	राज्य	केयरिंग्स पर पंजीकृत एसएए की संख्या
(क)	आंध्र प्रदेश	14
(ख)	अरुणाचल प्रदेश	1
(ग)	असम	22
(घ)	बिहार	27
(ङ)	चण्डीगढ़	1
(च)	छत्तीसगढ़	13
(छ)	दादर और नागर हवेली और दमन व द्विप	1
(ज)	दिल्ली	11
(झ)	गोवा	2
(ञ)	गुजरात	16
(ट)	हरियाणा	8
(ठ)	हिमाचल प्रदेश	1
(ड)	झारखंड	15
(ढ)	कर्नाटक	31
(ण)	केरल	18
(त)	मध्य प्रदेश	30
(थ)	महाराष्ट्र	56
(द)	मणिपुर	9
(न)	मेघालय	6
(प)	मिजोरम	7
(फ)	नागालैंड	4
(ब)	ओडिशा	28
(भ)	पुदुचेरी	3
(म)	पंजाब	9
(य)	राजस्थान	35
(र)	सिक्किम	4
(ल)	तमिलनाडु	21
(व)	तेलंगाना	11
(श)	त्रिपुरा	9
(ष)	उत्तर प्रदेश	20
(स)	उत्तरांचल	7
(ह)	पश्चिम बंगाल	22
...	कुल	462

नोट : हमारे वेबसाइट पर एसएए के संपर्क विवरण उपलब्ध हैं।

5.4 परिशिष्ट-घ : प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरणों (एएफएए) की देशीय-वार संख्या एवं विवरण:

5.4.1 एएफएए का सारांश :-

क्रम सं.	देश का नाम	एएफएए की संख्या
(क)	बेल्जियम	3
(ख)	कनाडा	5
(ग)	डेनमार्क	1
(घ)	फिनलैंड	1
(ङ)	फ्रांस	6
(च)	हॉंगकॉंग	1
(छ)	आइसलैंड	1
(ज)	आयरलैंड	1
(झ)	इटली	10
(ञ)	लक्समबर्ग	1
(ट)	माल्टा	2
(ठ)	नीदरलैंड	1
(ड)	न्यूजलैंड	2
(ढ)	सिंगापुर	1
(ण)	दक्षिण अफ्रीका	1
(त)	स्पेन	4
(थ)	स्वीडन	2
(द)	स्विट्जरलैंड	1
(न)	यू.के.	1
(प)	यू.ए.ई.	1
(फ)	यू.एस.ए.	16
(ब)	नॉर्वे	2
...	<b>कुल</b>	<b>65</b>

5.4.2 एएफएए का विवरण :-

क्रम सं.	देश का नाम	अभिकरण का नाम व पता	ई-मेल
(क)	बेल्जियम	ईफेंटस डी लेसपोइर चिल्ड्रन फॉर होप रोए डे मॉन्टिंगनी-13, लीटरेज (प्रथम तल) 6000 चारलेरोइ बेल्जियम	n.foulon@skynet.be nathali.efoulon07@gmail.com enfantsespoir@gmail.com
		रेय ऑफ होप (मर्जर विद जोय सोर्वस होप) केनेपतेनडस्ट्राट 25, 9160 लोक्रेन, ब्रुसेल्स, बेल्जियम	ray.of.hope.vzw@pandora.be
		फ्लेनडर इंटरकंटरी एंडोप्शन केयर (एफआईएसी) स्टेशनस स्ट्राट 80ए, बी-2440 गील, ब्रुसेल्स, बेल्जियम	info@fiac-vzw.be

(ख)	कनाडा	कॉर्नरस्टोन एडोप्शन एजेसी, 360 बेएली स्ट्रीट, सूट 201 एजेक्स, ओनटारियो, एल1एस 1पी1 कनाडा	info@cornerstoneadoption.ca
		चिल्ड्रनस ब्रिज इंटरनेशनल एडोप्शन कंसल्टेंटस 1400 क्लाइडे एवेन्यू, सूट 221, ओटावा, ओनटारियो, के2जी 312 कनाडा	info@childrensbridge.com
		सनराईज फैमिली सर्विसेज सोसाइटी रू102-171, वेस्ट एसप्लानेड, नार्थ वैकूवर, बीसी वी7एम 3जे9, कनाडा	info@sunriseadoption.com mary@sunriseadoption.com
		चॉइस एडोप्शन एंड प्रेगनेन्सी काउंसलिंग, ब्रिटिश कोलंबिया 850 ब्लैनशार्ड एसटी, विक्टोरिया, बीसी वी8डब्ल्यू 2एच2	choices@choicesadoption.ca
		फैमिली सर्विसेज ऑफ ग्रेटर वैकूवर (एफएसजीवी), ईस्ट ब्रॉडवे, वैकूवर, कनाडा	
(ग)	डेनमार्क	दानिश इंटरनेशनल एडोप्शन होवेडजडेन 24, 3460 बिरकेरोड, डेनमार्क	mail@danadopt.dk ac@a-c.dk
(घ)	इथियोपिया	श्री. मेसफिन गेबरेमरियम पी.ओ.बॉक्स 145180 एडिस अबाबा, इथियोपिया सी/ओ एमबेसी ऑफ इडिया अराडा डिस्ट्रीक्ट, केबेले 13/14 मकान न. 224, पी.बी. नं.528, एडिस अबाबा, इथियोपिया	mesgeb@gmail.com cons.addisababa@mea.gov.in
(ङ)	फिनलैंड	इंटरपीडिया आर.वाई. ऐसेमामईहेनकादू 4 बी/ स्टेशनसकरलेसगाटन 4बी, फिन-00520 हेलसीनकी/ फिन-00520 हेलसीगफोरस फिनलैंड	ilona.korhonen@interpedia.fi eija.kiiskinen@interpedia.fi toimisto@interpedia.fi
(च)	फ्रांस	कफेडरेशन फ्रांसिस पोर एल एडोप्शन कोफा-कमिटे डे मार्शीली ओईपूवरे डे एल एडोप्शन 12, रोए बेल एयर-13006 मार्शीली फ्रांस	odamarseille@wanadoo.fr
		इफेटस एसपोयर डू मॉडे (ईडीएम/एडोप्ट) 2, रोए क्लोस्टर 67140 बार, फ्रांस	eedm.adopt@wandoofr
		ले रेयोन डे सोलेल डे आई इफेट ईट्रेन्जर : 8 बिस, रोए, मारटेल 75010 पेरिस फ्रांस	soleil.rayon@wanadoo.fr rdsee.adoptoninde@gmail.com
		लेस इफेटस डे एल एसपेरेस, 22, एली पॉल इलूअर्ड-77420 चैम्पस सोर मरने फ्रांस	suzannem.ede@gmail.com delacour@chello.fr mousette@hotmail.com

		इंफेंटस डू मॉडे 87, रोए डे ला बासी 59000 लीले फ्रांस	edmfcontact@gmail.com edmfcontact@yahoo.fr
		एजेसे फ्रांकोसी डे एल ऍडोप्शन 19, बोयूलेवर्ड हेनरी आइवी 75004, पेरिस, फ्रांस	marine.marcon@agenceadoption.fr
(छ)	हांगकांग	इंटरनेशन सोशल सर्विस 6वीं मंजिल, सादरन सेंटर, 130 हैननेसी रोड वनचाई, हांगकांग	isshakbr@netvigator.com
(ज)	आइसलैंड	आइसलैंडीक ऍडोप्शन सोसायटी इस्किपहोल्ड 50बी, 105 रेयकजाविक आइसलैंड	isadopt@simnet.is isadopt@isadopt.is
(झ)	आयरलैंड	हैल्पिंग हैंडस ऍडोप्शन मेडिटेशन एजेसी फॉर्ज लॉज, फॉर्ज लॉज हिल्स, कॉक, डब्लिन, आयरलैंड	helpinghands.ama@gmail.com
(ञ)	इटली	सेंट्रो इंटेरियनीएयूटी ऑल इनफनजिया (सीआई) वाया बोस्डीगेरा, 6 20142 मिलानो, इटली	adozioni@ciai.it
		इंटरनेशनल ऍडोप्शन/ एसोसिएशन फॉर द फ़ैमिली एंड चाल्ड्रलड वेल्फेयर वाया एस. कटरिना 208 / सी कमपोफोरमिडो (यूडी) इटली	info@internationaladoption.it
		मिशनरी डेला केशीटा (मिशनरीज ऑफ चैरिटी) सलीटा डी एस. ग्रेगोरीयो / एल1 सेन्नीयो एन1 00181 रोम, इटली	mcadozioni.info@gmail.com
		आई बम्बोनी डेल अरकोबालेनो एडोजीओनी इटस्नाजीओनाली 32013 लोनगारोने (बी1½ इटालीया वाया रोम 36 / ए कोडीसे फिसकेले, इटली	bamperco@libertoit associazione@bambarco.it
		एसोसिएजीओने एमिसी टरेन्टीनी ऑनलस वीएले डेगली ओलमी, 26 38123 ट्रेनटो, इटली	amicitrentinitezze@valsugana.com trento@amicitrentini.it
		एसोसिएजीओने इटालियाना प्रो एजोजीओनी (आईपा) सेडे सोसीएले वाया फ्रेनसेको डीओडो 10-00136, रोम, इटली	info@aipaweb.it aipamail@tin.it
		एसोसिएजीओने एमिसी डी डोन बोस्को वाया मरिया, आसलीयाटराईस 32-10152 टोरिनो, इटली	amicidb@tin.it
		ला प्रीमोजेनिटा इंटरनेशनल ऍडोप्शन वाया फिओरीनी 6 / ए 29100 पीयासीएनजा इटली	amicidb@tin.it anna.piacenza@laprimogenita.it
		मेहाला एसोसिएशन चॉइल्ड एंड फ़ैमिली-ऑनलस एसोसिएजीओने मेहाला ऑनलस, वाया कम्पी, 64-23807, मेराटे(एलसी)	adozioni@mehala.org info@mehala.org

		फैमिगलीया इनसीएमे ऑनलस वाया प्रोसपेरो एलपीनो 69 00154 रोम, इटली	cooperativa@famigliainsieme.org info@famigliainsieme.org
		एमिकी मिशानी इंडेने – ऑनलस वाया अल्डो मोरो 7-20090 बूसीनासको (एमआई), मिलान इटली	adoz_india@amiweb.org ami@amiweb.org
		एसोसिएशन मरियाना ऑनलस वाया ए डीआज, 92 केसोरिया, एनए, इटली	associazionemarianna@virgilio.it
		सी.आई.एफ.ए. ऑनलस सेंट्रो इटस्नेजओनेल फैमिगली प्रो एडोजओने इटस्नेशनल सेंटर फोर चिल्ड्रैन एंड फौमिली वाया यूगो फोस्कोलो 3, 10126 टूरिन, टूरिनो, इटली	cifa.torino@cifaong.it
		एसोसिजीओने लो स्कोइअटोलो ऑनलस एनटे ऑटोरीजाटो पेर ले एडजीओन इटस्नेशनली सेडे सेंटरेले : कोरसो डेल पोपोलो 69 रोम 00154, इटली	infoterni@loscoiattolonlus.org
(ट)	लक्जमबर्ग	एमीकेले इटस्नेशनले डी ऐडे एल इफेसे (ए.आई.ए.ई.) एल-8140 ब्रीडेल, 71, रोए डे लक्जमबर्ग गेंड डूची, लक्जमबर्ग	aiiem@pt.lu
(ठ)	माल्टा	अजेनजीजा तामा 1, तरीक आईली – बाजादा कोर्मी माल्टा	info@agenzijatama.com
		अजेनजीजा अप्पांग 36, तरीक सन लोका जी'मान्या पटा 1318, माल्टा	appogg@gov.mt
(ड)	नीदरलैंड	वेयरलडकिनडेरेन (द नीदरलैंडस इटस्-कंशरी चॉइलड वेलफेयर ऑरनार्इजेशन) रिआयोडब्ल्यूइस्ट्रात 191, 2585 एचटी, डेन हाग, द नीदरलैंड	info@wereldkinderen.nl dobken@wereldkinderen.nl
(ढ)	न्यूजीलैंड	इटस्-कंशरी ऐंडोप्शन न्यूजीलैंड (आई.सी.ए.एन.जी.) पीओ बॉक्स 62-660 ग्रीनलेन, ऑकलैंड 1546 न्यूजीलैंड	office@icanz.gen.nz
		एम./एस. कम्पेशन फॉर ओरफनस (सी.एफ.ओ.) 20 सीएलवान एवेन्यू वाईकाने, कपिटी कोस्ट 5036 वेल्डिंग्टन, न्यूजीलैंड	cfo@paradise.net.in victoria.mausatova003@cyf.govt.nz enquiries@cfo.org.nz
(ण)	नॉर्वे	वेस्डेनस बार्न (चिल्ड्रेन ऑफ दी वर्ल्ड) बोगस्टाडवीन 27बी, 0355 ओस्लो, नॉर्वे	adopsjon@verdensbarn.no fadderskap@vedensbam.no
		एडोप्शजोन्स फोरम (ऐंडोप्शन फोरम) पोस्टबुक्स 2364 सोली, 0201 ओस्लो, बेस्कसाइसे : इनकोगनीटोगत 17 नॉर्वे	info@adopsjonsforum.no amv@adopsjonsforum.no

(त)	सिंगापुर	<p>कु. श्रेयाशी सेनगुप्ता 133 लोरेंग के, टेलोक कुराओ २०३-०१ सिंगापुर- 425770</p> <p>सी./ओ. काउंसलर, हाई कमीशन ऑफ इंडिया, 31, ग्रेंज रोड, सिंगापुर- 239702</p>	<p>loveandhope1307@gmail.com</p> <p>fscons@hcsingapore.org</p>
(थ)	दक्षिण अफ्रीका	<p>कैथोलिक वूमन'स लीग एडोप्शन सोसाइटी, मारगारेट हाउस, 33 रॉबर्ट्स एवेन्यू, कौसिंगटन 2094, पी.ओ. बॉक्स 66121, ब्रॉडवे 2020, दक्षिण अफ्रीका</p>	<p>adoptions@mweb.co.za</p>
(द)	स्पेन	<p>निनोस सीन फ्रन्टरस चिल्ड्रें विदआउट फ्रन्टरस एविडा. यूरोप एन.34, ब्लॉक्यू बी, ई.एस.सी. डेरेचा, लो इजकोइरेडा 28023 अरावाका मेडरिड, स्पेन</p>	<p>nsf.cwf@nsf-cwf.org</p>
		<p>नमस्ते (एसोसितीयन अरागोनेसा) पारा ला प्रोमोसीयन डे ला इनफनसीया) सी./कोसो 79, 81, 2<sup>रा</sup>, डी 50001 जारागोजा, स्पेन</p>	<p>asocnamaste@terra.es namaste.es@gmail.com</p>
		<p>यमुना एसोशियसन फोर चिल्ड्रेंस एड सी./पेरिस, 97, लोकल-2-08029- बारसिलोना, स्पेन</p>	<p>info@yamuna.org</p>
		<p>इकाई, बाल बालिका इंटरनेशनल एडोप्शनस इनरिफ बोरास एन 30 बाजोस, 08912, बाडालोना बारसिलोना, स्पेन</p>	<p>bertranr@icab.es balbalika@lycos.es mmonla@ecaibalbalika.com informacio@ecaibalbalika.com rbertranp@gmail.com</p>
(ध)	स्वीडन	<p>एडोप्शनससेनट्रोम बॉक्स 11139 161 11 स्टोकहोल्म स्वीडन</p>	<p>info@adoptioncentrum.se monica.lind@adoptioncentrum.se</p>
		<p>चिल्ड्रें अब्व ऑल एडोप्शन इनरुजीगेतन 11, एस-434 37 कूगसबाका स्वीडन</p>	<p>adoption@bfa.se katarina@bfa.se</p>
		<p>फेमिली एसोशियसन फोर इंटरकन्ट्री एडोप्शन पी.ओ. बॉक्स 12027, एसई 40241 गुटेबोर्ग, स्वीडन</p>	<p>adoption@ffia.se Monica.Samuelson@ffia.se</p>
(न)	स्विट्जरलैंड	<p>टेरे डेस होम्मस एवेन्यू डे मोटचोइसी 15 सीएच-1006 लाउसाने स्विट्जरलैंड</p>	<p>mariene.hofstetter@tdh.ch rlu@tdh.ch ruth.luget@tdh.ch adoption@tdh.ch mho@tdh.ch info@tdh.ch</p>
		<p>फाउंडेशन इनफैन्टस-एसपोइर मैडमे हेलगा नेई 1053, ब्रेटीगनी, स्विट्जरलैंड</p>	<p>helga.ney@worldcom.ch pritti_aeschbacher@yahoo.com</p>
(प)	यू.ए.ई.	<p>ओमना मीनन पी.ओ. बॉक्स न. 24202 दूबई, यू.ए.ई.</p>	<p>omanamenonubai@gmail.com</p>

(फ)	यू.के.	इंटरकन्ट्री ऐडोप्शन सेंटर 22, यूनियन स्ट्रीट, बार्नेट, हर्ट्स, इएन5 4एचजेड, यू.के.	gillhaworth@icacentre.org.uk info@icacentre.org.uk
(ब)	यू.एस.ए.	नाइटलाइट क्रिश्चियन एडोप्शनस (मर्ज विद लव बास्केट एडोप्शन) 4430 ई, मिरालोमा एवेन्यू, सूट बी, अनाहेयम हिल्स सीए 92807, यू.एस.ए.	daniel@nightlight.org stephanie.miller@nightlight.org
		चिल्ड्रेन स हाउस इंटरनेशनल पी. ओ. बॉक्स 1829, (5711 विस्टा, सूट 101 ए) फोर्नडाले, डब्लूए 98248, यू.एस.ए.	chi4adopt@aol.com
		चिल्ड्रेन स होम सोसाइटी एंड फेमिली सर्विसज, 1605 एयूसटिस स्ट्रीट सेंट पॉल, एमएन 55108-1219, मिनेसोटा 55108, यू.एस.ए.	india@chsfs.org molly.rochon@chlss.org
		होप एडोप्शन एंड फेमिली सर्विसज इंटरनेशनल इंक 5850 ओमाहा एवेन्यू नोर्थ ओक पार्ट हाईटस मिनोसोटा 55082, यू.एस.ए.	hope@hopeadoptionsservices.org nspader@hopeadoptionsservices.org
		बाल जगत चिल्ड्रेन स वर्ल्ड इंक 5199 ईस्ट पेसिफिक कोस्ट हाईवे सूट रु 204, लोग बीच कैलिफोर्निया 90804, यू.एस.ए.	baljagat@verizon.net hemlata@baljagat.org
		चिल्ड्रेन ऑफ द वर्ल्ड, इंक 19940 स्टेट एचडब्ल्यूवाई 181 सूट सी-4, फायरहोप एलाबामा 36532, यू.एस.ए.	reggie@childrenoftheworld.com pat@childrenoftheworld.com patalsuplee@gmail.com Teresa@childrenoftheworld.com
		द बार्कर फाउंडेशन 7979, ओल्ड जॉर्जटाउन रोड, फर्स्ट फ्लोर, बेथेस्डा, एमडी 20814, यू.एस.ए.	mregier@barkerfoundation.org info@barkerfoundation.org BBetz@barkerfoundation.org
		डीलन इंटरनेशनल इंक 7335 एस. लिविस एवेन्यू सूट 302, तुलसा, ओके 74136, यू.एस.ए.	info@dillonadopt.com tami@dillonadopt.com jynger@dillonadopt.com maryanne@dillonadopt.com
		इंटरनेशनल क्रिश्चियन एडोप्शनस 41745 राइडर वेए, रु 2, टेमेकुला सीए 92590, कैलिफोर्निया, यू.एस.ए.	CascadeICS@aol.com info@4achild.org
		एम./एस. अमेरिका वर्ल्ड एडोप्शन एसोसिएशन इंक 6723 वाईटियर एवेन्यू सूट 202 मेलेअन, वा 22101, यू.एस.ए.	brain.luwis@awaa.org lisa.adamsreese@awaa.org
		एडोप्शन एसोसियेट इंक (ए.ए.आई.) 1338, बाल्दवीन, जेनीसन, एमआई 49428, यू.एस.ए.	adopt@adoptionassociates.net
		ऐक्सोस द वर्ल्ड एडोप्शन 399, टेलर बीएलवीडी, सूट 102 पलेजेंट हिल, कैलिफोर्निया, 94523, यू.एस.ए.	adopt@atwakids.org
		इंटरनेशनल एडोप्शन नेट 7500 ई आरापाहोई रोड एसटीई रु 250 सेनटैनियल, को 80112, यू.एस.ए.	info@adoptioninternational.net Joan@internationaladoptionnet.org
		लाइफलाइन चिल्ड्रेनस सर्विसज 2104 रेंकी रिज रोड बर्मिंघम, एएल 35216, यू.एस.ए.	lifeline@lifelineadoption.org jessica.oetting@lifelinechild.org
		फैथ इंटरनेशनल एडोप्शनस 1105 टाकोमा एवेन्यू साउथ टाकोमा, वा 98402, यू.एस.ए.	faith@faithadopt.org
		एडॉप्ट इंटरनेशनल, यू.एस.ए.	adopt@adoptinter.org

5.5 परिशिष्ट ड : केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा जारी कुछ महत्वपूर्ण परिपत्र और परामर्शिकाएं



**Central Adoption Resource Authority**  
**केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण**

(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)  
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)



सं. 20-8/सीडी/2010-कारा

दिनांक : 25/04/2019

**परिपत्र**

**विषय : गोद लिए गए बच्चे के लंबित दत्तक-ग्रहण आदेश, जन्म प्रमाणपत्र और पासपोर्ट से संबंधित मामलों के संबंध में**

सेवा में,  
सभी भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी)  
सभी विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों (एसएए)  
सभी राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरणों (एसएआरए)

इस प्राधिकरण को गोद लिए गए बच्चे/बच्चों के दत्तक-ग्रहण आदेश, जन्म प्रमाणपत्र और पासपोर्ट और भावी माता-पिता को इन दस्तावेजों के प्राक्धानीकरण में विलंब से संबंधित मामलों के संबंध में अनेक शिकायतें एवं परिवाद प्राप्त हो रहे हैं।

2. यह पुनः सूचित किया जाता है कि कारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68, किशोर न्याय मॉडल नियम के नियम 49 और दत्तक-ग्रहण विनियमन, 2017 के विनियम 37, जो कारा द्वारा किए जाने वाले कार्यों को विनियमित करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ देश के भीतर दत्तक-ग्रहण को प्रोन्नत करने और अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण को राज्य एजेंसी के साथ समन्वय में अंतरराज्यिक दत्तक-ग्रहण को सुकर बनाने एवं जब भी आवश्यकता हो, समय-समय पर दत्तक-ग्रहण एवं संबंधित मामलों पर परामर्शित करते हैं, के अंतर्गत निर्धारित कार्यों के लिए एक सांविधिक निकाय है।

3. यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में विलंब न हो, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 59(7) और 59(8) के अनुसार एसएए को दत्तक-ग्रहण आदेश प्राप्त करने हेतु न्यायालय में एक आवेदन फाइल करेगा और न्यायालय आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के बाद एसएए इसे तत्काल कारा राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी और भावी दत्तक माता-पिता को भेजेगा और बालक के लिए पासपोर्ट प्राप्त करेगा। विशिष्ट दत्तक-ग्रहण एजेंसी भी दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के विनियम 18(6) के अनुसार दत्तक-ग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के तीन दिन की अवधि के भीतर भावी दत्तक माता-पिता के नाम और दत्तक-ग्रहण में यथा अभिलिखित जन्म की तारीख के साथ दत्तक बालक के जन्म प्रमाणपत्र हेतु जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी से संपर्क करेगा।

4. अतः अंतर्देशीय दत्तक-ग्रहण के न्यायालय आदेश, जन्म प्रमाणपत्र जारी करने में विलंब आदि से संबंधित सभी मामलों को विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों को संबंधित किया जाना चाहिए और किसी भी कठिनाई की स्थिति में, संबंधित राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण से संपर्क करना चाहिए।

5. यदि मामलों का फिर भी निपटारा नहीं हो पाता है तो राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण विशिष्ट या नीति संबंधित मामलों हेतु हस्तक्षेप के लिए कारा से संपर्क सकता है।

6. राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरणों के निदेशकों एवं कार्यक्रम प्रबंधक का संपर्क विवरण अनुलग्नक-I पर संलग्न है।

7. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता./-  
(डॉ. डी.डी. पाण्डेय)  
संयुक्त निदेशक, कारा

प्रति : निदेशक (सीडब्ल्यू-II), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली - सूचनार्थ





**Central Adoption Resource Authority**  
**केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण**  
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)  
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)



सं. कारा-विविध/अंतरदेशीय 2011-12/

दिनांक : 12/06/2019

**परिपत्र**

सेवा में,

सभी प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरणों (एएफएए)

सभी विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों (एसएए)

**विषय : अनिवासी भारतीयों के तौर पर किसी दूसरे देश को अपने निवास स्थान के रूप में बदलने पर भारतीय निवासियों के मामलों के पंजीकरण के संबंध में**

यह पाया गया है कि भारतीय निवासी भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) कुछ मामलों में या तो उन्होंने अपने पूर्व पंजीकरण को वापस लिए बिना विदेश में बसने पर एनआरआई के तौर पर अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण हेतु पुनः पंजीकृत करवाया है। अथवा भारतीय निवासी के तौर पर अंतः देशीय पंजीकरण को बनाए रखा है।

2. इस संबंध में, यह पुनः सूचित किया जाता है कि भावी दत्तक माता-पिता का केयरिग्स पर एक ही पंजीकरण हो सकता है और यदि उन्हें अपने निवास स्थान में बदलाव के कारण पंजीकरण में बदलाव की आवश्यकता है, उन्हें नया पंजीकरण करने से पहले अपने पूर्व के आवेदन को वापस लेना होगा।
3. अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की वरीयता भारतीय निवासियों (आरआई) के समान ही होते हैं और अनुरोध के आधार पर, उनके द्वारा नया पंजीकरण करने के बाद उनके पिछले पंजीकरण के अनुसार ही उनकी वरिष्ठता बनी रह सकती है।
4. यह भारत से दत्तक-ग्रहण हेतु पंजीकरण प्रक्रिया पर मौजूदा नियमों एवं विनियमों के अनुसार है।
5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता./—

(डॉ. डी.डी. पाण्डेय)  
संयुक्त निदेशक, कारा

**प्रति :**

1. सभी केन्द्रीय प्राधिकरण (सीए) – सूचनार्थ
2. भारतीय राजनयिक मिशन (आईडीएम) एवं सरकारी विभाग जहां कहीं भी लागू हो – सूचनार्थ
3. सीडब्ल्यू विभाग-एफ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली – सूचनार्थ



## Central Adoption Resource Authority केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)  
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)



सं.....

दिनांक: 03 / 10 / 2019

### परामर्शिका

**विषय :** भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) को दत्तक-ग्रहण और परामर्श देने हेतु गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर) तैयार करने हेतु दिशा-निर्देश

सेवा में,

**सभी राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरणों,  
सभी जिला बाल संरक्षण एककों,  
सभी विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों,**

भावी दत्तक माता-पिता को परामर्श देना और एचएसआर तैयार करना दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया का एक सबसे संवेदनशील भाग है। यह कोई प्रश्नोत्तर सत्र नहीं होता है बल्कि सूचना साझा करने की दो तरफा प्रक्रिया होती है जोकि पीएपी को माता-पिता बनने के लिए तैयार करेगी।

2. गृह अध्ययन दौरा एसएए के लिए पीएपी की उपयुक्तता और तैयारी के आकलन हेतु एक अवसर भी होता है। बातचीत के माध्यम से, पीएपी को किसी बच्चे का जो उनका जैविक बच्चा नहीं होता है। माता-पिता बनने हेतु भावनात्मक रूप से तैयार होने में मदद करना भी लक्ष्य होता है गृह अध्ययन करते और रिपोर्ट लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं को हमेशा ध्यान में रखा जाए -

- क) एचएसआर दत्तक-ग्रहण हेतु पीएपी की उपयुक्तता और तैयारी का आकलन हेतु तैयार की जाती है।
- ख) एचएसआर तैयार करने वाले व्यक्ति के लिए तथ्यात्मक जानकारी से आगे जाना और मूल्यांकन के दौरान क्या दिखा, उसको समझना एक चुनौती होती है। आदर्शतौर पर, केवल साक्षात्कार ही नहीं बल्कि एक से अधिक घर का दौरा किया जाना चाहिए।
- ग) पहला चरण "तालमेल बनाना" और यह सुनिश्चित करना होता है कि पीएपी दो-तरफा बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार है।
- घ) गृह अध्ययन करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता को हर समय "बाल केंद्रित दृष्टिकोण बनाए रखना होता है। यह अध्ययन माता-पिता की जरूरतों के बारे में नहीं बल्कि बच्चे की जरूरतों के बारे में होता है। एक घर की जरूरत वाले बच्चे के लिए एक उपयुक्त परिवार को खोजना होता है। उन माता-पिता के लिए जिनका एचएसआर के दौरान साक्षात्कार किया जा रहा है, एक उपयुक्त बच्चा खोजना नहीं होता।

3. भावी दत्तक माता-पिता को समझने और उनके मूल्यांकन हेतु सुझाई गई कार्यपद्धति:-

- क) माता-पिता से संवेदनशील, सहानुभूति, लगाव, और गैर-आलोचनात्मक ढंग से संपर्क करें।
- ख) गोद लेने के उनके निर्णय लेने के बाद, पीएपी को बहुत अधिक भावनात्मक सहायता की जरूरत होती है। घबराहट, चिंता, अनिश्चितता, शंका, अपराधबोध और कई अन्य भाव (जैसे कि जैविक बच्चा नहीं कर पाने का दुःख या जैविक बच्चे के खो जाने का दुःख) होते हैं जिसे व्यक्त करने दें और उन पर चर्चा करें।

- ग) भावी दत्तक माता-पिता को निस्संतानता के बारे में उनकी भावनाओं को समझने में मदद करें। इस बात पर बल दें कि यह कोई कमी नहीं है बल्कि एक आम परिस्थिति है और सकारात्मक तौर पर परिचर्चा करने और परामर्श प्रक्रिया के दौरान इसे स्वीकार करने में सहायता करें।
- घ) प्रकृति और पोषण की भूमिका को समझने में माता-पिता की सहायता करें-बताएं कि आनुवांशिकता और माहौल दोनों बच्चे के व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बात पर जोर डालें कि एक बच्चे का पालन-पोषण करने की उनकी क्षमता और एक प्यार भरा माहौल उपलब्ध कराने से, बच्चा चाहे जो कुछ भी स्वाभाविक गुणों को लेकर पैदा हुआ हो, बच्चे को जीवन में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी।
- ङ) विवाह के स्थायित्व का मूल्यांकन करने हेतु एक दूसरे का सम्मान करने और निर्णय निर्माण में उनके वैवाहिक संबंध का मूल्यांकन करें और इस बात पर ध्यान दें कि क्या उनमें आपसी सहयोगात्मक संबंध है या नहीं। शादी पर चर्चा के लिए अलग से समय रखें।
- च) पति और पत्नी के बीच विवाद के प्रमुख विषय कौन से हैं और पिछले समय में उन्होंने अपने मतभेदों को कैसे दूर किया, इससे यह पता चलेगा कि बच्चे के पालन-पोषण में वे विवाद की परिस्थितियों को कैसे संभालेंगे।
- छ) उनके खुद के बचपन और उनके खुद के माता-पिता और भाई-बहनों के साथ उनके संबंधों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर कुछ परिचर्चा करें।
- झ) परिवार के सदस्यों जैसे कि सास-ससुर, पति या पत्नी के भाई-बहनों, पारिवारिक दोस्तों आदि के साथ संबंधों का पता लगाएं।
- ञ) एचएसआर एक ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसमें “हां और नहीं” जैसे उत्तर हों। यह दिए गए प्रारूप में विकल्पों पर टिक का निशान लगाने वाला नहीं होना चाहिए और “लागू नहीं” जैसे विकल्पों से बचना चाहिए। उत्तर व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक होने चाहिए। रिपोर्ट में पीएपी, दत्तक ग्रहण हेतु उनकी तैयारी और उपयुक्तता के बारे में मूल्यांकन शामिल होना चाहिए।
- ट) बच्चे के साथ दत्तक-ग्रहण का तथ्य साझा करने (प्रकटन कहलाता है) पर पीएपी के साथ परिचर्चा एचएसआर तैयार करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहां तक कि, ऐसा करना बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन इस बात पर जोर देना बहुत जरूरी है कि खुद से बच्चे को यह जानकारी साझा करने हेतु माता-पिता का तैयार होना और इसे किसी बाहरी स्रोत द्वारा अचानक और गैर-संवेदनशीलता के साथ प्रकट नहीं होने देना कितना महत्वपूर्ण है। यह बताएं कि माता-पिता और बच्चे के बीच घनिष्ठ संबंध सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास पर आधारित होता है न कि ‘पता चलने’ के निरंतर भय पर। यह उल्लेख करें कि बच्चे की परिपक्वता और तैयार होने के आधार पर ही प्रकटन किया जाना चाहिए और इसे संभालने के लिए आगे पेशेवर परामर्श की जरूरत पड़ सकती है।
- ठ) माता-पिता को इस बात के लिए तैयार करें कि दत्तक-ग्रहण के बाद के चरण में, बच्चा “मूल कुटुम्ब की खोज” की जरूरत की इच्छा जाहिर कर सकता है। उनको परामर्श दें कि यह बच्चे की एक वैध जरूरत और अधिकार क्यों है और यह तथ्य भी बताएं कि जे.जे. अधिनियम में इस खोज के लिए एक प्रावधान है। माता-पिता को इस मुद्दे पर उनकी चिंताओं और व्याकुलता के बारे में परामर्श दें।

- उ) परामर्श के माध्यम से एचएसआर के दौरान पीएपी को तैयार करें कि उनको बताएं गए बच्चे के 'अतीत' को समझना और स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। पीएपी को यह समझने में मदद करें कि बच्चा किसी भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक या शारीरिक आघात से गुजरा हो सकता है और बहुत अधिक संयम, समझ, प्यार, देखभाल और स्वीकार्यता की जरूरत होगी। यह उन बच्चों पर अधिक लागू होता है जो दत्तक-ग्रहण के समय उम्र में अधिक बड़े होते हैं और उनकी अतीत की यादें हो सकती हैं जिनका उनके मानस पर आघात शेष हो। संवेदनशील और संयम पालन-पोषण, परामर्श और अन्य सहायता इस मुद्दे का सफलतापूर्वक समाधान कर सकती है।
- ढ) ऐसे माता-पिता जिनके पास जैविक बच्चे होते हैं और जो दत्तक-ग्रहण के लिए प्रबुद्ध निर्णय लेते हैं उनके साथ दत्तक-ग्रहण हेतु प्रोत्साहन पर दत्तक-ग्रहण किए गए बच्चों के साथ अपने जैविक बच्चों की समान व्यवहार करने और उनके अनोखेपन और भिन्नताओं को स्वीकार करने हेतु माता-पिता की तैयारी पर चर्चा करना जरूरी होता है। यह आगे की उनकी तैयारी का निर्माण करेगा।
- ण) यदि माता-पिता सिस्टम पर लिंग, उम्र या राज्य हेतु अपनी पसंदों में बदलाव करते हैं तो इसके कारणों पर चर्चा करें। आदर्शतः, कारण एक बच्चा को प्राप्त करने में शीघ्रता नहीं होना चाहिए बल्कि बच्चा परिवार के अंदर कैसे अनुकूल होगा यह होना चाहिए।
- त) यदि पीएपी सामान्य रेफरल हेतु अपने पंजीकरण को बनाए रखते हुए तत्काल स्थापन श्रेणी से किसी बच्चे को चुनने का इरादा रखते हैं, पीएपी को सावधानीपूर्वक जांच करने और स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ती है। इन माता-पिता की उपयुक्तता के आकलन करने और तत्काल स्थापन श्रेणी से बच्चे को चुनने के पीछे के उनके कारण हेतु एचएसआर को अद्यतन किया जा सकता है।
- थ) बातचीत करते समय और एचएसआर लिखते समय भी माता-पिता और बच्चों के संदर्भ में हर वक्त "साकारात्मक दत्तक-ग्रहण भाषा" उपयोग करने का याद रखना आवश्यक है।
- द) दत्तक-ग्रहण की सफलता में एचएसआर तैयार करना कितना अधिक महत्वपूर्ण है इस पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। एसएए द्वारा सभी दस्तावेजों की उपयुक्तता और प्रमाणिकता हेतु इनकी पूरी तरह जांच करना और सत्यापित करना जरूरी है।
4. इस परामर्श का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करवाया जाए और पीएपी के गृह अध्ययन और एचएसआर तैयार करने हेतु दिशा-निर्देश के तौर पर इसके इस्तेमाल हेतु एसएए और डीसीपीयू के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को दिया जाए।

हस्ता./—

(संजय बर्शीलिया)

निदेशक, कारा



सत्यमेव जयते

## Central Adoption Resource Authority केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)  
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)



सं. 1-23/2019-कारा

दिनांक : 18/12/2019

### कार्यालय ज्ञापन

**विषय : विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण द्वारा अंतःदेशीय दत्तक-ग्रहण में स्थापन किए गए भाई-बहनों/जुड़वा के मामले में दत्तक-ग्रहण शुल्क के संबंध में स्पष्टीकरण।**

यह पत्र भावी दत्तक माता-पिता से विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों द्वारा प्राप्त की जाने वाली "दत्तक-ग्रहण शुल्क" के संबंध में दिनांक 23 मार्च, 2017 और 5 अप्रैल, 2017 के ओ.एम. सं. आईपी03/20/2016/कारा की निरंतरता में है।

2. दिनांक 15 नवंबर, 2019 को आयोजित अपनी 23वीं बैठक में कारा की संचालन समिति ने यह निर्णय लिया है कि मौजूदा मानदंडों के अनुसार, अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण के मामलों में, भाई-बहनों के मामले में एक बच्चे हेतु 5000 अमेरिकी डॉलर दत्तक-ग्रहण शुल्क के अतिरिक्त प्रति अतिरिक्त बच्चे को लिए 1000 यूएस. डॉलर निर्धारित की गई है। देश के भीतर दत्तक-ग्रहण के मामलों में भी भाईयों या बहनों के दत्तक-ग्रहण के मामलों में 40,000/- रुपये के दत्तक-ग्रहण शुल्क का 20 प्रतिशत अर्थात् प्रति अतिरिक्त बच्चे 8000/- रुपये निर्धारित की जा सकती है।

हस्ता./-

(जगन्नाथ पति)

संयुक्त निदेशक, कारा

सेवा में,

सभी विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों,

सभी राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरणों,



**Central Adoption Resource Authority**  
**केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण**  
 (A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)  
 (भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)



सं. 18-39/2017/डीसी-कारा

दिनांक : 30/12/2019

**परिपत्र**

**विषय : सौतेले माता-पिता द्वारा अंतर देशीय दत्तक-ग्रहण मामलों के संबंध में**

सेवा में,

सभी एएफएए/सीए/आईडीएम

यह पत्र सौतेले माता-पिता द्वारा अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण के संबंध में है।

2. इस तरह के मामले में, आदतन विदेश में रहने वाले संभावित दत्तक माता-पिता को प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण एजेंसियों/भारतीय राजनयिक मिशन/केन्द्रीय प्राधिकरण के माध्यम से भारतीय केन्द्रीय प्राधिकरण (कारा) को दत्तक-ग्रहण हेतु आवेदन अग्रेषित करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्तमान में केरिग्स में ऑनलाइन माध्यम उपलब्ध नहीं है :-

- क) जैविक माता-पिता और बालकों का दत्तक-ग्रहण करने वाले पति या पत्नी के कानूनी विवाह के प्रमाण पत्र के साथ निवास का प्रमाण।
  - ख) दत्तक-ग्रहण विनियमन की अनुसूची XX में यथाउपबधित जैविक माता-पिता, बालक/बालकों का दत्तक-ग्रहण करने वाले पति या पत्नी की सहमति।
  - ग) दत्तक-ग्रहण विनियमन की अनुसूची XX के साथ संलग्न किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज, यदि लागू हो।
  - घ) हेग दत्तक-ग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 5 या 17 के अनुसार प्राप्तकर्ता देश की अनुमति (हेग अभिपुष्टिकर्ता देश के मामले में लागू)। यदि अपेक्षित हो उपरोक्त उल्लिखित दस्तावेजों की प्राप्ति पर कारा अनुमति पत्र देने हेतु प्राप्तकर्ता देश को एक समर्थन पत्र दे सकता है।
3. कारा से पूर्व-अनुमोदन पत्र प्राप्त होने के बाद, पीएपी को सहायक दस्तावेजों (दत्तक-ग्रहण विनियमन, 2017 के विनियम 52 का संदर्भ लें) के साथ दत्तक-ग्रहण विनियमन, 2017 की अनुसूची-XXXII में उपलब्ध नमूना आवेदन के अनुसार संबंधित न्यायालय में दत्तक-ग्रहण आवेदन दायर करना होगा।
4. सक्षम न्यायालय द्वारा दत्तक-ग्रहण आदेश को प्रस्तुत करने पर, कारा सौतेले माता-पिता द्वारा अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण के समर्थन में एनओसी (पुष्टि प्रमाणपत्र, यदि अपेक्षित हो) जारी करेगा।

हस्ता./-

(संजय बर्शीलिया)  
 निदेशक, कारा



**Central Adoption Resource Authority**  
**केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण**  
 (A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)  
 (भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)



सं. कारा/2019-20/नेशनल कंसलटेशन/1

दिनांक : 21/02/2020

**परिपत्र**

सेवा में,

सभी एसएआरए/डीसीपीयू/सीडब्ल्यूसी


**विषय : गैर सहमत यौन संबंध या माताओं से जहां लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) या आईपीसी के अन्य किसी प्रावधान से अंतर्गत मामले पंजीकृत हैं, जन्मे बालकों के दत्तक-ग्रहण हेतु बालकों को कानूनी रूप से मुक्त घोषित करना।**

1. ऐसे मामले जहां गैर सहमत यौन संबंध या माताओं से किसी बच्चे का जन्म हुआ है, जहां लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) या आईपीसी के अन्य किसी प्रावधान से अंतर्गत मामले पंजीकृत हैं। जैविक माता द्वारा स्वेच्छा से अभ्यर्तित किया गया है, सीडब्ल्यूसी को बच्चे को दत्तक-ग्रहण हेतु कानूनी रूप से मुक्त कर देना चाहिए भले ही पुलिस केस और न्यायालय की प्रक्रिया अभी भी चल रही हो। सीडब्ल्यूसी सदस्यों को कोई हिचकिचाहट या डर महसूस नहीं करना चाहिए। ऐसे कई मामलों में यह देखा गया है कि लंबित मामलों/न्यायालय की कार्यवाहियों के कारण बालक सालों तक अभिकरणों में लंबित पड़े रहते हैं।
2. बम्बई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद बेंच ने 2013 की रिट याचिका सं. 5864 पर 6 अगस्त, 2013 को एक आदेश पारित किया जिसे यहां उद्धृत किया जाता है: "समिति द्वारा यह घोषणा करने के मामले में कि बालक दत्तक-ग्रहण हेतु मुक्त है, यौन हिंसा से जुड़े आपराधिक मामले पर कार्य कर रही पुलिस या न्यायालय की कोई भूमिका नहीं है। यह समझना जरूरी है कि सत्र न्यायालय के समक्ष लंबित मामला बच्चे की अविवाहित माता के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा किए गए यौन हिंसा कार्य से संबंधित आपराधिक मामला है। बालक का जन्म किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की उपबंधों के अंतर्गत अनुपालन की जाने वाली अनुवर्ती प्रक्रिया सत्र न्यायालय की समक्ष लंबित दंडिक विचारण से संबंधित नहीं है।
3. उपरोक्त और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 38 (8) को ध्यान में रखते हुए, समिति दो महीने की अवधि के भीतर जिसके भीतर डीएनए नमूना संग्रह पूरा किया जाना चाहिए, दत्तक-ग्रहण हेतु बालक को कानूनी रूप से मुक्त घोषित करने का आदेश जारी करने के लिए बाध्य है।
4. यह उल्लेख करना उचित है कि डीसीपीयू और सीडब्ल्यूसी को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि दत्तक-ग्रहण में बच्चों के स्थापन पहले डीएनए नमूना ले लिया गया है। नमूना रिपोर्ट की एक गोपनीय प्रति एसएए के पास उपलब्ध रहेगी। यह दत्तक-ग्रहण करने वाले परिवारों को बेकार की परेशानियों से बचाएगा जो ऐसे मामलों में बच्चों को दत्तक-ग्रहण करते हैं।
5. 2013 की रिट याचिका सं. 5864 में दिनांक 6 अगस्त, 2013 के आदेश की एक प्रति सीडब्ल्यूसी के संदर्भ हेतु इस पत्र के साथ संलग्न है।

हस्ता./-  
 (संजय बर्शीलिया)  
 निदेशक, कारा

## 2019–2020 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और वार्षिक आंकड़े

---



वर्ष 2019–2020 हेतु  
(31 मार्च, 2020 को समाप्त)  
केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण,  
नई दिल्ली  
के लेखापरीक्षित खातों के संबंध में  
सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट





सत्यमेव जयते

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास)  
Office of the Principal Director of Audit (Health, Welfare and Rural Development)  
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002  
Indraprastha Estate, New Delhi -110 002

पत्र संख्या:AMG-II/4-14/SAR/CARA/2020-21/

दिनांक: 17.02.2021

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,  
शास्त्री भवन,  
नई दिल्ली-110001.

विषय :केन्द्रीय दत्तक -ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-20 के लेखाओं पर पृथकलेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं, केन्द्रीय दत्तक -ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-20के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके पृथकलेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न कर रही हूँ ।

यह प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए जाए, इस कार्यालय तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,10-बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110014 को प्रेषित की जाय।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनो सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing body) द्वारा अवश्य अनुमोदित करा लिया जाए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2019-20 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों ।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यो को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है । पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें ।

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

भवदीया,

अनुलग्नक:यथोपरि

-Esp/-  
निदेशक (ए.एम.जी.-II)

जायरी नं. 375 / Dy. No. 17.2.21  
दिनांक: / Date: /  
केन्द्रीय-दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  
Central Audit Resource Authority  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  
Ministry of Women & Child Development  
भारत सरकार / Government of India  
परिचयी खण्ड-8, विंग-2, द्वितीय तल, इन्द्रप्रस्थ  
West Block, Wing-2, 2nd Floor, Indraprastha  
नई दिल्ली, New Delhi-110006

Ph. : 91-1123702254  
Fax : 91-1123702271

DGACR, Building, I.P. Estate, New Delhi - 110002  
e-mail : pdahwrd@cag.gov.in

पत्र संख्या:AMG-II/4-14/SAR/CARA/2020-21/ ६९६

दिनांक: 17.02.2021

प्रति:

श्री मनोज कुमार सिंह, सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केन्द्रीय दत्तक -ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, पश्चिमी खंड -8, विंग-2, द्वितीय तल, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066, को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र तथा प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जा रही है। पृथकलेखापरीक्षा प्रतिवेदन के हिन्दी अनुवाद की एक प्रति शीघ्र इस कार्यालय को भेजी जाए।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेजों की दो प्रतियाँ उस तिथि को जब वे संसद में प्रस्तुत किए जाए, दर्शाते हुए इस कार्यालय तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली-110124 को भेजी जाएं।

अनुलग्नक:यथोपरि

निदेशक (ए.एम.जी.-II)

पत्र संख्या:AMG-II/4-14/SAR/CARA/2020-21/

दिनांक:

प्रति:

प्रशासनिक अधिकारी (रिपोर्ट-ए.वी.), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9-दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को वार्षिक लेखे की प्रति, उसका पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित अग्रेषित की जा रही है।

यह प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (स्वा., क. एवं ग्रा. वि.) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुलग्नक:यथोपरि

निदेशक (ए.एम.जी.-II)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

हमने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 73(2) के तहत केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली (कारा) के 31 मार्च, 2020 तक के संलग्न तुलन पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखों और प्राप्ति एवं भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण तैयार करना कारा की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों, लेखा मानकों और प्रकटीकरण प्रतिमानों आदि से अनुरूपता के संबंध में अपनाई गई लेखा नीतियों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां दी गई हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और विनियमितता) तथा दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हो, पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती है।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यता स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा इस प्रकार आयोजित और संचालित करें जिससे यह मालूम हो सके कि वित्तीय विवरणों में कोई स्थूल गलत बयानी तो नहीं है। लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटीकरण के पक्ष में दिए गए साक्ष्यों की जांच करना सम्मिलित है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों और किये गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का जायजा लेना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी व्यक्त राय का एक उचित आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट देते हैं कि :

- i) हमने वह सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।
- ii) इस रिपोर्ट में जिस तुलन पत्र, आय और व्यय के लेखों और प्राप्तियां और भुगतान के लेखों पर विचार किया गया है वे वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रपत्र के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- iii) हमारे विचार से, केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) द्वारा खाता बहियों और अन्य संगत रिकॉर्डों का रख-रखाव उपयुक्त रूप में किया गया है, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
- iv) हमें यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

**क. सामान्य**

क.1 वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में गैर सरकारी भविष्य निधि, रिटायरमेंट फंड और ग्रेच्युटी फंड के निवेश हेतु निर्धारित पैटर्न के अनुसार बैंको की सावधि जमा रसीदों में 45 प्रतिशत तक की राशि का निवेश किया जाना चाहिए। कारा ने 228.85 लाख रूपयों के ग्रेच्युटी और छुट्टी के वेतन के संचित धन को सिडिकेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मियादी जमा में जमा किया है, जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित पैटर्न के साथ असंगत था।

**ख. सहायता अनुदान**

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को वर्ष 2019-20 के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से 893.90 लाख रूपयों का अनुदान प्राप्त हुआ। जिसमें से, 71.89 लाख रूपयों को अनुदान मार्च, 2020 के महीने में प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष में प्राप्त सहायता अनुदान में 9.89 लाख रूपये बकाया था। इसमें 12.66 लाख रूपयों की आंतरिक रसीद थी। कुल 916.45 लाख रूपयों में से, केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने 812.07 लाख रूपयों का उपयोग किया तथा 104.38 लाख रूपयों अव्ययित अनुदान बचा।

**ग. प्रबंधन पत्र**

जो कमियां लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई है, वे उपचारी/शोधक कार्रवाई के लिए अलग से प्रबंधन पत्र के माध्यम से केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के ध्यान में लाई गई हैं।

v) पूर्ववर्ती पैराओं में टिप्पणीओं के अध्यक्षीन, हम यह जानकारी देते हैं कि इस रिपोर्ट में जिस तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखा और प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा पर विचार किया गया है, वे खाता बहियों के अनुरूप हैं।

vi) हमारी राय में और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उपरोक्त महत्वपूर्ण विषयों तथा इस लेखापरीक्षा के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों की एक सही और स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं जो भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है :-

(क) जहां तक इसका संबंध 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के मामलों के संबंध में प्रस्तुत तुलन पत्र से है, और

(ख) जहां तक इसका संबंध उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अतिरिक्त के आय और व्यय लेखे से है।

**भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के लिए तथा उनकी ओर से**

हस्ता/-

**प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (एच.डब्ल्यू. एंड आर.डी.)**

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 17/02/2021

**1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण में कोई आंतरिक लेखापरीक्षण प्रकोष्ठ/विभाग की स्थापना नहीं की गई है। 2015-16 से 2019-20 तक की अवधि का आंतरिक लेखापरीक्षण मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षण विंग के माध्यम से संचालित किया गया था। सनदी लेखाकार के माध्यम से 2019-20 तक की अवधि की लेखापरीक्षा की गई है।

**2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**

- केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण में कोई आंतरिक लेखापरीक्षण स्कंध नहीं है।
- लम्बे समय से अग्रिम राशि का समायोजन नहीं हुआ है।
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 69(4) के अनुसार, संचालन समिति की बैठक माह में एक बार की जानी चाहिए। हालांकि, वर्ष 2019-20 के दौरान संचालन समिति की केवल सात बैठकें आयोजित की गई हैं।
- परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन वर्ष 2016-17 से नहीं किया गया है।

**3. परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**

स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन 04.11.2016 तक किया गया।

**4. वस्तुओं की सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**

वस्तु सूची जैसे पुस्तक और अन्य प्रकाशन सामग्री का भौतिक सत्यापन 12.08.2019 को तथा लेखन सामग्री तथा उपभोग्य सामग्री का भौतिक सत्यापन 2019.2020 में किया गया।

**5. बकाया राशि के भुगतान में नियमितता**

वार्षिक खातों के अनुसार, सांविधिक देय राशि के संबंध में छह महीने से अधिक कोई भी भुगतान बकाया नहीं है।

हस्ता/-

निदेशक (ए.एम.जी.-II)



कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा  
(स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास)  
भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग  
Office of the Principal Director of Audit  
(Health, Welfare and Rural Development)  
Indian Audit and Accounts Department

भाविका जोशी लाठे  
निदेशक

दिनांक : 17.02.2021

प्रिय महोदय,

हमने वर्ष 2019-20 हेतु केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा), नई दिल्ली के वार्षिक लेखों का लेखा परीक्षण किया है और दिनांक 17/02/2021 के पत्र सं. एएमजी-II/4-14/एसएआर/कारा/2020-21/695-697 के माध्यम से लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की। लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गई जिसे लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। हम सुधारात्मक कार्रवाई हेतु इन तथ्यों को आपके ध्यान में ला रहे हैं:

1. कारा के पास उपलब्ध वास्तविक एफडीआर (22688662/- रु.) की तुलना में लेखा (22885362/- रु.) के अनुसूची-10 के अनुसार निवेश के मूल्य में 196700/- रु. का अंतर है। इसके प्रत्युत्तर में, कारा ने उल्लेख किया कि 1,89,713/- रु. की अंतर राशि को पहले ही बैंक द्वारा बचत बैंक खाता में जमा कर दिया गया है, लेकिन अभी भी 6,987/- रु. का अंतर है जिसे बैंक के साथ मिलान कराने की जरूरत है।
2. कारा ने वर्ष 2019-20 के दौरान 10300/- रु. के दो एक्स्टर्नल हार्ड डिस्क की खरीद की। इन मदों को अचल संपत्ति के तौर पर पुंजीकृत नहीं किया गया इसके बदले इस राशि को अप्रत्यक्ष व्यय के तौर पर खाता बही किया गया। इसके परिणामस्वरूप समान राशि के द्वारा अचल संपत्ति की न्यूनोक्ति और व्यय की अत्युक्ति हो गई है।
3. कारा के द्वारा अनुदत्त 1221.04 लाख रु. की अग्रिम राशि यथा 31.03.2020 (अनुसूची- ५) के अनुसार बकाया पड़ी हुई है। इस राशि में से 1157.09 लाख रु. की राशि 2008-09 से 2018-19 तक बकाया पड़ी हुई थी। यथाशीघ्र इन अग्रिमों के निपटान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। पिछले वर्ष के एसएआर में भी इसके बारे में बताया गया था लेकिन अभी भी भारी अग्रिम बकाया है।

शुभकामनाओं के साथ,


भवदीय

हस्ता/-

श्री. मनोज कुमार सिंह  
सदस्य सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  
पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल,  
आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066



CAR



**केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण**  
**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,**  
**भारत सरकार**

**यथा दिनांक 31 / 03 / 2020 तक**  
**का वित्तीय विवरण**

---

वेस्ट ब्लॉक-8, विंग-2, दूसरा तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066  
दूरभाष-91-011-26180196, टोल फ्री-1800-11-1311, टेलीफैक्स-91-011-26180198



वित्तीय विवरण  
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  
पश्चिमी खंड -8 विंग-2 द्वितीय तल, आर.के.पुस, नई दिल्ली-110006

1

31 मार्च, 2020 तक का तुलन पत्र

विवरण	अनुसूची	2019-2020	2018-19 (राशि रुपयों में)
कॉरपस/ पूंजीगत निधि एवं देयताएं			
पूंजीगत निधि	1	124,649,570.00	114,134,143.00
आरक्षित एवं आधिक्य	2	-	-
चिह्नित/अक्षय निधि	3	-	-
सुरक्षित ऋण एवं उधारियां	4	-	-
असुरक्षित ऋण एवं उधारियां	5	-	-
विलंबित ऋण देयताएं	6	-	-
मौजूदा देयताएं एवं प्राक्धान	7	36,137,164.00	22,868,805.00
व्यय पर आय का आधिक्य			
<b>कुल</b>		<b>160,786,734.00</b>	<b>137,002,948.00</b>
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	8	5,359,897.00	5,425,595.00
चिह्नित अक्षय निधि से निवेश	9	-	-
निवेश - अन्य	10	22,885,362.00	16,955,279.00
मौजूदा परिसंपत्तियां ऋण, अग्रिम आदि	11	132,541,475.00	114,622,086.00
विविध व्यय			
(लिखित या समायोजित नहीं होने की सीमा तक)			
<b>कुल</b>		<b>160,786,734.00</b>	<b>137,002,960.00</b>

हस्ता./-  
(सुरेश कुमार एन.वी.)  
लेखा अधिकारी (कारा)

हस्ता./-  
(डॉ. जगन्नाथ पति)  
संयुक्त निदेशक (कारा)

हस्ता./-  
(दीपक कुमार)  
सचिव (कारा)

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  
पश्चिमी खंड - 8 विंग-2 द्वितीय तल, आर.कं.पुरम, नई दिल्ली-110006

2

01.04.2019 से 31.03.2020 की अवधि के लिए आय एवं व्यय लेखा

विवरण	अनुसूची	2019-20	2018-19
			(राशि रुपयों में)
<b>आय</b>			
बिक्री / सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान / सहायिकी	13	78,087,994.00	86,513,390.00
शुल्क / अभिदान	14	450,000.00	150,000.00
निवेश से आय (निवेश से आय विहित/अक्षय निधि से)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	1,506,961.00	1,749,381.00
अन्य आय	18	495,547.00	30,123.00
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि / (कमी)	19	-	-
और चालू कार्य			
<b>कुल क</b>		<b>80,540,502.00</b>	<b>88,442,894.00</b>
<b>व्यय</b>			
स्थापना व्यय	20	30,056,888.00	35,175,546.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	39,902,489.00	60,006,124.00
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्याहस (वर्ष के अंत में निवल योग - अनुसूची-8 के अनुक्रम)	६	1,384,089.00	1,333,448.00
<b>कुल ख</b>		<b>71,343,466.00</b>	<b>96,515,118.00</b>
<b>व्यय पर आय की अधिकता के कारण शेष (क-ख)</b>		<b>9,197,036.00</b>	<b>(8,072,224.00)</b>
विशेष रिजर्व में अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)			
सामान्य रिजर्व से / में अंतरण			
<b>पूजीगत निधि में डाला गया आधिक्य / (घाटा) के कारण शेष</b>		<b>9,197,036.00</b>	<b>(8,072,224.00)</b>
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25		

हस्ता. / -  
(सुरेश कुमार एन.वी.)  
लेखा अधिकारी (कारा)

हस्ता. / -  
(डॉ. जगन्नाथ पति)  
संयुक्त निदेशक (कारा)

हस्ता. / -  
(दीपक कुमार)  
सचिव (कारा)

01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 की अवधि/समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

विवरण	प्राप्तियां		भुगतान		(राशि रुपयों में)
	2019-20	2018-19	विवरण	2019-20	
(i) हाथ शेष (क) हाथ रोकड़ (ख) बैंक में जमा राशि (ग) बचत खातों में (अव्ययित शेष) (घ) जमा खातों में (ङ) बचत खाता सिडिकेट बैंक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया आईडीबीआई बैंक	4196	12016	(i) खयः (क) स्थापना व्यय (ख) प्रशासनिक व्यय (ग) पिछले वर्ष के प्रावधानों के लिए भुगतान (ii) विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के लिए किया गया भुगतान : (प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण सहित निधि अथवा परियोजना का नाम सभ्य में दर्शाया जाना चाहिए)	27436679 32621499 781369	31,721,673 32,066,793 510,999
(ii) अग्रिम समायोजन	1,488,846	962,479	(iii) किया गया निवेश और जमा : (क) चिह्नित/अक्षय निधि में से (ख) खय की निधि में से (अन्य निवेश) (iv) स्थायी परिसंपत्तियों पर व्यय और चालू कार्य में पूंजी (क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद (ख) पूंजीगत चालू कार्य पर व्यय (v) ऋण और अग्रिम : (क) भारत सरकार को (ख) राज्य सरकार को (ग) अन्य को (vi) वित्तीय प्रसार (ब्याज) :	4850000	9,851,065
(iii) प्राप्त अनुदान (क) भारत सरकार से :- i) राजस्व व्यय ii) पूंजीगत व्यय (ख) राज्य सरकार से (ग) अन्य स्रोतों से (ब्यौरा) अलग से दर्शाया गया है।	88317989 1072011	84,141,914 596,036	(vii) अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें) : प्रतिरति जमा (viii) अंत शेष : (क) हाथ रोकड़ (ख) बैंक में जमा राशि (ग) बचत खातों में (घ) जमा खातों में (यूबीआई) आईडीबीआई सिडिकेट बैंक	1072011	596,036
(iv) निवेश पर निम्नलिखित से आय : (क) चिह्नित/अक्षय निधि (ख) खय की निधियां (अन्य स्रोत)	0	11,081,063	(vii) अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें) : प्रतिरति जमा (viii) अंत शेष : (क) हाथ रोकड़ (ख) बैंक में जमा राशि (ग) बचत खातों में (घ) जमा खातों में (यूबीआई) आईडीबीआई सिडिकेट बैंक	14,910,256	25,892,234
(v) प्राप्त ब्याज (क) बैंक जमा राशि पर (ख) ऋण अग्रिम आदि (ग) बचत खाता (घ) निवेश और अन्य से प्राप्त ब्याज	325882 0	414,197 248,605	(vii) अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें) : प्रतिरति जमा (viii) अंत शेष : (क) हाथ रोकड़ (ख) बैंक में जमा राशि (ग) बचत खातों में (घ) जमा खातों में (यूबीआई) आईडीबीआई सिडिकेट बैंक	1023920	128,000
(vi) अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें) विविध : प्राप्तियां एफएससी अन्य आय (ईपीएफ) आरटीआई के लिए प्राप्त फीस और शुल्क क्रैकिंग मशीन के उपयोग पर छूट	11600 477512 520 450000	17,020 12,376 41,908 727 150,000	(vii) अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें) : प्रतिरति जमा (viii) अंत शेष : (क) हाथ रोकड़ (ख) बैंक में जमा राशि (ग) बचत खातों में (घ) जमा खातों में (यूबीआई) आईडीबीआई सिडिकेट बैंक	19,370	4,196
(vii) उधार ली गई राशि : (viii) कोई अन्य प्राप्तियां (ब्यौरा दें) : प्रतिरति जमा	- - - -	- - - -	(vii) अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें) : प्रतिरति जमा (viii) अंत शेष : (क) हाथ रोकड़ (ख) बैंक में जमा राशि (ग) बचत खातों में (घ) जमा खातों में (यूबीआई) आईडीबीआई सिडिकेट बैंक	6,601,556 3,816,827	574,742 410,189
कुल	93,133,487	101,755,927	कुल	93,133,487	101,755,927

हस्ता. / -  
(सुरेश कुमार एन.वी.)  
लेखा अधिकारी (कारा)

हस्ता. / -  
(डॉ. जगन्नाथ रति)  
संयुक्त निदेशक (कारा)

हस्ता. / -  
(डीपक कुमार)  
सचिव (कारा)

वित्तीय विवरण  
 केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  
 पश्चिमी खंड - 8 विंग-2 द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110006  
 31 मार्च, 2020 तक के आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूचियां

विवरण	2019-20	2018-19	(राशि रुपयों में)
<b>अनुसूची 1 - पूंजीगत निधि :</b>			
वर्ष के प्रारंभ में शेष	114134143	121,610,331.00	
जोड़े : अव्ययित पिछले वर्ष के योगदान	-	-	
	114,134,143.00	121,610,331.00	
जोड़े : कॉरपस/पूंजीगत निधि में अंशदान	1,072,011.00	596,036.00	
जोड़े : वर्ष 2018-2019 की ऑडिट रिपोर्ट में एजीसीआर के अवलोकन के कारण समायोजन	246,380.00		
जोड़े/घटाए : निम्न से अंतरित निवल आय का शेष / (व्यय)	9,197,036.00	(8,072,224.00)	
घटाए : अग्र शेष	-NIL-	-NIL-	
आय एवं व्यय लेखा	-NIL-	-NIL-	
घटाए : रिजर्व एवं अधिशेष में अंतरित	-NIL-	-NIL-	
<b>वर्ष की समाप्ति पर शेष</b>	<b>124,649,570.00</b>	<b>114,134,143.00</b>	
<b>अनुसूची 2 - रिजर्व एवं अधिशेष :</b>			
1. पूंजीगत रिजर्व :			
पिछले लेखे के अनुसार	-NIL-	-NIL-	
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	-NIL-	-NIL-	
घटाए : वर्ष के दौरान कटौतियां	-NIL-	-NIL-	
2. पुनर्मुल्यांकन रिजर्व :			
पिछले लेखे के अनुसार	-NIL-	-NIL-	
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	-NIL-	-NIL-	
घटाए : वर्ष के दौरान कटौतियां	-NIL-	-NIL-	
3. विशेष रिजर्व :			
पिछले लेखे के अनुसार	-NIL-	-NIL-	
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	-NIL-	-NIL-	
घटाए : वर्ष के दौरान कटौतियां	-NIL-	-NIL-	
4. सामान्य रिजर्व :			
पिछले लेखे के अनुसार	-NIL-	-NIL-	
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	-NIL-	-NIL-	
घटाए : वर्ष के दौरान कटौतियां	-NIL-	-NIL-	
<b>कुल</b>			

हस्ता./-  
 (दीपक कुमार)  
 सचिव (कारा)

हस्ता./-  
 (डॉ. जगन्नाथ पति)  
 संयुक्त निदेशक (कारा)

हस्ता./-  
 (सुरेश कुमार एन.वी.)  
 लेखा अधिकारी (कारा)

वित्तीय विवरण  
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  
पश्चिमी खंड -8 विंग-2 द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110006  
31 मार्च, 2020 तक के आय एवं व्यय के संबंधित अनुसूचियां

5

विवरण	2019-20	2018-19	(राशि रुपयों में)
<b>अनुसूची 3 – चिह्नित/आशय निधि :</b> क) हाथ शेष निधियों की ख) निधि के अतिरिक्त : (i) अनुदान (योजना नहीं) : क) राजस्व व्यय ख) पूंजीगत व्यय (ii) आय से निवेश किया गया धन खाते में (iii) अन्य परिचर्जन (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें) : अंतर्राष्ट्रीय मीट फंजीकरण शुल्क	- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil-	- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil-	- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil-
<b>ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग / व्यय</b> <b>(i) पूंजीगत व्यय</b> * परिसंपत्तिया * अन्य <b>(ii) राजस्व व्यय</b> * वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि। * किराया * अन्य प्रशासनिक व्यय इंटरनेशनल मीट व्यय	- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil-	- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil-	- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil-
<b>कूल (ग)</b>	-	-	-
<b>साल के अंत में नेट बैलेंस के रूप में (क+ख-ग)</b>			
<b>टिप्पणियाँ :</b> 1) अनुदान के साथ संलग्न शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण प्रासंगिक प्रमुख के तहत किया जाएगा। 2) केंद्र/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधि को अलग निधि के रूप में दिखाया जाना चाहिए और किसी अन्य के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए।			

हस्ता./-  
(सुरेश कुमार एन.वी.)  
लेखा अधिकारी (कारा)

हस्ता./-  
(डॉ. जगन्नाथ पति)  
संयुक्त निदेशक (कारा)

हस्ता./-  
(दीपक कुमार)  
सचिव (कारा)

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  
पश्चिमी खंड -8 विंग-2 द्वितीय तल, आर.बे.पुरम, नई दिल्ली-110006

31 मार्च 2020 के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

6

विवरण	2019-20	2018-19
<b>अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण और नियमः</b> 1. केंद्रीय सरकार 2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें) 3. वित्तीय संस्थाएं क) मीयादी ऋण ख) उपचित एवं बाकी ब्याज  4. बैंकों : क) मीयादी ऋण  ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें) ब्याज अर्जित और देय  5. अन्य संस्थानों और एजेंसियों 6. डिबेंचर और बाण्ड्स 7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil-  -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil-	-Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil-  -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil-
<b>कुल</b>	-Nil-	-Nil-

ध्यान दें : एक वर्ष के भीतर देय राशि

हस्ता. / -

(सुरेश कुमार एन.वी.)  
लेखा अधिकारी (कारा)

हस्ता. / -

(डॉ. जगन्नाथ पति)  
संयुक्त निदेशक (कारा)

हस्ता. / -

(दीपक कुमार)  
सचिव (कारा)

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  
पश्चिमी खंड -8 विंग-2 द्वितीय तल, आर.कं.पुरम, नई दिल्ली-110006

7

31 मार्च 2020 के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

विवरण	2019-20	2018-19
<p>अनुसूची 5 - सुरक्षित ऋण और नियमः</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. केन्द्रीय सरकार</li> <li>2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)</li> <li>3. वित्तीय संस्थाएं</li> <li>4. बैंको :</li> <li>    ) मीयादी ऋण</li> <li>    इ) उपयुक्त एवं बाकी ब्याज</li> <li>5. अन्य संस्थानों और एजेंसियों</li> <li>6. डिबेंचर और बाण्ड्स</li> <li>7. फिक्स्ड डिपॉजिट</li> <li>8. अन्य (निर्दिष्ट करें)</li> </ol>	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -
<p>अनुसूची 6 -निष्ठासिद्ध क्रेडिट सीमाएं:</p> <p>क) पूजी उपकरण और अन्य परिसंपत्तियों के हाइपोथेक्शन द्वारा सुरक्षित स्वीकृति</p> <p>ख) अन्य</p> <p>कुल</p>	- - - -	- - - -

ध्यान दें : एक वर्ष के भीतर देय राशि

हस्ता./-  
(सुरेश कुमार एन.वी.)  
लेखा अधिकारी (कारा)

हस्ता./-  
(डॉ. जगन्नाथ पति)  
संयुक्त निदेशक (कारा)

हस्ता./-  
(दीपक कुमार)  
सचिव (कारा)



वित्तीय विवरण  
केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  
पश्चिमी खंड -8 विंग-2 द्वितीय तल, आर.कं.पुरम, नई दिल्ली-110006  
31 मार्च, 2020 तक के आय एवं व्यय के संबंधित अनुसूचियां

विवरण	2019-20	2018-19
<b>अनुसूची 7-वर्तमान देयतायें एवं प्राक्धान</b>		
<b>क. वर्तमान देयताएं</b>		
अव्ययित सहायता अनुदान	10,437,753.00	989,127.00
व्यय हेतु प्राक्धान (अनुलग्नक 'ग' के अनुसार)	704,546.00	704,546.00
ईपीएफ संगठन	-	41,908.00
प्रतिभूति जमा	1,901,144.00	1,001,070.00
टीडीएस सविदाकार	-	-
टीडीएस व्यावसायिक वेतन	-	-
टीडीएस किसानों	-	-
कर्मचारी खाता बीके साहू	57,333.00	57,333.00
कर्मचारी खाता जे पल्लि	-	15,275.00
कर्मचारी खाता वीरेंद्र कुमार मिश्रा	-	28,991.00
कर्मचारी खाता वीरेंद्र कुमार मिश्रा	15,376.00	15,376.00
भगतान करना और लेखा अधिकारी, ए.जी.एम.पी., ग्वालियर	131,038.00	
<b>कुल क</b>	<b>13,247,190.00</b>	<b>2,853,626.00</b>
<b>ख : प्राक्धान</b>		
1. कारधान के लिए		
2. उपदान	12,560,549.00	10,606,354.00
3. अधिवर्षिता/पेशन		
4. संचित छुट्टी नकद भगतान	10,329,425.00	9,408,825.00
5. व्यापार वारंटियां/दावे		
6. अन्य (गिनिदिष्ट करें)		
स्थापना का प्राक्धान और स्थापना व्यय (अनुबंध 'डी')		
व्यय के लिए प्राक्धान	22,889,974.00	20,015,179.00
<b>कुल क+ख</b>	<b>36,137,164.00</b>	<b>22,868,805.00</b>

हस्ता./-  
(सुरेश कुमार एन.वी.)  
लेखा अधिकारी (कारा)

हस्ता./-  
(डॉ. जगन्नाथ पति)  
संयुक्त निदेशक (कारा)

हस्ता./-  
(दीपक कुमार)  
सचिव (कारा)



वित्तीय विवरण  
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  
पश्चिमी खंड -8 विंग-2 द्वितीय तल, आर-के-पुसम, नई दिल्ली-110006

अनुसूची 8 - स्थायी परिसंपत्तियां : जानकारी अनुलग्नक-A. स्थायी परिसंपत्तियां 31.3.2020 तक के अनुसार

विवरण	कल संपत्तियां				विवरण				(राशि रूपयों में)			
	वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के शुरु में मूल्यों पर लिखा हुआ	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	वर्ष के दौरान की गई कटौती	लिखा हुआ मूल्यों पर वर्ष के अंत के फले शिप	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि पर	वर्ष के दौरान की गई कटौती	अतिरिक्त मूल्यदास प्रत्येक वर्ष हेतु	वर्ष के अंत तक कुल	पिछले वर्ष के अंत तक कुल
क. स्थायी परिसंपत्तियां :												
1. भूमि :												
क) पूर्णस्वामित्व												
ख) पट्टे पर												
2. भवन:												
क) पूर्णस्वामित्व वाली भूमि पर												
ख) पट्टे की जमीन पर												
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर												
घ) ऐसी भूमि पर अधिरचना जो सस्था की नहीं है												
3. संयंत्र मशीनरी एवं उपस्कर												
4. वाहन												
5. फर्नीचर फिक्सचर्स ( 9.50%)	4,849,787	2,71,1552	-	-	2,711,552	2,259,335	271,158	-	-	2,530,493	2,440,394	2,711,552
6. कार्यालय उपस्कर (19%)	2,843,328	1,321,087	513,828	-	1,894,915	1,527,241	259,628	-	-	1,786,867	1,575,289	1,321,087
7. कम्प्यूटर/कम्प्यूटरी से जुड़ी वस्तुएं (31.67%)	5,782,400	1,392,582	377,788	-	1,770,360	4,389,818	888,568	-	-	5,078,404	1,081,784	1,392,582
8. विद्युत संस्थापना												
9. नलकूप एवं जलापूर्ति												
10. अन्य स्थायी परिसंपत्तियां (पुरतकालय )	45,521	374	-	-	374	-	-	-	-	164,719	374	374
11. प्रोपियम परिसंपत्तियां												
<b>कुल</b>	<b>13,526,036</b>	<b>5,425,595</b>	<b>1,318,391</b>		<b>6,743,986</b>	<b>8,176,394</b>	<b>1,384,089</b>			<b>9,560,483</b>	<b>5,359,897</b>	<b>5,425,595</b>
<b>ख- पूंजीगत बाल कार्य</b>												
<b>कुल जोड़</b>	<b>13,526,036</b>	<b>5,425,595</b>	<b>1,318,391</b>		<b>6,743,986</b>	<b>8,176,394</b>	<b>1,384,089</b>			<b>9,560,483</b>	<b>5,359,897</b>	<b>5,425,595</b>

हस्ता./-  
(सुरेश कुमार एन.वी.)  
लेखा अधिकारी (कारा)

हस्ता./-  
(डॉ. जगन्नाथ पति)  
संयुक्त निदेशक (कारा)

हस्ता./-  
(दीपक कुमार)  
सचिव (कारा)

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड -8 विंग-2 द्वितीय तल, आर.डे.पु.सम, नई दिल्ली-110006

10

31 मार्च 2020 के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

विवरण	2019-20	2018-19
<p><b>अनुसूची 9 – अभिनिर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>सरकारी प्रतिभूतियों में</li> <li>अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में</li> <li>शेयर</li> <li>डिबेंचर्स एवं बॉन्ड्स</li> <li>सहायक एवं संयुक्त नवोद्यम</li> <li>अन्य ( विनिर्दिष्ट किया जाए )</li> </ol>		
<b>कुल</b>		
<p><b>अनुसूची 10 – निवेश – अन्य :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>सरकारी प्रतिभूतियों में</li> <li>अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में</li> <li>शेयर</li> <li>डिबेंचर्स एवं बॉन्ड्स</li> <li>सहायक एवं संयुक्त नवोद्यम</li> <li>अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)</li> </ol> <p>उपयुक्त ब्याज लेकिन जो प्राप्त नहीं हुआ है मियादी जमा (सिलिकेट बैंक के पास)</p>	<p>22,885,362.00</p> <p><b>22,885,362.00</b></p>	<p>16,955,279.00</p> <p><b>16,955,279.00</b></p>
<b>कुल</b>		

हस्ता. / -  
(सुरेश कुमार एन.वी.)  
लेखा अधिकारी (कारा)

हस्ता. / -  
(डॉ. जगन्नाथ पति)  
संयुक्त निदेशक (कारा)

हस्ता. / -  
(दीपक कुमार)  
सचिव (कारा)

वित्तीय विवरण  
 केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  
 पश्चिमी खंड -8 विंग-2 द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110006  
 31 मार्च, 2020 तक के आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूचियां

11

विवरण	2019-20	2018-19 (राशि रूपयों में)
अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि		
क. चालू परिसंपत्तियां : 1. संपत्ति - सूची : क) भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे ख) खुले ऑजार ग) स्थायी खजाना तैयार माल प्रगति में कार्य कच्चा माल	- - - - - -	
कुल		
2. विविध देनदार : क) छ. माह से अधिक अवधि के ऋण ख) अन्य	19370	4196
3. हस्तगत बकाया शेकड़ (चौक/झापट और अग्रदाय सहित) :		
4. बैंक में जमा राशि : क) अनुसूचित बैंकों में : * चालू खातों में * जमा खातों में (मार्जिन राशि सहित) * बचत खातों में	10,418,383.00	984,931.00
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में * चालू खातों में * जमा खातों में * बचत खातों में		
कुल		
5. लाकधर- बचत खाते		
कुल	10,437,753.00	989,127.00

हस्ता./-  
 (सुरेश कुमार एन.वी.)  
 लेखा अधिकारी (कारा)

हस्ता./-  
 (डॉ. जगन्नाथ पति)  
 संयुक्त निदेशक (कारा)

हस्ता./-  
 (दीपक कुमार)  
 सचिव (कारा)

12	
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां	
1. ऋण :	
क) कर्मचारी (अनुदानक 'ख')	41500.00
ख) संस्था की गतिविधियों जैसी गतिविधियों में संलग्न/समान उद्देश्यों वाली अन्य संस्थाएं	
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	
<b>2. अग्रिम और अन्य राशि की वसूली नगदी या वस्तु के रूप में प्राप्त किया जाना</b>	
क) पूंजीगत खाते में	
ख) पूर्व भुगतान	
ग) अन्य :	
अनुदानक 'ख' के अनुसार प्रशिक्षण और जागरूकता	10246362.00
एन.आई.सी	3826136.00
के.ए.सी.वि.	8985172.00
अग्रिम वेतन( श्री दीपक कुमार- मुख्य कार्यकारी अधिकारी)	
प्रतिभूति जमा (फोन)	
डी.ए.वी.पी	72512770.00
घ) डाक-व्यय अग्रिम	39431.00
एन.आई.सी एस.आई	13140933.00
डी.जी.एस. एण्ड डी	63459.00
संपत्ति निदेशालय	8000.00
विदेशी अग्रिम यात्रा भत्ता	3564.00
सी.आई.डी.पी.एच.ओ. भोपाल	
सुश्री रुषा मल्लोत्रा	25000.00
राष्ट्रीय फिल्म निर्माण निगम	13025000.00
<b>3. उपार्जित आय :</b>	
क) निर्धारित/बांदाबस्ती फंड निवेश के लिए	
ख) अन्य निवेशों से (एफ.डी.आर.)	0.00
ग) ऋणों एवं अग्रिम से	
घ) अन्य (आय की वजह से अचेतन ब्याज प्राप्त करने योग्य रुपये.....- भी शामिल है अनुदान सहायता प्राप्त करने योग्य	187395.00
<b>4. दावों को प्राप्त करने योग्य</b>	
कल (ख)	122,103,722.00
कुल (क+ख)	132,541,475.00
हस्ता./-	हस्ता./-

(दीपक कुमार)  
सचिव (कारा)

(डॉ. जगन्नाथ पति)  
संयुक्त निदेशक (कारा)

(सुरेश कुमार एन.वी.)  
लेखा अधिकारी (कारा)

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  
परिचयी खंड -8 विंग-2 द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110006

13

31 मार्च 2020 के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

विवरण	2019-20	2018-19
<p>अनुसूची 12 - बिक्री/सेवाओं से आय:</p> <p>1) बिक्री से आय</p> <p>क) तैयार माल की बिक्री</p> <p>ख) कच्चे माल की बिक्री</p> <p>ग) स्ट्रॉप की बिक्री</p> <p>2) सेवाओं से आय</p> <p>क) श्रम और प्रसंस्करण शुल्क</p> <p>ख) प्रोफेशनल/कंसल्टेंसी सर्विसेज</p> <p>ग) एजेसी कमीशन और दलाली</p> <p>घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)</p> <p>ङ) अन्य (निर्दिष्ट करें)</p>	<p>-Nil-</p> <p>-Nil-</p> <p>-Nil-</p> <p>-Nil-</p> <p>-Nil-</p> <p>-Nil-</p> <p>-Nil-</p> <p>-Nil-</p> <p>-Nil-</p> <p>-Nil-</p>	<p>-Nil-</p> <p>-Nil-</p> <p>-Nil-</p> <p>-Nil-</p> <p>-Nil-</p> <p>-Nil-</p> <p>-Nil-</p> <p>-Nil-</p> <p>-Nil-</p>
कुल	-	-

(राशि रूपयों में)

हस्ता./-  
(सुरेश कुमार एन.वी.)  
लेखा अधिकारी (कारा)

हस्ता./-  
(डॉ. जगन्नाथ पति)  
संयुक्त निदेशक (कारा)

हस्ता./-  
(दीपक कुमार)  
सचिव (कारा)

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  
पश्चिमी खंड -8 विंग-2 द्वितीय तल, आर.बे.पुरम, नई दिल्ली-110006

14

31 मार्च, 2020 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

विवरण	2019-20	2018-19
<p><b>अनुसूची 13 - अनुदान/सहायिकी</b> (अप्रतिस्पर्धीय अनुदान एवं प्राप्त सहायिकी) जोड़े- प्रारंभिक अव्ययित अनुदान</p> <p>1) केंद्र सरकार घटाये - प्रारंभिक अव्ययित अनुदान 31/03/2020 तक घटाये- राशि अंतरण के पूंजीगत निधि</p> <p>2) राज्य सरकार (रं) 3) सरकारी अभिकरण 4) संस्थाएं/कल्याण निकाय 5) अंतरराष्ट्रीय संगठन 6) अन्य (गिनिर्दिष्ट करें) स्थानांतरण भारत के समेकित कोष में</p>	<p>989127 89,390,000 10437758 1072011</p>	<p>3,360,603 84,737,950 989127 596036</p>
<b>कुल</b>	<b>78,087,994</b>	<b>86,513,390</b>

(राशि रूपमां में)

हस्ता./-  
(सुरेश कुमार एन.वी.)  
लेखा अधिकारी (कारा)

हस्ता./-  
(डॉ. जगन्नाथ पति)  
संयुक्त निदेशक (कारा)

हस्ता./-  
(दीपक कुमार)  
सचिव (कारा)

वित्तीय विवरण  
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  
परिचयी खंड -8 विंग-2 द्वितीय तल, आर-के-पुरम, नई दिल्ली-110006

15

31 मार्च, 2020 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

विवरण	2019-20	2018-19
अनुसूची-14 शुल्क / अंशदान		
1. प्रवेश शुल्क	0.00	0.00
2. वार्षिक शुल्क / अंशदान	0.00	0.00
3. सेमीनार / कार्यक्रम शुल्क	0.00	0.00
4. परामर्श शुल्क	0.00	0.00
5. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	0.00	0.00
6. जुर्माना	450,000.00	150,000.00
<b>कुल</b>	<b>450,000.00</b>	<b>150,000.00</b>

नोट: प्रत्येक आइटम के लिए लेखांकन नीतियों का खुलासा किया जाना है

हस्ता./-  
(सुरेश कुमार एन.वी.)  
लेखा अधिकारी (कारा)

हस्ता./-  
(डॉ. जगन्नाथ पति)  
संयुक्त निदेशक (कारा)

हस्ता./-  
(दीपक कुमार)  
सचिव (कारा)

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  
पश्चिमी खंड -8 विंग-2 द्वितीय तल, आर.जे.पुरम, नई दिल्ली-110006

16

31 मार्च 2020 के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

विवरण	धन से निवेश चिह्नित	
	2019-20	2018-19
<p><b>अनुसूची 15 - आय निवेश से</b> आय से निवेश चिह्नित/बंदोबस्ती निधि को निधि में हस्तांतरित)</p> <p>1. ब्याज क) सरकार पर प्रतिभूति ख) अन्य बाण्ड्स / डिबेंचर</p> <p>2. लामाश: क) शेयरों पर ख) म्यूचुअल फंड सिक््योरिटीज पर</p> <p>3. किराया 4. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)</p>	-Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil-	-Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil- -Nil-
<b>कुल</b>	-	-
नामांकित/अंतरण कार्यों के लिए हस्तांतरित		

हस्ता. / -  
(सुरेश कुमार एन.वी.)  
लेखा अधिकारी (कारा)

हस्ता. / -  
(डॉ. जगन्नाथ पति)  
संयुक्त निदेशक (कारा)

हस्ता. / -  
(दीपक कुमार)  
सचिव (कारा)



वित्तीय विवरण  
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  
पश्चिमी खंड -8 विंग-2 द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110006

17

31 मार्च 2020 के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

विवरण	2019-20	2018-19
अनुसूची 16 - रॉयल्टी से आय, प्रकाशन आदि :		
1) रॉयल्टी से आय	-Nil-	-Nil-
2) प्रकाशनों से आय	-Nil-	-Nil-
3) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-Nil-	-Nil-
कुल	-	-

(राशि रूपों में)

हस्ता./-  
(सुरेश कुमार एन.वी.)  
लेखा अधिकारी (कारा)

हस्ता./-  
(डॉ. जगन्नाथ पति)  
संयुक्त निदेशक (कारा)

हस्ता./-  
(दीपक कुमार)  
सचिव (कारा)

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन-प्राधिकरण

पश्चिमी खंड -8 विंग-2 द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110006

18

31 मार्च, 2020 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

विवरण	2019-20	2018-19
<b>अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज</b>		
1) मियादी जमा पर :		
क) अनुसूचित बैंको से (अर्जित ब्याज लेकिन प्राप्त नहीं)		1118012
ख) गैर-अनुसूचित बैंको से	1061456	0.00
ग) संस्थाओं से	0.00	0.00
घ) अन्य	0.00	0.00
2) बचत खातों पर :		
क) अनुसूचित बैंको से	445505	631369
ख) गैर-अनुसूचित बैंको से	0.00	0.00
ग) संस्थाओं से	0.00	0.00
घ) अन्य	0.00	0.00
3) ऋणों पर :		
क) कर्मचारी/स्टाफ	0.00	0.00
ख) अन्य	0.00	0.00
4) देनदारों और अन्य प्राप्यों पर ब्याज	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>1,506,961</b>	<b>1,749,381</b>

नोट: स्रोत पर कर कटौती का उल्लेख किया जा.।

हस्ता./-  
(सुरेश कुमार एन.वी.)  
लेखा अधिकारी (कारा)

हस्ता./-  
(डॉ. जगन्नाथ पति)  
संयुक्त निदेशक (कारा)

हस्ता./-  
(दीपक कुमार)  
सचिव (कारा)

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खण्ड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

19

31 मार्च, 2020 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

विवरण	2019-20	2018-19
<b>अनुसूची 18 - अन्य आय :</b>		
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ	0	0
क) स्वामित्व प्राप्त परिसंपत्तियां	0	0
ख) अनुदानों से अधिगृहीत अथवा नि:शुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां	0	0
2) बसूले गए निर्यात प्रोत्साहन	0	0
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क	0	0
4) विविध आय	17515	17020
पुराने समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं की बिक्री	0	0
फ्रीकिंग मशीन के उपयोग पर डाक विभाग द्वारा दी गई छूट	0	0
आर.टी.आई. शुल्क	520	727
प्राप्त विदेशी अनुदान	0	0
अंतरराष्ट्रीय बैठक (पंजीकरण शुल्क खाता)	0	0
एफएससी अभिलेख (छुट्टी वेतन) खाता	477512	12376
<b>कुल</b>	<b>495,547</b>	<b>30,123</b>

हस्ता./-

(सुरेश कुमार एन.वी.)  
लेखा अधिकारी (कारा)

हस्ता./-

(डॉ. जगन्नाथ पति)  
संयुक्त निदेशक (कारा)

हस्ता./-

(दीपक कुमार)  
सचिव (कारा)

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

परश्चिमी खण्ड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

20

31 मार्च, 2020 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

विवरण	2019-20	2018-19
अनुसूची 19 - तैयार माल का स्टॉक और प्रक्रिया में काम में वृद्धि/कमी		
क) क्लोजिंग स्टॉक	-Nil-	-Nil-
i) तैयार माल	-Nil-	-Nil-
ii) कार्य प्रगति पर है	-Nil-	-Nil-
ख) कम: ओपनिंग स्टॉक		
i) तैयार माल	-Nil-	-Nil-
ii) कार्य प्रगति पर है	-Nil-	-Nil-
कुल	-	-

(राशि रूपयों में)

हस्ता./-  
(सुरेश कुमार एन.वी.)  
लेखा अधिकारी (कारा)

हस्ता./-  
(डॉ. जगन्नाथ पति)  
संयुक्त निदेशक (कारा)

हस्ता./-  
(दीपक कुमार)  
सचिव (कारा)

वित्तीय विवरण  
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  
पश्चिमी खण्ड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

21

31 मार्च, 2020 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

विवरण	2019-20	2018-19
<b>अनुसूची 20 - स्थापना व्यय :</b>		
क) वेतन और मजदूरी	21178107	22,145,143
ख) जनशक्ति प्रभार (अनुबंधित कर्मचारी)	583778	2,384,768
ग) भत्ते, बोनस और मानदेय	85594	151,712
घ) शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति	366750	151,500
ङ) छुट्टी वेतन भुगतान	660473	2,346,562
च) समायोपरि भुगतान	616130	-
छ) चिकित्सा व्यय	599915	621,522
ज) छुट्टी यात्रा सियायत व्यय	74100	270,933
झ) भविष्य निधि में नियोजता का अशदान	1347947	1,602,158
ञ) ई.डी.एल.आई. (पी.एफ.)	13425	15,525
ट) ई.पी.एफ. प्रशासन प्रभार	64046	106,716
ठ) एफ.एस.सी.	1591828	1,886,940
ड) पढ़ा किराया	-	444,970
ढ) समायोपरि भत्ता	1954195	3,047,097
ण) छुट्टी वेतन प्रावधान	920600	-
<b>कुल क+ख</b>	<b>30,056,888</b>	<b>35,175,546</b>

हस्ता./-  
(सुरेश कुमार एन.वी.)  
लेखा अधिकारी (कारा)

हस्ता./-  
(डॉ. जगन्नाथ पति)  
संयुक्त निदेशक (कारा)

हस्ता./-  
(दीपक कुमार)  
सचिव (कारा)

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  
पश्चिमी खण्ड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

22

31 मार्च, 2020 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

विवरण	2019-20	2018-19
<b>अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय</b>		
विज्ञापन और प्रचार	1,412,382.00	28,240,010.00
लेखापरीक्षा शुल्क	117,270.00	2,785.00
बैंक प्रभार	1,829.00	1,097.00
क्यासिस् शुल्क	1,454,532.00	5,661,005.00
कम्प्यूटर नेटवर्किंग एवं अन्य सहायक सामग्री	89,975.00	46,161.00
परामर्श प्रभार	19,721,444.00	13,285,332.00
वाहन व्यय	56,923.00	25,580.00
हिंदी पखवाड़ा व्यय	61,718.00	14,000.00
टीए/डीए सलाहकार समिति	269,215.00	1,239,389.00
हॉस्पिटैलिटी	81,128.00	19,680.00
निरीक्षण और निगरानी व्यय	520,867.00	99,373.00
इंटरनेट व्यय	129,795.00	63,613.00
बैठक व्यय	79,017.00	155,646.00
समाचार पत्र, किताबें और पत्रिकाओं	70,236.00	34,495.00
कार्यालय-व्यय	105,597.00	55,560.00
छाक और तार प्रभार	313,240.00	135,282.00
प्रिंटिंग व्यय	221,885.00	212,844.00
व्यावसायिक प्रभार एवं विधायी	51,962.00	79,392.00
भर्ती एवं प्रशिक्षण व्यय	32,934.00	15,093.00
कार्यालय भवन की मरम्मत एवं रखरखाव	72,588.00	2,750.00
कार्यालय फनीचर की मरम्मत एवं रखरखाव	195,512.00	-
कार्यालय उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव	-	180,687.00
अनुसंधान और मूल्यांकन व्यय	2,696,690.00	1,990,791.00
सुस्था एवं सफाई व्यय	-	653,500.00
लेखन सामग्री	851,232.00	734,000.00
टेलीफोन प्रभार	715,235.00	664,409.00
निशुल्क हैल्पलाइन व्यय	97,098.00	551,624.00
प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम व्यय	7,566,090.00	2,328,846.00
यात्रा व्यय	802,101.00	690,415.00
वाहन किराया (कार)	1,251,290.00	883,732.00
जल एवं विद्युत प्रभार	82,121.00	56,080.00
अर्तदेशीय टी. व्यय	-	75,193.00
एन.ई.आर व्यय	54,089.00	1,807,760.00
आकस्मिकता खाता (विविध व्यय)	83,494.00	-
एनआरसी समिति के सदस्यों को वेतन ए / सी	643,000.00	-
<b>कुल योग</b>	<b>39,902,489</b>	<b>60,006,124</b>

हस्ता. / -

(सुरेश कुमार एन.वी.)  
लेखा अधिकारी (कार)

हस्ता. / -

(डॉ. जगन्नाथ पति)  
संयुक्त निदेशक (कार)

हस्ता. / -

(दीपक कुमार)  
सचिव (कार)

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खण्ड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

23

31 मार्च, 2020 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

विवरण	(राशि रूप्यों में)	
	2019-20	2018-19
अनुसूची 22 - व्यय पर अनुदान, सब्सिडी क) संस्थानों / संगठनों को दिया जाने वाला अनुदान ख) संस्थानों / संगठनों को दी जाने वाली सब्सिडी कुल	-Nil- -Nil- -	-Nil- -Nil- -
नोट: संस्थाओं के नाम, उनकी गतिविधियों के साथ-साथ अनुदान / सब्सिडी की राशि वा खुलासा किया जाना है।		
अनुसूची 23 - ब्याज: क) तय पर पेम्स ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित) ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-Nil- -Nil- -Nil-	-Nil- -Nil- -Nil-
कुल	-	-

हस्ता./-  
(सुरेश कुमार एन.वी.)  
लेखा अधिकारी (कारा)

हस्ता./-  
(डॉ. जगन्नाथ पति)  
संयुक्त निदेशक (कारा)

हस्ता./-  
(दीपक कुमार)  
सचिव (कारा)

**वित्तीय विवरण**

**केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण**  
**वेस्ट ब्लॉक-8, विंग-2, दूसरा तल, आर.के.**  
**पुरम, नई दिल्ली-110066**

**31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लेखों का भाग बनी अनुसूचियां**

**अनुसूची- 24**

लेखों को तैयार करने की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां/आधार :

**1. लेखांकन रीति :**

वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन आधार से तैयार किए गए हैं।

**2. सामान सूची का मूल्यांकन :**

भंडार और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

**3. निवेश :**

“दीर्घकालिक निवेश” के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं।

**4. स्थायी परिसंपत्तियां :**

4.1 स्थायी परिसंपत्तियां आबक गाता भाड़े, शुल्क एवं करों और अधिग्रहण से संबंधित प्रारंभिक एवं प्रत्यक्ष खर्चों सहित अधिग्रहण की लागत पर नियत की गई हैं।

4.2 अनावर्ती अनुदान के माध्यम से अर्जित की गई स्थायी परिसंपत्तियों का पूंजीकरण पूंजीगत निधि के समतुल्य साख द्वारा बताए गए मूल्यों पर किया जाता है।

**5. मूल्यहास :**

5.1 वर्ष 2017-18 के लिए अपनी ऑडिट रिपोर्ट में आयकर अधिनियम के अनुसार सी. एंड ए.जी. द्वारा सुझाए गए पद्धति 01.04.2018 से निर्दिष्ट दरों के अनुसार डब्ल्यू.डी.वी. पद्धति पर मूल्यहास प्रदान किया गया है।

क. वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में परिवर्धन कटौतियों के संबंध में मूल्यहास यथाअनुपात आधार को दो छमाही आधार पर माना जाता है।

हस्ता./-  
 (सुरेश कुमार एन.वी.)  
 लेखा अधिकारी (कारा)

हस्ता./-  
 (डॉ. जगन्नाथ पति)  
 संयुक्त निदेशक (कारा)

हस्ता./-  
 (दीपक कुमार)  
 सचिव (कारा)



- ख. 5000/- रुपये अथवा उससे कम मूल्य वाली परिसंपत्तियां पूर्णरूप से दी गई हैं।  
 ग. स्थायी परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य कुल लागत के 5 : की दर पर किया गया है।

25

**6. सरकारी अनुदान/सहायिकी :**

- 6.1 सरकारी अनुदान/सहायिकी की गणना वसूली आधार पर की जाती है।  
 6.2 केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान पूंजीगत खर्चों के लिए विशिष्ट अनुदेश के साथ प्राप्त नहीं हुए और इसलिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर खर्च की गई राशि, जब तक स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पूंजीगत राशि के अंतर्गत दर्शाई गई है।

**7. पट्टा :**

पट्टा किराए की राशि पट्टे की शर्तों के संदर्भ में खर्च की गई।

**8. सेवानिवृत्ति लाभ :**

- 8.1 कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय उपदान की देयता वास्तविक गणना और यथानुपात आधार पर उपार्जित की जाती है।  
 8.2 कर्मचारियों को संचित छुट्टी नकदी लाभ के लिए प्रावधान उचित किया जाता है और इसका परिकलन वास्तविक गणना और यथानुपात आधार पर किया जाता है।

\*\*\*\*\*

हस्ता./—  
 (सुरेश कुमार एन.वी.)  
 लेखा अधिकारी (कारा)

हस्ता./—  
 (डॉ. जगन्नाथ पति)  
 संयुक्त निदेशक (कारा)

हस्ता./—  
 (दीपक कुमार)  
 सचिव (कारा)

वित्तीय विवरण  
 केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  
 वेस्ट ब्लॉक-8, विंग-2, दूसरा तल, आर.के.  
 पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लेखों का भाग बनी अनुसूचियां

अनुसूची – 25

आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां

1. 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए आकस्मिक देयताएं शून्य रुपये हैं।
2. प्रबंधन की राय में, सामान्य व्यवसाय के दौरान मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों का मूल्य वसूली के समय कम से कम तुलन पत्र में दर्शाई गई राशि के योगफल के बराबर होता है।
3. आय कर अधिनियम, 1961 के तहत कर योग्य कोई राशि नहीं होने के मद्देनजर, आय कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।
4. अनुसूची 1 से 25 संलग्न हैं और वे 31 मार्च, 2020 तक के तुलन पत्र और इसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखों का अभिन्न हिस्सा हैं।

\*\*\*\*\*

हस्ता./-  
 (सुरेश कुमार एन.वी.)  
 लेखा अधिकारी (कारा)

हस्ता./-  
 (डॉ. जगन्नाथ पति)  
 संयुक्त निदेशक (कारा)

हस्ता./-  
 (दीपक कुमार)  
 सचिव (कारा)

2019-20

विवरण	मात्रा	कुल संपत्तियां		वर्ष के शुरू में मूल्या पर लिखा हुआ	वर्ष के दौरान जोड़ी गई संपत्ति	वर्ष के दौरान की गई कटौतियां	वर्ष के अंत में मूल्यांकन	विवरण		कुल विवरण साल के अंत में	अप्रत्याशित	
		मूल लागत/ खर्च	मूल्य					वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के अंत में मूल्यांकन		वर्ष के अंत में मूल्य	वर्ष के अंत में मूल्य
अर्नाचल और बिहार : (10%)												
51-3-2015 तक (विवरण सलाह)	1	3,251,249		1,721,731	-	-	1,721,731	1529518	172,173	1701691	1,549,568	1,721,731
वाटदास सोल्ट एसी 2 टन (28/10/14)	1	43,500		26,959	-	-	26,959	16,541	2,696	19,237	24,263	26,959
स्टील बॉर्ड वेयर 27/11/14	1	13,000		8,057	-	-	8,057	4,943	806	5,749	7,251	8,057
स्टील लिफ्टर कुर्सी (27/11/14)	4	28,000		17,353	-	-	17,353	10,647	1,755	12,382	15,618	17,353
लकड़ी की वसयुक्ति डेल ब्लेक 27/11/14	1	34,000		21,072	-	-	21,072	12,928	2,107	15,085	18,965	21,072
लकड़ी की सेंटर डेल ग्लास टॉप 27/11/14	1	5,600		3,470	-	-	3,470	2,130	347	3,123	3,123	3,470
लकड़ी कम्प्यूटर डेल ग्लास टॉप 27/11/14	2	9,000		5,578	-	-	5,578	3,422	558	3,980	5,020	5,578
खाइत बॉर्ड स्टैंड के साथ 12/7/2015	1	7,788		5,011	-	-	5,011	2,777	501	3,278	4,510	5,011
सिंथान डेल (7-2-3-6) 9/12/2015	1	37,000		25,918	-	-	25,918	11,082	2,892	13,674	23,326	25,918
सिंथान कुर्सी 3/12/15	1	6,660		4,667	-	-	4,667	1,993	466	2,469	4,191	4,667
वाटदास रिफ्ट एरर कडीनर 1.5 टन स्टैलाइजर के साथ 21.9.16	2	79,700		61,508	-	-	61,508	18,192	6,151	24,343	55,357	61,508
ऑफिस डेल 48 X30 (28.2.17)	3	29,700		23,979	-	-	23,979	5,721	2,398	8,119	21,581	23,979
ऑफिस डेल 60 X30 X30 (28.2.17)	2	23,160		18,699	-	-	18,699	4,461	1,870	6,331	16,829	18,699
वसयुक्ति बॉर्ड डेल बॉर्ड वेयर (28.11.16)	1	6,075		4,732	-	-	4,732	1,343	473	1,816	4,259	4,732
लिफ्टर कुर्सी 111.16 ( 28)	8	26,100		1,174	-	-	1,174	2,426	117	25,043	1,057	1,174
पाइल सीट सोफा सेंट 1.11.16 (09)	1	19,125		14,896	-	-	14,896	4,229	1,490	5,719	13,406	14,896
वसयुक्ति डेल 1.11.16 (09)	1	18,000		14,019	-	-	14,019	3,981	1,402	5,383	12,617	14,019
लिफ्टर कुर्सी 16.12.16	12	30,900		24,067	-	-	24,067	6,633	2,407	9,240	21,660	24,067
कॉर्नर डेल 9.17 (09)	2	6,300		4,996	-	-	4,996	1,304	500	1,804	4,496	4,996
सुंदल डेल 9.17 (09)	1	7,312		5,799	-	-	5,799	1,513	560	2,093	5,219	5,799
लिफ्टर कुर्सी 16.11.17	16	76,700		62,419	-	-	62,419	16,241	6,242	22,523	56,177	62,419
ऑफिस डेल 42 X24 * 152.47	5	42,750		34,363	-	-	34,363	8,587	3,436	11,823	30,927	34,363
ऑफिस डेल 48 X24 * 152.47	1	9,250		7,435	-	-	7,435	1,815	744	2,559	6,691	7,435
ऑफिस डेल 48 X30 * 152.17	3	29,700		23,872	-	-	23,872	5,828	2,387	8,215	21,485	23,872
वर्क स्टेशन 152.17	9	110,250		88,620	-	-	88,620	21,630	8,862	30,492	79,758	88,620
सोफा सेंट एक सोल्ट 22.2.17	2	11,910		9,616	-	-	9,616	2,294	962	3,256	6,654	9,616
सोफा 2 सीट 22.2.17	1	9,380		7,583	-	-	7,583	1,797	753	2,550	6,780	7,583
सोफा 3 सीट 22.2.17	1	11,580		9,349	-	-	9,349	2,231	935	3,166	8,414	9,349
बॉर्ड वेयर 22.2.17	6	36,730		28,848	-	-	28,848	6,682	2,885	9,767	25,963	28,848
वुडन सोफा सेंट 2 सीट 16.3.17	1	20,250		16,421	-	-	16,421	3,829	1,642	5,471	14,779	16,421
वुडन सोफा सेंट 2 सीट 16.3.17	2	20,250		16,421	-	-	16,421	3,829	1,642	5,471	14,779	16,421
सुंदल डेल 16-3-17	1	10,125		8,211	-	-	8,211	1,914	821	2,735	7,390	8,211
साइड डेल 16.3.17	2	5,625		4,563	-	-	4,563	1,062	456	1,518	4,107	4,563
मिडिंग डेल 28.3.17	1	25,312		20,616	-	-	20,616	4,696	2,062	6,758	18,554	20,616
फुल बॉर्ड स्टोरज यूनिट 28.3.17	1	14,766		12,027	-	-	12,027	2,739	1,203	3,942	10,824	12,027
सिंथान 28.3.17	1	39,656		32,300	-	-	32,300	7,656	3,230	10,586	29,070	32,300
ऑफिस डेल 48 X30 X30 ( 15.5.17)	1	9,900		8,134	-	-	8,134	1,766	813	2,579	7,321	8,134
ऑफिस डेल 42 X24 X30 ( 16.6.17)	1	8,550		7,086	-	-	7,086	1,464	709	2,173	6,377	7,086
ऑफिस डेल 48 X30 X30 ( 16.6.2017)	1	9,900		8,134	-	-	8,134	1,766	813	2,579	7,321	8,134
साइड के 36 X18 X30 ( 16.6.17)	6	37,800		31,326	-	-	31,326	6,474	3,133	9,607	28,193	31,326
ब्रान जाल्टर (No. 12) 15.6.17	10	6,248		282	-	-	282	5,966	28	5,994	284	282
ब्रान जाल्टर (No. 14) 15.6.17	12	12,537		564	-	-	564	11,973	56	12,029	508	564
ब्रान जाल्टर (No. 16) 15.6.17	4	6,090		274	-	-	274	5,816	27	5,843	247	274
ऑफिस ब्रानमारी 2000-9000-450 29.9.17	7	90,998		78,008	-	-	78,008	12,990	7,801	20,791	70,207	78,008

हस्ता. / -  
(सुरेश कुमार एन.वी.)  
लेखा अधिकारी (कारा)

हस्ता. / -  
(डॉ. जगन्नाथ पति)  
संयुक्त निदेशक (कारा)

हस्ता. / -  
(दीपक कुमार)  
सचिव (कारा)





क्यूबल सिस्टम HP2228222 IN 31.3.17	8	457,512	187,571	-	-	-	8	187,571	269841	75,028	344969	112,543	187,571
एचपी लैबरेट डी एम्प्ली एम 477 फिलर (केल) 31.3.17	1	62,000	28,419	-	-	-	1	25,419	36361	10,168	46749	15,251	25,419
Epson L380 इंकजेट प्रिंटर 31.3.17	1	21,800	8,938	-	-	-	1	8,938	12862	3,375	18437	5,363	8,938
लेपटॉप-लेयर एम्प्लीएर 2 (आई-3) 31.3.17	2	131,000	58,707	-	-	-	2	58,707	77298	21,488	98776	32,224	58,707
लेपटॉप HP = 16-BE01474 (I-3) 31.3.17	4	150,000	61,497	-	-	-	4	61,497	88503	24,539	113102	36,898	61,497
सीकेटीवी कैमरा 31.3.17	4	36,000	14,759	-	-	-	4	14,759	21241	5,904	27145	8,855	14,759
2 टीवी एचडीसी सीमेट गार्ड डिस्क (17.8.17)	-	6,350	3,106	-	-	-	-	3,106	3244	1,242	4486	1,864	3,106
एम्प्रेस ऑफिस ड्रम 2018-मॉक (17.8.17)	-	13,500	6,604	-	-	-	-	6,604	6936	2,642	9538	3,962	6,604
एचपी कीबोर्ड और माउस कॉम्बो 22.1.18	-	7,700	4,376	-	-	-	-	4,376	3324	1,750	5074	2,626	4,376
मैप-गोडना दस्तावेज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
टेलीफोन साधन (तेलिका 8280)	1	165,000	495	-	-	-	1	495	16005	198	16203	297	495
एचपी लैबरेट फिलर मॉडल 1020	1	11,934	358	-	-	-	1	358	11576	143	11719	215	358
मैन ड्रव्वर 4 जीबी	1	500	15	-	-	-	1	15	485	6	491	9	15
बाहरी गार्ड डिस्क 800 जी.एम.	1	64039	1921	-	-	-	1	1921	62118	768	62886	1,153	1,921
एचपी लेपटॉप	1	4,800	138	-	-	-	1	138	4462	55	4517	83	138
बाहरी गार्ड डिस्क 800GB (सीमेट)	1	1,365	41	-	-	-	1	41	1324	16	1340	25	41
वेब कैमरा (स्वपकामरी-170)	1	14,805	438	-	-	-	2	438	14167	175	14342	263	438
सोनी डिजिटल कैमरा (130 और 110)	2	249,596	216,317	-	-	-	4	216,317	33279	86,527	119606	129,790	216,317
लेपटॉप (04/12/2018)	4	3450	3,220	-	-	-	1	3,220	230	1,288	1518	1,932	3,220
प्रसाधनार्थ स्वपकामरी (08/02/2019)	10	6890	6,890	-	-	-	10	6,890	0	2,756	2756	4,134	6,890
कीबोर्ड और माउस कॉम्बो (51-5-2019)	1	1360	1,360	-	-	-	1	1,360	0	544	544	816	1,360
गाल्टर ड्रिंक (51-3-2019)	1	1300	1,300	-	-	-	1	1,300	0	520	520	780	1,300
स्विच डै-लिंक 8 पोर्ट (51-3-2019)	5	279995	279995	-	-	-	5	279995	0	111,998	111998	167,997	-
एचपी क्यूबल ऑल-इन-वन (08-09-2019)	3	33997	33997	-	-	-	3	33997	0	6799	6799	27,198	-
एमआई डिजिटल टेलीविजन (17-10-2019)	1	59708	59708	-	-	-	1	59708	0	11,942	11942	47,766	-
शुक्रवा वाररलेस सिस्टम	1	4068	4068	-	-	-	1	4068	0	814	814	3,254	-
यूपीएस 1 के.जी.	1	5,782,400	1,392,582	-	-	-	1	1,392,582	377,768	688,586	5,078,404	1,081,764	1,392,582
कूल	-	46,521	374	-	-	-	-	374	-	0	0	374	-
लाइब्रेरी किताबें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रोग्राम एसेसर्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कम्प्यूटर कार्डिंग मशीन (08-10-2019)	1	4500	4500	-	-	-	1	4500	0	338	338	4,162	-
देखमाल कार्यक्रम के लिए लेपटॉप (14/11/2018)	2	246,380	246,380	-	-	-	2	246,380	0	128,118	128118	118,262	-
निरीक्षण और निगरानी के लिए कैमरा 80/5/20)	1	24,869	24,869	-	-	-	1	24,869	0	4,974	4974	19,895	-
मॉडिंग और प्रचार के लिए ब्रामकम्प्यू प्रॉफिटर (08/12/19)	1	67,248	67,248	-	-	-	1	67,248	0	13,450	13450	53,798	-
एटीआरएस फर कूल शील्ड 3 साल (01/01/2020)	7	78,400	78,400	-	-	-	7	78,400	0	15,680	15680	62,720	-
सूचना कैमरे	1	5398	5398	-	-	-	1	5398	0	2,159	2159	3,239	-
कूल	-	-	-	-	-	-	-	426,795	0	164,719	164,719	262,076	-
कूल योग	-	13,526,036	5,425,595	-	-	-	-	6,743,986	8,176,394	1,384,089	9,560,483	5,359,897	5,425,595

हस्ता./-  
(दीपक कुमार)  
सचिव (कार)

हस्ता./-  
(डॉ. जगन्नाथ पति)  
संयुक्त निदेशक (कार)

हस्ता./-  
(सुरेश कुमार एन.वी.)  
लेखा अधिकारी (कार)

वित्तीय विवरण  
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  
पश्चिमी खण्ड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31

प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के लिए अग्रिम

क्रम.सं.	31.3.2020 तक की स्थिति	गैर सरकारी संगठन/सरकारी कार्यालय का नाम	निर्भूतिकी तिथि	राशि	अनुलग्नक -ख टिप्पणी
1		आईसीडीडब्ल्यू, नई दिल्ली	19-8/10.9.2008	618,860	
2		यशोदा पुणे		55,000	
3		निदेशक डब्ल्यूसीडी रायपुर	03-06-2010	164,320	
4		निदेशक डब्ल्यूसीडी चण्डीगढ़	18-06-2010	164,320	
5		निदेशक डब्ल्यूसीडी आंध्र प्रदेश	24-02-2011	248,808	
6		राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, नागालैंड	02-09-2011	99,704	
7		आईसीडीएस सोसायटी, बैंगलूरु, कर्नाटक	20-10-2011	54,400	
8		निदेशक डब्ल्यूसीडी बंगलोर	26.06.2013	17	
9		चौरसैन, वीसीए, हैदराबाद	1/17/2014	20,239	
10		आयुक्त, और राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे	16.12.2014	237,510	
11		निदेशक गोआ लोक प्रशासन संस्थान	10.03.2015	109,592	
12		महाराष्ट्र, न्यायिक अकादमी (आईएमसीटीआई)	7/4/2015	180,250	
13		निदेशक, एनडब्ल्यू और बाल संरक्षण सोसायटी, रांची	12/10/2015	199,490	
14		मुख्य कार्यकारी अधिकारी एपी एसपीई महिला एवं बाल विजयवाडा	3/10/2016	132,329	
15		सदस्य सचिव, सारा मणिपुर	12.09.2017	6,182	
16		महाराष्ट्र, राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	19-01-2018	390,240	
17		महाराष्ट्र, राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	22-02-2018	117,173	
18		निदेशक, आईसीपीएस, सिविकम	13-03-2018	213,251	
19		कर्नाटक राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	15-03-2018	475,661	
20		अध्यक्ष एससीपीएस, छत्तीसगढ़	22-06-2018	37,916	
21		निदेशक डब्ल्यूसीडी हैदराबाद	30-03-2019	171,360	
22		निदेशक रजिस्ट्रार राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	30-03-2019	247,830	
23		निदेशक सीपीएस नगालैंड कोहिमा	31-03-2019	235,650	
24		सीईओ-एपी, सोसायटी प्रॉर प्रोडक्ट। एम्पावर्ड का। महिला एपी	17-06-2019	479,940	
25		कर्नाटक समर्पित बाल संरक्षण सोसायटी	05-07-2019,	402,060	
26		निदेशक, बाल अधिकार परिषद बंगाल	05-08-2019,	551,340	
27		निदेशक, समाज कल्याण, बिहार	17-09-2019,	758,760	
28		निदेशक, सामाजिक कल्याण, ओडिशा	29-10-2019	639,930	
29		एनआईपीसीडी, लखनऊ	15-01-2020	432,190	
30		महाराष्ट्र, राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	31-01-2020	537,960	
31		महाराष्ट्र, राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	07-02-2020,	123,000	
32		राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, तमिलनाडु	22-02-2020	653,910	
33		निदेशक, न्यायिक अकादमी, ओडिशा	28-02-2020	88,710	
34		टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई	04-03-2020,	385,830	
35		निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड	12-03-2020,	342,810	
36		निदेशक, डब्ल्यूसीडी, मिजोरम	19-03-2020,	372,900	
37		निदेशक सारा राजस्थान	23-03-2020	295,920	
		कुल		10,245,362	

हस्ता./-  
(सुरेश कुमार एन.वी.)  
लेखा अधिकारी (कारा)

हस्ता./-  
(डॉ. जगन्नाथ पति)  
संयुक्त निदेशक (कारा)

हस्ता./-  
(दीपक कुमार)  
सचिव (कारा)

कर्मचारियों को ऋण/अग्रिम	कर्मचारियों का नाम	बकाया राशि यथा दिनांक 31/03/2020	बकाया राशि दिनांक 31/03/2020	32 टिप्पणी
क	त्यौहार अग्रिम			
	कुल ए			
ख	कम्यूटर अग्रिम			
ग	कार अग्रिम			
घ	स्कूटर अग्रिम			
	श्री रितेश आहजा-डीईओ	-	1,000	
	श्री भगता, निम्न वर्ग लिपिक	4,500	10,500	
ड	टीए अग्रिम			
	आशुतोष, एडी	23,000		
च	एलटीसी अग्रिम			
	बी.एम. तिवारी, एडी			
छ	अन्य			
	अर्चना त्यागी	-	70,100	
	अर्पणा शर्मा			
	दीपक राठौर	5,000	5,000	
	श्री. चंद्रशेखर भगता	9,000	18,465	
	कुल ख	41,500	105,065	
	कुल योग (क+ख+ग+घ)	41,500	105,065	

हस्ता./-  
(दीपक कुमार)  
सचिव (कार)

हस्ता./-  
(डॉ. जगन्नाथ पति)  
संयुक्त निदेशक (कार)

हस्ता./-  
(सुरेश कुमार एन.वी.)  
लेखा अधिकारी (कार)



वित्तीय विवरण

अनुलग्नक 'ग'

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खण्ड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

यथा दिनांक 31/03/2020 को खर्च हेतु

क्रम.सं.	प्रावधान खर्च	शीर्ष खर्चों का विवरण	राशि
1	पिछले वर्ष हेतु प्रावधान (शेष बकाया)	सीपीडब्ल्यूडी हेतु अग्रिम	704546.00
	<b>कुल</b>		<b>704546.00</b>

हस्ता./-  
(सुरेश कुमार एन.वी.)  
लेखा अधिकारी (कारा)

हस्ता./-  
(डॉ. जगन्नाथ रति)  
संयुक्त निदेशक (कारा)

हस्ता./-  
(दीपक कुमार)  
सचिव (कारा)



CA



RA

## टिप्पणी

“प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित वार्षिक प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित वार्षिक प्रतिवेदन मान्य होगा।”



### केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

(महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

पश्चिमी खंड -8, विंग-2, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066

टोल फ्री नं. 1800-11-1311, फ़ैक्स- 91-011-26180198

ईमेल- [carahdesk.wcd@nic.in](mailto:carahdesk.wcd@nic.in),

वेबसाइट- [www.cara.nic.in](http://www.cara.nic.in)



## केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार  
पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, रामा कृष्णा पुरम,  
नई दिल्ली-110 066

टोल फ्री नं. 1800-11-1311, टेलीफैक्स : +91-11-26180198  
ई-मेल: [carahdesk.wcd@nic.in](mailto:carahdesk.wcd@nic.in)  
वैबसाइट: [www.cara.nic.in](http://www.cara.nic.in)

## Central Adoption Resource Authority

Ministry of Women & Child Development, Government of India  
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R. K. Puram,  
New Delhi-110 066

Toll Free No.: 1800-11-1311, Telefax: +91-11-26180198  
E-mail: [carahdesk.wcd@nic.in](mailto:carahdesk.wcd@nic.in)  
Website: [www.cara.nic.in](http://www.cara.nic.in)